राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंकः 3 **सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पचासवां दिवस** संख्याः 23

शुक्रवार,
21 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः नमस्कार। राम-राम। विराजिये। प्रश्नकाल। श्री कालूराम।

तारांकित प्रश्नोत्तर

डग में संचालित महाविद्यालय

469. श्री कालूराम (डग): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला झालावाड़ में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में वर्तमान में कितने राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं? उक्त में कौन-कौनसे संकाय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेम चन्द बैरवा): (1) झालावाड़ जिले में वर्तमान में कुल 10 राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट 01 पर संलग्न है।

झालावाड़ जिले में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में वर्तमान में राजकीय बिड़ला महाविद्यालय भवानीमंडी कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय, राजकीय महाविद्यालय चौमहला कला संकाय तथा राजकीय महाविद्यालय डग कला संकाय में संचालित है।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजकीय बिड़ला महाविद्यालय में 1,627 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिनमें से 1,200 बालिकाएं अध्ययनरत हैं व बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1,500 बालिकाएं अध्ययनरत हैं और वैसे पोद्दार स्कूल में 700 इस प्रकार से कुल 6,400 बालिकाएं वहां पर अध्ययनरत हैं और 3,000 बालिकाएं प्राइवेट वहां परीक्षा देना चाहती हैं तो माननीय

मंत्री महोदय, बिड़ला कॉलेज में 42 बीघा भूमि उपलब्ध है तो क्या वहां बालिका महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में की गई घोषणा में राजकीय महाविद्यालय अकलेरा विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में खोले जाने की घोषणा की है। अब आगे आप बता रहे हैं तो अभी इस साल तो खोला गया है आगे हम खोलने के लिए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से सभी जगह खोल रहे हैं तो आगे इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि चौमहला में मात्र यू.जी. हमारे वहां चल रहा है तो यू.जी. से आप पी.जी. में क्रमोन्नत करने का क्या आप विचार रखते हैं? या विज्ञान संकाय या कॉमर्स संकाय खोलने का विचार रखते हैं क्या? व बिड़ला महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाज शास्त्र, वाणिज्य संकाय, बी.बी.ए. व नवीन कृषि संकाय नवीन सत्र में खोलने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कालूराम (डग): आगे आपका जो भी आप विषय खुलवाना चाह रहे हैं आगे अगले सत्र में विचार करके खोलने का विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

गढ़ी में तारबंदी व पॉली हाउस के आवेदन

470. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में तारबंदी एवं पॉली हाऊस के कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त में से कितने स्वीकृत किये गये तथा कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उद्यानिकी की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? उक्त योजना में वर्ष 2023-24 में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों को लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में सौर ऊर्जा के कृषि कनेक्शन के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? उक्त में से कितनों को लाभान्वित किया गया तथा कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (कृषि मंत्री के स्थान पर): (1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में तारबंदी हेतु 467 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 177 आवेदन स्वीकृत किये गये, 290 आवेदन योजना दिशा- निर्देशानुसार कृषक पात्र नहीं होने से निरस्त किये गये तथा पॉली हाउस हेतु 27 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 आवेदन स्वीकृत किये गये व 17 कृषकों के आवेदन लक्ष्य सीमित होने से लम्बित हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं तथा वर्ष 2023-

24 में प्राप्त आवेदन तथा लाभान्वित कृषकों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु 39 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से योजना दिशा-निर्देशानुसार कृषक हिस्सा राशि जमा नहीं कराये जाने से किसी भी किसान को लाभान्वित नहीं किया गया है सभी 39 कृषकों के आवेदन लम्बित हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि 27 जो आवेदन हुए थे उनमें से 10 स्वीकृत हैं और 17 बाकी हैं। क्या इन कृषकों को पॉली हाउस का लाभ सरकार देना चाहती है या नहीं?

दूसरा, मेरा यह विषय है कि तारबन्दी में जैसे संयुक्त रूप से जो योजना चल रही है उसमें 5 एकड़ भूमि ली गई है जिससे किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलता है, टी.एस.पी. क्षेत्र में हम चाहते हैं कि ढाई एकड़ की जाये, कम की जाये, ताकि किसान उसका लाभ ले सकें और यह निवेदन है कि...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): 2024-25 व 2025-26 में दो बजट में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार ने क्या-क्या लक्ष्य रखे और कितना बजट रखा यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है और सौर ऊर्जा संयंत्र में जो हिस्सा राशि जमा करनी है, ...

श्री अध्यक्ष: इतने सारे एक साथ पूछोगे क्या?

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):...वह टी.ए.डी. विभाग से देय होती है तो क्या सरकार उसको देना चाहती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत गढ़ी से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भजन लाल जी की सरकार सदैव किसान हित के लिये कार्य करती आयी है और माननीय सदस्य ने जैसा कि पूछा, वर्ष 2024-25 में और 2025-26 के बजट में पचास हजार कृषकों को बीस हजार किलोमीटर में तारबन्दी स्थापित करने हेतु 216.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया तथा वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा में 75 हजार कृषकों को 30 हजार किलोमीटर तारबन्दी स्थापित करने के लिए 324 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 5 एकड़ के बनिस्बत ढाई एकड़ का जो सवाल किया है उसका परीक्षण और निरीक्षण करवा करके उसके लिए भी, क्योंकि किसानों के हित के लिए समय-समय पर अलग-अलग उनके हितों के लिए कार्यवाहियां सदैव की गई हैं तो उसी शृंखला के अन्दर उसका भी निरीक्षण करवा कर उसके लिए उचित कार्यवाही के निर्देश दे दिये जायेंगे।

प्रश्न संख्या 471

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री उदयलाल भडाना।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री गणेश घोघरा।

जल जीवन मिशन योजना पर व्यय राशि

472. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की किन-किन ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा किन-किन में उक्त कार्य किन कारणों से अधूरा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना अन्तर्गत अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैया लाल): (1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की सभी 78 ग्राम पंचायतों के 195 ग्रामों को जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु वृहद परियोजना/लघु योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी हैं। उक्त स्वीकृतियों के अंतर्गत 19 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 128 ग्रामों का कार्य प्रगतिरत है तथा 04 ग्रामों में कार्यादेश उपरान्त कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। शेष 44 ग्रामों की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। योजनावार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार स्वीकृत सभी कार्यों को चरणबद्ध रूप से माह दिसम्बर,2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में दिनांक 15 मार्च 2025 तक राशि रुपये 123.09 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है, सप्लीमेंट्री पूछ लूं?

श्री अध्यक्षः बोलिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कुछ निविदा प्रक्रियाधीन बतायी आपने और कुछ कार्य प्रगतिरत बताये हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह घर-घर जल आप कब तक पहुंचा दोगे?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में टोटल 179 गांवों के लिए 166 लघु योजनाएं स्वीकृत थीं और लगभग 16 गांवों के लिए मेजर प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत थी। टोटल इनकी 128 योजनाएं जो कि ओ.टी.एम.पी. की है यह तो अभी अनकम्पलीट हैं। कुछ में काम चल रहा है, कुछ वर्क ऑर्डर दिये हैं लेट। काफी लम्बे समय से पेंडिंग थी 2021 से लेकर 2022-23 से ये योजनाएं चल रही हैं। किसी में 50 प्रतिशत काम पूरा हुआ था, किसी में 30 प्रतिशत काम हुआ था और मेजर प्रोजेक्ट के इनमें लगभग 19 गांवों के अन्दर ही अब तक इनके काम कम्पलीट हो पाये हैं टोटल 179 में से। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यहां पर तत्कालीन जो भी अधिकारी थे वो सस्पेंड भी हो गये हैं। वहां पर अच्छे अधिकारी लगा दिये हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले साल भर के अन्दर पूरे 179 गांवों में आपकी देखरेख में, आप लोग क्योंकि जन-प्रतिनिधि जब तक उसमें देखेंगे नहीं, तब तक अधिकारियों का भी वास्तव में कंट्रोल नहीं रह पा रहा है, क्योंकि डूंगरपुर आखिरी छोर पर है। उसको 16 सी.सी. का नोटिस भी दिया है उसके बाद भी वह नहीं माना तो वह ट्रेप हुआ और उसके बाद में सस्पेंड होकर जेल में पड़ा है वह आदमी। बाकी आने वाले समय में आपकी सारी योजनाएं हम कम्पलीट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दूसरा कोई?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, कृपलानी जी का लेपटॉप पीछे की तरफ घूमा हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कुछ आपको दिखाना चाह रहे होंगे।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): इनको आईना दिखा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यदि यह आईपैड को आईना बता दिया न तो फिर आईपैड की इंसल्ट है।

अगला प्रश्न। श्रीमती ऋतु बनावत।

पांचना बांध निर्माण से गंभीर नदी की बहाव क्षमता पर प्रभाव

473. डा. ऋतु बनावत (बयाना): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की गंभीर नदी बारहमासी नदी है? यदि हां, तो क्या वर्तमान में इस नदी में बारह महीने पानी का बहाव होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पांचना बांध बनने से गंभीर नदी का बारहमासी स्वरूप समाप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार गंभीर नदी को बारहमासी नदी का पुराना स्वरूप लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) प्रदेश में भरतपुर जिले से होकर बहने वाली गंभीर नदी एक बरसाती नदी है। वर्तमान में करौली जिले में स्थित पांचना बांध के बरसात के दौरान ओवरफ्लो होने पर पानी छोड़े जाने एवं/अथवा नदी के पांचना बांध के डाउन स्ट्रीम के जल ग्रहण क्षेत्र से सृजित सतही जल प्रवाहित होने पर भरतपुर जिले में इस नदी में बहाव होता है। विगत वर्षो के दौरान भरतपुर जिले में बहे पानी के अधिकतम गेज

का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। गंभीर नदी एक बारहमासी नदी न होकर बरसाती नदी है। वर्षा ऋतु के दौरान पांचना बांध के भर जाने के पश्चात अधिशेष जल गंभीर नदी में प्रवाहित होता है।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूछिये।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचना बांध बनने से पूर्व प्रतिवर्ष गम्भीरी नदी का जल बहाव जो था वह 2006 से लेकर 2024 तक 19 वर्षों में मात्र 8 बार समोगर पुल पानी आया, 7 बार सेवला हैड तक पानी आया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं, मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि राज्य सरकार पांचना बांध का पानी प्रतिवर्ष गम्भीरी नदी में छोड़े, इस पर कोई प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं? बयाना विधान सभा क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष: एक उत्तर आ जाने दो। इसका उत्तर आ जाने दो। माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बयाना से आने वाली माननीय वरिष्ठ सदस्या को बताना चाहता हूं कि पांचना बांध से करौली एवं सवाई माधोपुर जिले में 9,985 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है तथा माननीय न्यायालय द्वारा कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये जिसकी पालना कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर नहीं की जा सकी। गम्भीरी नदी बचाओ समिति द्वारा भी एक रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी जो कि उक्त पिटीशन के साथ क्लब कर विचाराधीन है। क्योंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर कोई चर्चा करना उचित नहीं है। गम्भीरी नदी को कैसे पुनर्जीवित किया जाये, इस पर हम आने वाले समय में विचार करेंगे।

Kas/rtm/21.03.2025/11.10/1b

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है कि गंभीर नदी पर स्थित दायना कैनाल, बकोली हैड, खानवा बांध, चैकोरा, शक्करपुर, मेडथा और मिस्मा कैनाल तक पांचना का पानी पहुंचाने के लिये क्या राम जल सेतु लिंक परियोजना में जोड़ा गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसको जोड़ने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के बारे में बताना चाहता हूं कि असंशोधित पार्वती- कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत 30 मध्य व वृहद सिंचाई परियोजनाओं में पानी अप्रवाहित करने के

साथ ही चैनल कैनाल के आस-पास अन्य तालाबों, बांधों को भी तकनीकी उपादेयता के अनुसार पानी भरा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में इसकी डी पी आर भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा तैयार की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही बांधों और तालाबों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पांचना बांध जब से बना है, उसके बाद जो कमांड एरिया है, जहां किसानों को पानी छोड़ा जाना था, तो वहां पर आप पानी नहीं छोड़ पा रहे हैं। हाई कोर्ट तक के आदेश आ गये कि आप किसानों को पानी दीजिए और आप पानी नहीं दे पा रहे हैं। क्या सरकार की मंशा है किसानों को पानी देने की?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष महोदय को बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने पूर्व में भी जवाब में कहा है कि गंभीरी नदी बचाओ समिति द्वारा एक रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई है, जो कि उक्त पिटीशन के साथ क्लब कर विचाराधीन है। हमारे संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई होती है, यह सारा मसला आपसी समझाइश से होता है। हम प्रयास करेंगे कि आपस में समझा कर इस समस्या का निदान करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, रिट पिटीशन तो नदी बचाने की है, किसानों को पानी देने में कोई रिट पिटीशन बीच में नहीं आ रही है।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी हम पानी नहीं दे पाये। यह आपसी समझाइश का मामला है, मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूं कि आप इसमें हमारा सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

दिव्यांगों को आरक्षण

474. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी दिव्यांगों को 2016 से पदोन्नति में काल्पनिक आरक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): राजस्थान राज्य में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2021 दिनांक 21.10.2021 से दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया गया है। (प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।)

कार्मिक विभाग द्वारा सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगजनों को आरक्षण देने के संबंध में परिपत्र दिनांक 01 दिसम्बर 2021 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक 10.08.2022 जारी किया गया। (प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.12.2023 जारी किया गया (प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।)

केन्द्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान राज्य में भी दिव्यांगजनों को 2016 से काल्पनिक पदोन्नति देने के संबंध में विभाग में प्रस्ताव परीक्षाणाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 2016 से पहले दिव्यांगों की श्रेणी कितनी थी और आज दिनांक तक दिव्यांगों की श्रेणी कितनी है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा 2016 से पहले दिव्यांगता की श्रेणी में 7 कैटेगिरी थीं और माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 बनाया गया, उसके बाद उस श्रेणी को बढ़ाकर 21 तरह की श्रेणियां की गई हैं। इसमें अंधता, निम्न दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति ह्रास (बधिर एवं ऊँचा सुनना), गति विषयक दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, स्वलीनता स्पैक्ट्रस विकार, प्रमस्तिष्क घात, बहुदुष्पोषण, चिरकालिक तंत्रिका दशाएं, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, बहु स्केरोसिस, थैलेसीमिया, हैमोफीलिया, स्किल कोशिका रोग, बहु दिव्यांगता, अम्ल आक्रमण पीड़ित, पार्किंसंस रोग, इस प्रकार की 21 दिव्यांगता की श्रेणी भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में जनाधार पोर्टल पर 2016 में दिव्यांग कर्मचारी/अधिकारी कितने थे और आज कितने हैं?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राजस्थान में दिव्यांग श्रेणी के कुल 11,724 सरकारी अधिकारी/कर्मचारी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 2016 के दिव्यांगता अधिकार अधिनियम के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर राजस्थान में और पूरे देश में दिव्यांगों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। उसके बाद पदोन्नति में भी 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें नोशनल आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिये। मैं सदन को अवगत करना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 521/2008 राजीव गुप्ता बनाम भारत संघ के निर्णय के आदेशों की पालना में भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 30.6.2016 से दिव्यांगजनों को पदोन्नति में काल्पनिक लाभ देने के लिये ऑफिस

मेमोरेंडम दिनांक 28.12.2023 जारी किया गया है। अतः राज्य सरकार में भी दिव्यांगजनों को दिनांक 30.6.2016 से काल्पनिक पदोन्नति का लाभ देने के लिये प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

साथ ही वित्त विभाग के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को 30.6.2016 से पदोन्नति का लाभ दिये जाने से उत्पन्न होने वाले वित्तीय भार की गणना करने हेतु समस्त विभागों को पत्र प्रेषित कर वित्तीय भार की सूचना संकलित करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद नोशनल आधार पर राजस्थान में भी नीतिगत निर्णय लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए पदोन्नति में भी दिव्यांगजनों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने पर काम किया जायेगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुभाष मील।

सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की भर्ती

475. श्री सुभाष मील (खंडेला): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या प्रदेश में सहकारी समितियों में भर्ती नहीं होने के कारण संविदा कार्मिकों को कार्य नियोजन कर रखा है, जिससे कार्य सुचारु रूप से नहीं हो रहा है? क्या सरकार व्यवस्थापकों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): जी नहीं। प्रदेश की ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिनमें व्यवस्थापक का पद रिक्त है, उनमें अन्य समिति के व्यवस्थापक को अतिरिक्त कार्यभार देकर अथवा संविदा पर कार्मिक रखकर कार्य कराया जा रहा है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों से रिक्त पदों पर भर्ती की अभ्यर्थना प्राप्त होने पर सहकारी भर्ती बोर्ड के स्तर से व्यवस्थापकों की भर्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री सुभाष मील (खंडेला): मुझे जवाब मिल चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सहकारी समितियों में जो कोई भी सदस्य बनना चाहता है, ज्यादातर देखने को मिलता है कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण होती है और जो संचालक मंडल का अध्यक्ष होता है, वह अपने विपक्षी व्यक्ति को उसमें बनाना नहीं चाहते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा तंत्र या सिस्टम विकसित कर रही है, जिसके द्वारा कोई भी योग्य व्यक्ति बिना पक्षपात के उसका सदस्य बन सकता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सदस्यता के लिये राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में प्रावधान निर्धारित है। जो व्यक्ति सदस्यता की पात्रता रखता है, उसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन समिति को करना होता है। साथ ही निर्धारित हिस्सा राशि भी जमा करानी पड़ती है। जो समितियां कार्यक्षेत्र में सदस्यता

के पात्र लोगों को सदस्यता देने से मना करती हैं, ऐसे प्रकरणों को रजिस्ट्रार के समक्ष अपील करने का प्रावधान है और रजिस्ट्रार सम्बन्धित पक्षों को सुन कर उस पर निर्णय करता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम ज्यादातर लोग इससे अवगत हैं कि जो भी सहकारी संस्थाओं में चुनाव की प्रक्रिया होती है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी बहुत ज्यादा होता है। क्या सरकार इन सहकारी संस्थाओं के चुनावों के लिये राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों की उसमें ड्यूटी लगाकर एक निष्पक्ष तरीके से उनमें चुनाव करवाने का विचार रखती है या नहीं? क्योंकि हम सब देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा धांधली और पक्षपात की शिकायतें आती हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य में सहकारी संस्थाओं में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के लिये राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया हुआ है। सहकारी संस्थाओं में चुनावों की धांधली व अनियमितता के प्रकरण में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 58 में पंच निर्णायक नियुक्त किया जाता है। कोई भी चुनाव होता है, तो 30 दिन में वह उसमें अपील कर सकता है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव हेतु विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियुक्त कर चुनाव कराये जाते हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन का भी हम सहयोग लेते हैं। सहकारी संस्थाओं में अभी फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चुनाव संपन्न कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

निम्बाहेड़ा नगरपालिका द्वारा सड़क निर्माण

476. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा विगत पांच वर्षों में विभिन्न सड़कों का निर्माण, पुनर्निमाण एवं दुरुस्तीकरण का कार्य कराया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कौन-कौनसे कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कें वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सडकें? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरूस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जी हां। नगरपालिका, निम्बाहेडा द्वारा निम्बाहेडा शहर में विगत पांच वर्षों में विभिन्न सडकों के निर्माण, पुनर्निमाण एवं दुरुस्तीकरण के कुल 119 कार्य कराये गये जिन पर कुल राशि रू. 4801.23 लाख का व्यय

हुआ है। कराये गये कार्यों का वार्डवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के अन्तर्गत नगरपालिका सीमा क्षेत्र में एकीकृत जलप्रदाय परियोजना के तहत 24 घंटे पेयजल सप्लाई हेतु 115.978 किलोमीटर पाइप लाइन डाले जाने के कारण नगरपालिका, निम्बाहेडा के समस्त वार्डों की सडकें क्षतिग्रस्त हुईं।

(3) जी हां। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के अन्तर्गत पेयजल सप्लाई हेतु 176.158 किलोमीटर प्रस्तावित पाइप लाइन में से 115.978 किलोमीटर पाइप लाइन डाली जा चुकी है। परियोजना नियमानुसार Trench width में 112.190 किलोमीटर सड़क मरम्मत का कार्य करवाया जा चुका है और शेष 3.788 किलोमीटर रेस्टोरेशन का कार्य 15 दिवस में पूर्ण कर लिया जावेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, मैं डाइरेक्ट पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ लिया आपने?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हां। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ लिया तो पूरक प्रश्न पूछो। आप पूछ सकते हो, आपको अधिकार है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरे खड़े होने से आपको क्या कष्ट है?

श्री अध्यक्ष: ....(व्यवधान)....

आप इधर बात करो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, यह मेरे पर टोंट कसते हैं। यह क्या तरीका है?

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछो।

Msk/rtm/21.03.25/1120/1c

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): एक तो साहब मेरा निवेदन है कि मैंने माइक के लिए कई बार कहा है, इसको थोड़ा ऊंचा करायें, मेरे दिक्कत है, कमर में दर्द होता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछें, नहीं तो अगला प्रश्न पुकार दूंगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा का इन्होंने जो उत्तर दिया है, वह मैंने पढ़ लिया है। मेरा प्रश्न है कि आर यू आई डी पी के तहत पेयजल सप्लाई हेतु जो कार्य किया जा रहा है। उसके लिए अपने जवाब में विभाग भी स्वीकार कर रहा है कि नगरपालिका, निम्बाहेड़ा के समस्त वार्डों की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि दूसरी ओर खण्ड-1 में जिक्र है कि सड़कों के पुनर्निर्माण एवं दुरुस्तीकरण के नाम पर नगरपालिका.... नगर पालिका कांग्रेस की थी। दुरुस्तीकरण के नाम पर 48 करोड़ एवं आर यू आई डी पी का करीब 10 करोड़ रुपये का फंड खर्च किया गया। यानी कुल 58 करोड़ का फंड खर्च किया गया। कुल 58 करोड़ का फंड खर्च करने के बाद भी आज नगर पालिका की हालत यह है कि वहां पर सड़कें जर्जर पड़ी हैं। मेरा यह प्रश्न है कि क्या सरकार इन जर्जर सड़कों के लिए पूर्व कांग्रेस

सरकार के द्वारा पदस्थापित जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): बिना जांच ही।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी उत्तर देंगे। आप अगली बार देना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, ये रोज च्यवनप्राश खाकर आते हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि गत कालखण्ड में नगरपालिका क्षेत्र निम्बाहेड़ा में जो भी सड़कें बनीं, अगर वे निश्चित अवधि से पूर्व जर्जर अवस्था में चली गयी हैं तो उसके लिए मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ के गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड से जांच करवाकर, अगर उसमें कोई कमी/खामी आयेगी और उसमें जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। साथ ही, चित्तौड़गढ़ के गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड के अधिकारी को यह भी निर्देशित करेंगे कि वे माननीय विधायक महोदय को भी जांच के समय अपने साथ रखें और विधायक महोदय से भी आग्रह करेंगे कि वे जांच में साथ रहें तो ज्यादा बेहतर तरीके से जांच हो पायेगी।

श्री अध्यक्ष: चलिये। अगला कोई प्रश्न है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इसकी जांच का निर्णय लिया है। लेकिन मैं आपको खाली यह निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर निम्बाहेड़ा में नगरपालिका में जो ए. ईएन. लगा हुआ था, उसी ए. ईएन. को आर यू आई डी पी के ए. ईएन. का चार्ज दे दिया। सड़कें भी वे ही बनाते हैं, रिपोर्ट भी वही कर रहे थे, यह आपके टाइम की बात है। अध्यक्ष महोदय, इसमें समझौता किया गया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। आज भी 83 से ज्यादा सड़कें, जो कि 50 किलोमीटर की हैं, जवाब में केवल 3 किलोमीटर लिखा है। 50 किलोमीटर की सड़कें अभी क्षतिग्रस्त हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि आपने जांच के आदेश तो दिये हैं, लेकिन साथ ही साथ, क्या इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए विशेष बजट देने के लिए.. अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जब सड़क तोड़कर पाइप लाइन डालते हैं तो बीच में सड़कों को तोड़ देते हैं और कनेक्शन दो तरफ देते हैं। कनेक्शन दो तरफ देने की वजह से, अभी भी निम्बाहेड़ा की सड़कें देखें, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, मैं बता देता हूं, उसमें मिट्टी भर दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जो सड़कें पहले दीं, वैसी सड़कें नहीं हैं। क्या विशेष बजट देने का प्रावधान आपके पास है, यदि है तो कब तक? इन सड़कों को कब तक ठीककरा देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): पैसा नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): चुप रहें।

श्री अध्यक्ष: आपको वित्त मंत्री कब बना दिया?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक महोदय को अवगत करना चाहूंगा कि पाइप लाइन डालने के लिए जो सड़कें तोड़ी गयी हैं, उन सड़कों की मरम्मत का प्रावधान है। जो सड़कें पूर्व में बनीं, अगर वे गारंटी पीरियड में हैं, तो जो भी संवेदक है, उससे मरम्मत करवायेंगे। जहां तक एक ही ए.ईएन. होने का प्रश्न है तो हम इसको भी दिखवा लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी को उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी दे देंगे। वैसे राज्य सरकार ने बजट में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को दस-दस करोड़ रुपये मिसिंग लिंक और टूटी-फूटी सड़कों के लिए दिये हैं। अगर उससे काम नहीं चलेगा तो बजट की उपलब्धता के आधार पर हम इस पर फिर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भैरा राम चौधरी। ...(व्यवधान)... मुझे लगता है, आपसे बहुत ज्यादा प्रेम है।

ओसियां में ग्रामीण बस सेवा

477. श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ओसियां के ग्रामीण क्षेत्रों में निगम बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों में ग्रामीण बस सेवा चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर-भेड़ वाया मांडियाई खेतासर ग्रामीण बस सेवा को बंद कर दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस सेवा को पुनः संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार के स्तर पर विभाग में नई रोडवेज बसें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव लंबित है? यदि हां, तो नई बसों को कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) राजस्थान सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 में की गई घोषणा 'प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ की जायेगी' के तहत विधान सभा क्षेत्र ओसियां में ग्रामीण बसों के संचालन हेतु निविदा जारी की जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) प्रश्नगत मार्ग पर पूर्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बस सेवा को संचालन अवधि में कम आय प्रति कि.मी. एवं कम यात्रीभार प्राप्त होने के कारण मार्च 2020 में बंद कर दिया गया।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत मार्ग पर निगम बस सेवा के पुन: संचालन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) राजस्थान सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 में निगम के बस बेड़े में नवीन बसें

शामिल किए जाने हेतु निम्न घोषणा की गयी:-

'प्रदेश में Public Transport System के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें Service Model पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जायेंगी'।

उक्त घोषणा के क्रम में निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 800 बसें निगम बस बेड़े में शामिल किए जाने हेतु निविदाएं जारी कर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब प्राप्त हो गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि तीन-तीन रोडवेज बसें ओसियां विधान सभा क्षेत्र में भेड़ से होते हुए जोधपुर जाती थीं, वे कोरोना काल में बन्द कर दी थीं। यह आम लोगों व ग्रामीणों की सुविधा के लिए बहुत जरूरी बस है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने बन्द कर दी है। पूर्ववर्ती सरकार ने यह भी देखा कि जहां फायदे के रूट होते हैं, वहां तो ये बस चलाते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): क्या सरकार सिर्फ फायदे के रूट ही चलाती है या आमजन के, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन करना चाहती है या नहीं?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र ओसियां में अभी हमने न तो कोई बस चालू की, न बन्द की। जो की, वह इन्होंने की है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी सीट पर। प्रश्न काल में नहीं। बाद में आकर मिलें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): हमारे 2024-25 के बजट में 800 बसें सर्विस मॉडल पर लिये जाने की निविदा प्रक्रियाधीन है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी और बसें उपलब्ध हो जायेंगी तो ये बसें निश्चित रूप से चलायेंगे।

श्री अध्यक्ष: और कोई पूछना है?

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): अभी ओसियां विधान सभा क्षेत्र में पिछले 15 महीनों में एकदम बढ़िया एचं चकाचक सड़कें बन गयी हैं। इस रूट के अलावा भी ग्रामीण जनों को सुविधा देने के लिए रोडवेज बसें चलाने का विचार रखते हैं या नहीं?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): मैंने बताया कि 800 नयी बसें, जिनमें 300 इलेक्ट्रिक बसें आयेंगी। उनमें उपलब्ध होने पर आपके इस रूट पर बसें चलायी जा सकेंगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कब आयेंगी? एक में भी वही जवाब दिया है, तीन में भी वही जवाब दिया है। पिछले बजट की घोषणा है, कब तक आयेंगी। माननीय सदस्य को कुछ तो बतायें, कब तक चलायेंगे। कोई समय-सीमा भी तय करेंगे या पूरे पांच साल

निकालेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुबह से देख रहा हूं। या तो सदन में आते नहीं हैं, आते हैं तो क्यों बोलते हो? I will not tolerate it.

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): समय-सीमा बता दें, निविदा कब खुल जायेंगी और कब आप खरीद लेंगे?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): यह प्रक्रिया एक-डेढ़ महीने में पूरी हो जायेगी, उसके बाद चला देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में फसल खराबे का मुआवजा

478. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में मानसून 2024 में अतिवृष्टि के कारण कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कितना-कितना फसल खराबा हुआ? क्या उक्त खराबे की गिरदावरी कराई गई है? यदि हां, तो गिरदावरी के अनुसार काश्तकारों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्ष 2022-23 में रबी एवं खरीफ की फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों का मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना शेष है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के, कितने काश्तकारों का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त शेष मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अवधि में मकानों एवं दुकानों को भी नुकसान हुआ था? यदि हां, तो क्या उनको कोई मुआवजा दिया गया? यदि हां, तो कितनों को कितनी राशि का? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री ओटा राम देवासी): (1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में मानसून वर्ष 2024 खरीफ अतिवृष्टि (बाढ़) से बोई गई फसलों में गिरदावरी अनुसार 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा नहीं हुआ है। किन्तु विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की तहसील लाडपुरा के 01 राजस्व ग्राम- ढाणी में 15 व्यक्तिगत काश्तकारों की फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। प्रभावित काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु दिनांक 27.01.2025 को दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है, जिनको शीघ्र भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्ष 2022 खरीफ में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे से प्रभावित 1154 (एक हजार एक सौ चौवन) काश्तकारों के आवेदन डी

एम आई एस पोर्टल पर प्राप्त हुए, जिनमें से 1100 (एक हजार एक सौ) काश्तकारों को राशि रू. 75.35 लाख (पिचहत्तर लाख पैंतीस हजार) का कृषि आदान अनुदान भुगतान किया गया है। उक्त अवधि के 54 काश्तकारों का भुगतान लंबित है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है। जिनको भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रबी फसल वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा नहीं होने के कारण कृषि आदान अनुदान भुगतान देय नहीं है।

(3) उक्त वर्णित अवधि के 54 काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा जारी एस डी आर एफ नॉर्म्स के अनुसार शीघ्र भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्ष 2022 (संवत् 2079) खरीफ में अतिवृष्टि (बाढ़) से मकानों के नुकसान से संबंधित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी एस डी आर एफ नॉर्म्स के अनुसार 721 (सात सौ इक्कीस) व्यक्तियों को राशि रू. 33.37 लाख (तैंतीस लाख सैंतीस हजार) की सहायता उपलब्ध करवायी गयी है। वर्तमान में मकानों के नुकसान से संबंधित आवेदन/प्रकरण एस डी आर एफ नॉर्म्स के अनुसार लंबित नहीं हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी एस डी आर एफ नॉर्म्स के अनुसार दुकानों में हुए नुकसान का मुआवजा/सहायता देय नहीं है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मेरे पास जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: जरूर पूछिये।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): आपने मुझे जवाब में खण्ड-1 व खण्ड-2 के जवाब में बताया है कि 2022 से मुआवजा पैंडिंग चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि इतने विलम्ब का कारण क्या है? कब तक मुआवजा मिल जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लाडपुरा से आने वाली माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में मानसून वर्ष 2024 खरीफ अतिवृष्टि (बाढ़) से बोई गयी फसलों में गिरदावरी अनुसार 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा नहीं हुआ है

mdp/rtm/21.03.25/11:30/1d

किन्तु विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की तहसील लाडपुरा के 01 राजस्व ग्राम-ढाणी में 15 व्यक्तिगत काश्तकारों की फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। प्रभावित काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा जारी एस डी आर एफ नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु दिनांक 27.01.2025 को दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। यह करने के बाद में जैसे ही हमने, विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्ष 2022 में 33 प्रतिशत या

इससे अधिक फसल खराबे से प्रभावित 1,154 काश्तकारों के आवेदन डी एम आई एस पोर्टल पर प्राप्त हुए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, ये उत्तर तो आ गया है। पूरक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दीजिए।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): 1,100 काश्तकारों को राशि रुपये 75.35 लाख का कृषि आदान अनुदान भुगतान किया गया है। उक्त अवधि के 54 काश्तकारों का भुगतान लंबित है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

रबी फसल में, वह खरीफ फसल का था, रबी फसल में लाडपुरा में फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा नहीं होने के कारण कृषि आदान अनुदान भुगतान देय नहीं है। 54 काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा जारी एस डी आर एफ नॉर्म्स के अनुसार शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय सदस्य।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही पूछ रही थी कि 2022 मतलब पूर्ववर्ती सरकार के टाइम से इन किसानों का मुआवजा पेंडिंग है, उसके बारे में मैं पूछ रही थी। समय सीमा क्या है, यह पूछना चाह रही थी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने मुझे खंड 4 में एस डी आर एफ नॉर्म्स के तहत जो मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या दुकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनके मुआवजे के बारे में मैंने पूछा है। जवाब में आपने बताया है कि जो नॉर्म्स के हिसाब से आप मुआवजा देते हैं तो चाहे वह 15 प्रतिशत नुकसान हो या 90 प्रतिशत नुकसान हो, आप कच्चे घर के लिए 4 हजार रुपये मुआवजा देते हैं और पक्के मकान के लिए 6 हजार 500 रुपये देते हैं। यह तो किसी के जले पर नमक छिड़कने वाली बात होती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): जी पूछ रही हूं। इससे क्या कोई दीवार भी बनेगी क्या? दूसरा, इसमें आपने बताया है कि दुकानदार को कोई मुआवजा नहीं देते तो एस डी आर एफ नॉर्म्स के तहत दुकानदार का नुकसान नहीं होता है क्या? कोई चाय की दुकान लगाकर गांव में है, उसका बाढ़ से नुकसान नहीं होता है?

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने की मंशा रखती है या नहीं? यदि हां, तो कितना और जो दुकानदार हैं, उनको भी मुआवजा देने की मंशा रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे एस डी आर एफ नॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं और तीन स्टेट के हैं। इस तरह से 12 नॉर्म्स जो बने हुए हैं, वह एस डी आर एफ नॉर्म्स भारत सरकार के हैं। इसमें जो निर्धारित है, उसके

अनुसार ही हम भुगतान कर सकते हैं। दूसरा, जो स्टेट का है, तीन का है, उसमें मैं विशेषतौर से यह निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जितने भी मकान क्षतिग्रस्त हुए, उनके लिए तो हमारे भुगतान का प्रावधान है, परंतु दुकानों में जो नुकसान हुआ, कॉमर्शियल होने के कारण वह उन नॉर्म्स में नहीं है। इसलिए हम उसमें भुगतान नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। देवी सिंह शेखावत। दो हो गये आपके। उत्तर तो आ गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, जवाब नहीं आया। माननीय सदस्य पूछ रही है कि दुकानों के लिए भी सरकार कुछ करना चाहती है और जो मुआवजा कम मिल रहा है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, उसको बढ़ाना चाहती है क्या? डबल इंजन की सरकार है, कर दीजिए घोषणा।

श्री अध्यक्ष: बोलिए, देवी सिंह जी। विराजिए।

अलवर में गुणवत्ता परीक्षण में विफल सड़कें

479. श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारन्टी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पूर्ववर्ती सरकार के समय अलवर में राज्य स्तर की निरीक्षण टीम को माह नवम्बर 2022 में गुणवत्ता परीक्षण में विफल पाई गयी सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गुणवत्ता परीक्षण में विफल पाई गयी उक्त सड़कों का भुगतान संबंधित कार्यकारी संस्थाओं को किया जा चुका है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही व वसूली राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नरेगा आयुक्त कार्यालय की ओर से उक्त सड़कों की वसूली के संबंध में जिला परिषद अलवर को लिखित निर्देशों के पश्चात भी अब तक राशि वसूलने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): (1) माह नवम्बर 2022 में अलवर जिले में राज्य सरकार द्वारा गठित निरीक्षण दलों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण कराया गया। जिन 6 सडकों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाई गई है, उनकी सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जॉच दल की निरीक्षण रिपोर्ट पर जिला परिषद अलवर द्वारा प्रेषित अनुपालना रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होने से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर को निर्देशित किया गया है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय के निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलवर द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारियों, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों, सहायक अभियंताओं के विरूद्ध नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): उत्तर मुझे मिल चुका है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): पूरक प्रश्न मुझे पूछना है कि जो सड़कें नवम्बर, 2022 में गुणवत्ता परीक्षण में फेल पायी गयी, जिनका भुगतान कार्यकारी संस्थाओं से वसूलने और दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। करीब ढ़ाई साल होने के बाद सरकारी राशि कब तक वसूली जायेगी और कब तक अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही होगी?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि ये 2022 का मैटर है। पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह की जांच होनी चाहिए थी, वह जांच नहीं हुई। हमारी सरकार आते ही हमने जितने भी वहां के दोषी सरपंच थे, करीब 4 हैं, मौलिया, किथुर, लगंडावास और ईटेडा, उनके खिलाफ भी हमने नोटिस जारी किये। विकास अधिकारी, मौलिया, किथुर, लंगडवास और ईटेडा, उनको भी हमने नोटिस जारी कर दिये। सहायक अभियंता, किशनगढबास, कनिष्ठ अभियंता, किशनगढबास, विकास अधिकारी, गोविन्दगढ़ तत्कालीन और किशनगढबास, इन सबको हमने नोटिस जारी कर दिये और तुरंत ही हम उसके खिलाफ कार्यवाही करके वसूली करेंगे।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): ठीक है साहब।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अगला प्रश्न पुकारिये साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर लाल डेचा।

सागवाड़ा में जल जीवन मिशन के तहत कार्य

480. श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सागवाड़ा में खण्ड कार्यालय खोलने के उपरांत भी जल जीवन मिशन के कार्य वृहद परियोजना के तहत उदयपुर से संचालित हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत जिन गांवों में कार्य चल रहा है, उनमें कई मोहल्ले छोड़ दिए गये एवं कार्यों में घटिया गुणवत्ता की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में नवसृजित खंड सागवाड़ा द्वारा विभाग की नियमित योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन व संधारण का कार्य किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत वृहद परियोजना संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन, संचालन व संधारण का कार्य परियोजना खंड-द्वितीय उदयपुर द्वारा किया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के 248 ग्रामों में से 53 ग्राम लघु योजनाओं के द्वारा एवं 195 ग्राम 03 वृहद परियोजनाओं द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु

स्वीकृत किये गये हैं।

03 वृहद परियोजनाओं में से 02 वृहद परियोजना क्रमशः बेणेश्वर एनीकट आधारित 212 ग्रामों की वृहद परियोजना व कडाना बैकवाटर आधारित 353 ग्रामों की वृहद पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में निविदाएं प्रक्रियाधीन है। उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के क्रमशः 125 व 60 ग्राम लाभान्वित किये जाने हेतु सम्मिलित हैं।

शेष सोम-कमला-अंबा बांध आधारित 61 ग्रामों की रेट्रोफिटिंग वृहद पेयजल परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के 10 ग्राम सम्मिलित हैं। परियोजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के 10 ग्रामों मे से 08 ग्रामों में पाइप लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसमे ग्राम के सभी मोहल्लों में पाइप लाइन डाली गयी हैं। शेष 02 ग्रामों में वर्तमान में पाइप लाइन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिसे योजना में स्वीकृत पाइप लाइन की मात्रा में विचलन की सक्षम अनुमति मिलने के बाद पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

उक्त योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्य निविदा प्रपत्र में वर्णित मापदण्डों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही सम्पादित करवाए गए हैं तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेन्सी वॉप्कोस द्वारा भी सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त कार्य के विरुद्ध कोई जांच विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया, वह ठीक है, लेकिन ये जो 212 और 353 गांव जो हैं, उसका सारा काम उदयपुर प्रोजेक्ट ऑफिस से हो रहा है, उसको हटाकर सागवाड़ा में शिफ्ट किया जावे, यह मंत्री साहब ने नहीं कहा और वहां जो अधिकारी हैं, ए ईएन है उसको एक्स ईएन का चार्ज दिया, इसके बदले में दूसरे को चार्ज दिया जाए।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में पहले सागवाड़ा, आसपुर, डूंगरपुर सबके लिए एक एक्स ईएन बैठता था रेगुलर काम के लिए, अब हमने दो एक्स ईएन कर दिए हैं, एक सागवाड़ा में रेगुलर जो आसपुर और सागवाड़ा देखेगा, एक एक्स ईएन आपके डूंगरपुर और दूसरा देखेगा। फिर भी चूंकि वहां पर, अध्यक्ष महोदय, शंकर लाल डेचा बहुत भाग्यशाली हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पर गौर कीजिए कि ये बहुत भाग्यशाली हैं कि इनका काम जल जीवन मिशन का पहले नहीं हुआ। गणेश जी घोघरा वास्तव में भाग्यशाली इंसान नहीं हैं, उनके जितने भी काम हुए हैं, सबमें फर्जीवाड़ा हुआ है और मुझको काम कराने में वापस निकाल-निकाल कर दोबारा कराने में तीन साल लगेंगे। इनके 1,300 करोड़ के काम अब होंगे और डिवीजन भी मैं आपके सागवाड़ा में स्थापित करूंगा और वहीं काम कराऊंगा। जिस दिन बटन दबेगा लाइट का, उसी दिन तुरंत इनको पूरे प्रेशर से पानी मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रोहित बौहरा।

धौलपुर की कालीतीर योजना का कार्य

481. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले की कालीतीर योजना की निविदा जारी हो चुकी है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त योजना का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। धौलपुर जिले की कालीतीर योजना के टेन्डर दिनांक 11.01.2023 को जारी कर स्वीकृति उपरांत दिनांक 15.05.2023 को राशि रुपये 642.88 करोड़ के कार्यादेश जारी किये हैं।

(2) वर्तमान में योजना पर रुपये 197.94 करोड़ व्यय कर 30 प्रतिशत वित्तीय प्रगति अर्जित की गयी है। भौतिक रूप से कार्य वन्यजीव एवं वन विभाग से स्वीकृति उपरांत किया जाना प्रस्तावित है। कार्य को पूर्ण करने की संभावित तिथि 24.11.2025 है।

Ans/rtm 11.40 1e 21.03.2025

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, आप कह रहे हैं आपने 197.94 करोड़ रुपये खर्च कर दिये, जबकि आपके पास पहले वन विभाग की स्वीकृति थी क्योंकि यह पहले वन विभाग के नीचे आता था, जहां से आपको स्वीकृति लेनी थी। आपको जब स्वीकृति थी तो आपने वाइल्ड लाइफ की स्वीकृति क्यों ली? आपकी जरूरत ही नहीं थी। जब एक बार स्वीकृत हो सकता था तो आपने वन विभाग की स्वीकृति क्यों ली, उस स्वीकृति में आपने 197.94 के काम कैसे किये, जब आपकी वाइल्ड लाइफ स्वीकृति पेंडिग है? आपने कैसे किय?, आप काम कर ही नहीं सकते थे। मंत्री जी, यह जो आपका फीगर है, मिस-मैच हो रहा है, पहले इसको चेक करो। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजाखेड़ा से आने वाले वरिष्ठ विधायक को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में दिनांक 14.02.2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को अग्रेषित किया जा चुका है। जहां तक वाइल्ड लाइफ एन ओ सी की बात है, क्योंकि राजस्थान सरकार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 30/20 (1) दिनांक 28.09.2023 के अनुसार मदनपुर वन खण्ड के धोलपुर करौली टाइगर रिजर्व में शामिल होने के कारण प्रस्ताव को टाइगर रिजर्व के नियमों को ध्यान में रखते हुये पुन: संशोधित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे, जिसके कारण हमें इसे वापस वाइल्ड लाइफ के लिये भेजना पडा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप जो यह आंसर कह रहे हो, आप यह बताओ कि जब आपको स्वीकृत ही नहीं थी तो आपने 197 करोड़ के काम कहां से करा दिये? कोई फीगर मिस-मैच है, 94 करोड़ का काम हुआ है। 197 करोड़ का काम नहीं हुआ। Kindly check your records. आप चेक करो। पहले आप चेक करो।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मंत्री महोदय, पूरी बात सुनिये। जब आपको वाइल्ड लाइफ की स्वीकृति नहीं मिली तो आपने 197 करोड़ के काम कहां से करा दिये? आप बताओ।

श्री अध्यक्ष: बैठो, उत्तर आने दो। आप प्रश्न पूछो, उत्तर आये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप कैसे करा सकते हो?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: धौलपुर का प्रश्न है, आपके मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): हमारे विधायक बहुत विद्वान है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 197.94 करोड़ का जो फीगर हमने बताया है, यह बिलकुल ठीक है, हमने व्यय किये हैं। आपको तो स्कीम के बारे में सारा पता है, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, क्योंकि आपके क्षेत्र का मामला है। आपके कार्यकाल में यह हुआ है। आपके प्रयासों से ही हुआ है इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसमें पाइप सप्लाई का बड़ा काम था, वहां पाइप सप्लाई हुए, इस कारण से यह पैसा व्यय हुआ।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): दूसरा प्रश्न। सर, दूसरा पूरक तो पूछने दो। ऐसी क्या नाराजगी है। आपके संरक्षण से ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पूछो ना।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपने अपने बजट अनाउसमेंट में यह अनाउंस किया कि हम 950 करोड़ रूपये इन दो स्कीम्स पर खर्च करेंगे। धोलपुर लिफ्ट इर्रिगेशन में और कालीतीर में। आप बजट में तो 950 करोड़ अनाउंस करते हो, आपने प्रोवीजन कितने-कितने अमाउण्ट का किया, यह बताइये? आपने बजट तो विंडो ड्रेसिंग से कर दिया। एक्चुअल प्रोवीजन कितना किया, आपका प्रोवीजन कितना है, आप वह बताइये?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बजट 2025-26 में हमने 950 करोड़ का प्रावधान रखा था। उसके अन्दर माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि धोलपुर लिफ्ट में 861 करोड़ का टोटल था जिसमें 834 करोड़ का काम होना था। हमने 534 करोड़ खर्च कर दिये, 300 करोड़ शेष बचे। कालीतीर की बात करें, 642 करोड़ का वर्क आर्डर था, 171 करोड़ के लगभग, क्योंकि 197 तो अभी आया था पहले 171 खर्च हुये।

श्री अध्यक्ष: विराजो तो सही। मंत्री खड़े हैं, आप विराजो।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): ऐसे करके 442 करोड़ रूपये इसमें से शेष रहे, अगर इनको जोड़े तो यह 950 करोड़ रुपये होते हैं। बजट में घोषणा करने की हमारी मंशा है कि यह काम इसी वर्ष पूर्ण हो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मैं प्रोवीजन की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आ गया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरा क्वेश्चन क्या है पहले उसका जवाब दिलवाये। मेरा क्वेश्चन है कि आपने प्रोवीजन कितना किया? आपने प्रोवीजन सिर्फ 435 और 125 करोड़ किया। हमें आंसर में बरगलाये नहीं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 435 और 125 करोड़, यह जवाब सही है या नहीं? प्रोवीजन इतना किया ...(व्यवधान)... यह क्या है? यह तो बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह गलत है। आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। ...(व्यवधान)... प्रोवीजन 900 करोड़ का भी नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी के पास उत्तर होगा वही तो ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह क्या बात हुई।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रदेश में गठित बोर्डों के संचालन हेतु बजट का आवंटन

482. श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विगत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड सहित कई अन्य आयोग एवं बोर्ड गठित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त आयोग व बोर्डों का गठन कर इनमें अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त आयोग एवं बोर्डों के संचालन के लिए बजट उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जी हां। विगत राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड सहित कुल 36 नवीन बोर्ड/आयोग का गठन किया गया था। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के

नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग एवं देवनारायण बोर्ड में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की हुई है तथा शेष बोर्ड आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

(3) वर्तमान में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग एवं देवनारायण बोर्ड में विभाग द्वारा बजट आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आपने 36 बोर्ड गठित कर रखे हैं, लेकिन अभी तक तीन बोर्ड ही चालू हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बाकी बोर्ड को आप कब चालू करेंगे? उनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति कब करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है। वर्तमान में 43 बोर्ड घोषित हो चुके जिनमें से सात पहले चल रहे थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 36 बोर्ड व आयोग का गठन किया गया। 36 में से 26 बोर्ड व आयोग वैसे थे जो चुनाव से ठीक छह महीने पहले घोषित किये हुए थे। इसका मैंने आपको उत्तर दिया।

मूल प्रश्न में आपने जिन पांच बोर्ड का हवाला दिया, राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, अगस्त 2023, सितम्बर 2023 व अक्टूबर 2023 में इनकी घोषणा हुई, आचार संहिता से ठीक पहले। आपकी सरकार के समय बोर्ड व आयोग का गठन हुआ था, किसी प्रकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य का मनोनयन आपने नहीं किया था। हमारी सरकार आने के बाद हमने एस सी कॉरपोरेशन और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष का मनोनयन किया है। उनको हमने बजट भी उपलब्ध करवाया है। बाकी बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य का मनोनयन, माननीय मुख्य मंत्री जी का नीतिगत निर्णय है उसके आधार पर हम लोग आने वाले समय में विचार करेंगे।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): मेरा यही निवेदन है कि आप इनको चालू करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन को इतना ही कहूंगा कि यह नीतिगत निर्णय है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जिस तरीके से ...(व्यवधान)... ठीक चुनाव से पहले, चुनाव से छह महीने से पहले जिन बोर्ड व आयोग गठन किया गया, वह हमारा नीतिगत निर्णय है, सरकार के स्तर पर लंबित है। आने वाले समय में विचार करेंगे। अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कंवरलाल।

अंता में सहकारी समितियो के गोदाम

483. श्री कंवरलाल (अंता): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र अंता में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम बने हुए हैं तथा गोदाम विहीन समितियों के गोदाम कब तक बना दिए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता: (श्री गोतम कुमार): विधान सभा क्षेत्र अंता में बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध 42 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम बने हुए हैं। (परिशिष्ट-1) तथा 13 नव गठित ग्राम सेवा सहकारी समितियां (भूमिहीन) गोदाम विहीन हैं।(परिशिष्ट-2)

समितियों के पास वैध स्वामित्व वाली भूमि उपलब्ध होने एवं संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

श्री कंवरलाल (अंता): अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ चुका है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछो।

श्री कंवरलाल (अंता): पहला प्रश्न, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में बताया है कि अंता विधान सभा क्षेत्र में 13 समितियों के पास भूमि नहीं है, जबकि इनमें से 05 समितियों के पास गोदाम हेतु प्रपोजल भेजे हैं जिनके पास भूमि है। क्या इन पांच समितियों में गोदाम मंजूर करने की मंशा रखते हैं तो कब तक? बाकी समितियों के डी एम साहब को प्रस्ताव भेजे हुए हैं, उनको भूमि देने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र अंता में भूमि उपलब्धता वाली जितनी भी समितियां हैं, उन सब में गोदाम बन चुका है। बजट घोषणा 2024-25 में मिर्जापुर ग्राम सेवा सहकारी समिति में अतिरिक्त भण्डारण के लिये हमने 500 मैट्रिक टन के गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी कर उसमें भी निर्माण करवाया जा रहा है।

VPS-RTM-21.03.2025-11.50-1f

अतिरिक्त भण्डारण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्य समितियों से केन्द्रीय बजट, केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय बजट की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार गोदाम निर्माण की स्वीकृति की जाती है। भूमिहीन समितियों में भूमि आवंटन कराये जाने बाबत हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्व विभाग एवं पंचायती राज विभाग से निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय किया जा रहा है। मेरा माननीय सदस्य से यह आग्रह है कि वे स्वयं भी भूमि आवंटन करवा दें तो उस पर कार्यवाही कराने का काम हम करेंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री कंवरलाल (अंता): धन्यवाद, मंत्रीजी। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में यह बताया है कि कुल 29 समितियों में गोदाम बने हुए हैं पर गोदाम कब बने और इन गोदामों में से कुछ गोदाम जीर्णशीर्ण हालात की स्थिति में हैं। इन गोदामों के जीर्णोद्धार हेतु बजट देने की सरकार मंशा रखती है तो कब तक?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जीर्णशीर्ण गोदाम की बात अभी रखी है। जो गोदाम 1990 के पूर्व के निर्मित है 100 मीट्रिक टन के, उनके लिए इस साल सरकार ने बजट में यह प्रावधान रखा है और पुनर्निर्माण केन्द्रीय अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके अनुरूप नियमानुसार गोदाम पुनर्निर्माण की स्वीकृति दी जाती है। गोदाम की मरम्मत हेतु समिति स्वयं के स्तर पर, छोटी-मोटी कोई मरम्मत अगर करवानी होती है तो वह अपने स्तर पर भी करवा सकती है और जीर्णशीर्ण गोदामों की, 100 गोदामों की इस बार पुनर्निर्माण की है तो आप अपनी तरफ से प्रस्ताव भिजवाये। जितना भी कर सकेंगे, उतना करने का प्रयास करेंगे।

श्री कंवरलाल (अंता): थैंक यू, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्षः श्री संदीप शर्मा।

कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर का विकास

484. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में मथुराधीश जी मंदिर के कॉरिडोर विकास एवं हेरिटेज विकास के लिए कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधित डीपीआर तैयार की जा रही है? यदि हां, तो पूर्व में किन-किन कार्यों के लिए, कितनी राशि की डी.पी.आर. तैयार की गई थी तथा अब उसमें कितनी-कितनी राशि के, कौन-कौन से कार्य और सम्मिलित किये गये?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर तक के मार्ग की चौड़ाई अत्यन्त कम है? यदि हां, तो क्या प्रस्तावित कॉरिडोर में सड़क को चौड़ा करने, वैकल्पिक मार्ग बनाने और पार्किंग का स्थान उपलब्ध करवाये जाने की योजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मंदिर वल्लभ कुल सम्प्रदाय की प्रथम पीठ होने से पूरे देश के श्रद्धालु यहां आते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार श्रद्धालुओं हेतु आवास आदि की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जी नहीं। वर्तमान में कोटा के नन्द ग्राम के रूप में विख्यात पाटनपोल क्षेत्र में कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कोई संशोधित डी.पी.आर. नहीं बनाई जा रही है।

पर्यटन विभाग द्वारा दिनांक 03.01.2025 को परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्थान पर कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा को

कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया था।

तत्पश्चात् कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा भगवान मथुराधीश जी मन्दिर के कॉरिडोर के विकास एवं हेरिटेज विकास कार्य के लिये कोटा के जन-प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा उपरान्त डी.पी.आर. तैयार की गई थी। जिसकी अनुमानित लागत राशि रुपये 66.57 करोड़ है। जिसे दिनांक 14.02.2025 को उप निदेशक पर्यटन, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, कोटा को बजट आवंटन व स्वीकृति हेतु भिजवा दी गई है। उक्त डी.पी.आर. में सम्मिलित मुख्य कार्य एवं राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त मन्दिर तक का मार्ग अत्यंत संकरा है। प्रस्तावित कॉरिडोर में सड़क को चौड़ा करने, वैकल्पिक मार्ग बनाने और पार्किंग का स्थान उपलब्ध करवाये जाने हेतु निम्न योजना है:-

1. मथुराधीश मंदिर के पीछे नामदेव धर्मशाला से भट्ट जी घाट तक रोड को 40 फीट चौडा करना प्रस्तावित है, जिससे गढ़ पैलेस स्थित सांई बाबा मंदिर से सीधे मथुराधीश मंदिर तक आवागमन सुगम हो जायेगा।

2. नामदेव धर्मशाला व मंदिर की जमीन पर लगभग 15,000.00 वर्गफीट पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। वल्लभ कुल सम्प्रदाय की प्रथम पीठ होने से पूरे देश के श्रद्धालु यहां आते हैं। सरकार अन्य स्थानों से यहां आने वाले श्रद्धालुओं के आवास आदि की व्यवस्था मंदिर के सामने स्थित निजी भूमि बॉम्बे वाले की धर्मशाला को अधिगृहित कर प्रथम तथा द्वितीय तल पर श्रद्धालुओं के आवास की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्रीजी का उत्तर मिल चुका है, मैं पूरक प्रश्न पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष: जरूर पूछिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, आपने बिंदु संख्या-1 के उप बिंदु संख्या-1 में कितने मकानों व दुकानों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। आप यह भी बतायें कि इन्हें मुआवजा आप किस प्रकार देंगे तथा कितना मुआवजा दिया जायेगा तथा विभिन्न धर्मशालाओं, विद्यालयों की भूमि को अधिग्रहण करने के पश्चात क्या मुआवजे के स्वरूप आप अन्यत्र कहीं भूखंड देने का विचार रखते हैं? पहला प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में यह घोषणा की गयी थी और उसमें 20 करोड़ रुपये का प्रावधान था। उस समय कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग था। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग से बदलकर कार्यकारी एजेंसी कोटा विकास प्राधिकरण को बनाया गया और कोटा विकास प्राधिकरण ने इस कॉरिडोर विकास एवं हेरिटेज विकास की जो डी.पी.आर. बनायी, वह

66.57 करोड़ रुपये की है, जिसको वर्तमान में पर्यटन विभाग में प्रशासनिक अनुमोदन के लिए भेजा हुआ है जो प्रक्रियागत है। पर्यटन विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन होने के उपरांत डी.पी.आर. को स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा जायेगा और वित्त विभाग से स्वीकृति के बाद पर्यटन विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर आगे की कार्यवाही सम्पन्न होगी।

माननीय विधायक महोदय ने जो प्रश्न किया है, उसके सम्बन्ध में मैं उन्हें यह अवगत करवाना चाहूंगा कि श्री मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर निर्माण में लगभग 15 मकान, दो धर्मशालाएं, संस्कृत स्कूल व पचास दुकानों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित। अधिग्रहण किये जाने वाले परिसरों का मूल्यांकन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 एवं 30 के अंतर्गत वर्णित आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार निर्देशित पहली अनुसूची में वर्णित प्रावधानों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

दूसरा इन्होंने जो प्रश्न किया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह अवगत करवाना चाहूंगा कि हां, विभिन्न धर्मशालाओं एवं विद्यालयों की भूमि अधिग्रहण के पश्चात उनके द्वारा विकल्प पत्र दिये जाने पर भूमि की उपलब्धतानुसार भूमि के बदले भूमि अथवा नियमानुसार नकद मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय को और साथ ही यह भी पूछना चाहूंगा कि इस मथुराधीशजी के मन्दिर के कॉरिडोर का निर्माण कब तक प्रारंभ हो जायेगा तथा इसे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि श्री मथुराधीशजी मन्दिर कॉरिडोर का कार्य बजट की उपलब्धता, आवंटन के पश्चात निविदा आमंत्रित कर प्रारंभ किया जायेगा और कार्य पूर्ण होने में लगभग 24 माह का समय लगने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री लालाराम बैरवा। माननीय मंत्रीजी, आयुर्वेद। श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने लिखकर भेजा है कि मैं नहीं रहूंगा, ये पूछेंगे। ठीक है, आप पूछ लें।

जालौर के हरजी में आयुर्वेद औषधालय की स्थापना

485. श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा) (माननीय सदस्य श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर) के स्थान पर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जालौर में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? विधान सभावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गांव हरजी में आयुर्वेदिक औषधालय के अभाव में मरीजों को

इलाज हेतु अन्य औषधालयों में जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार हरजी कस्बे में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आयुर्वेद मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत जिला जालौर में 01 जिला चिकित्सालय, 03 ब्लॉक चिकित्सालय, 02 चिकित्सालय एवं 67 औषधालय संचालित हैं जिसका विधान सभावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) हरजी कस्बे में नये चिकित्सालय/औषधालय खोलने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक परीक्षण कर, निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति, बजट की उपलब्धता एवं गुणवागुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री डूंगरराम गेदर।

श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी

486. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में प्रधान मंत्री आवास योजना से वंचित पात्र व्यक्तियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पात्र व्यक्तियों को प्रधान मंत्री आवास योजना कब तक उपलब्ध करवा दी जावेगी?

(3) तहसील सूरतगढ़ में जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक कितने व्यक्तियों को समस्त किश्तों का भुगतान कर प्रधान मंत्री आवास उपलब्ध करवाए गए? उक्त में से कितने लाभार्थियों को समस्त किश्तें दे दी गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): (1) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वर्तमान में जिला श्रीगंगानगर में वरीयता सूची अनुसार कुल 4402 परिवार आवास स्वीकृति से वंचित है।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्र लाभार्थियों द्वारा आवेदन करने पर आवास स्वीकृत किया जाता है। वर्तमान में कोई आवेदन लम्बित नही है।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ की वरीयता सूची में 4,985 पात्र परिवार थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु 2,520 अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किये गये, जिनके विरुद्ध 2,484 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं तथा शेष 36 परिवारों की आवास स्वीकृति प्रकियाधीन है।

वरीयता सूची में शेष रहे 2465 पात्र परिवारों को भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटन उपरान्त लाभान्वित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत 175 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए है। वर्तमान में कोई आवेदन लम्बित नही है।

(3) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अन्तर्गत सूरतगढ तहसील में जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 तक 905 पात्र परिवारों को प्रधान मंत्री आवास स्वीकृत किये गये है, जिनमें से 216 परिवार जिनके द्वारा आवास पूर्ण करवा लिये गये है उनको समस्त किश्तों का भुगतान कर दिया गया है। लाभार्थीवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक नगर पालिका, सूरतगढ़ द्वारा 61 लाभार्थियों का आवास निर्माण पूर्ण होने पर सभी 61 लाभार्थियों को चतुर्थ एवं अन्तिम किश्त का भुगतान किया गया है। लाभार्थीवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछना है?

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): हां, पूरक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मुझे यह पूछना है कि 2024-25 में आपने यह कहा है कि 2520 अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किये जिनके विरुद्ध 2484 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति दी गयी, शेष 36 परिवारों को आवास स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी। यह साल खतम हो रहा है और इन परिवारों को क्यों शेष रखा गया?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री आवास योजना के बारे में माननीय सदस्य ने जो पूछा है वह सूरतगढ़ में 4985 पात्र परिवार थे, उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2024-25 में 2520 अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किये गये जिनके विरुद्ध 2484 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत कर दिये और शेष रहे 36 परिवार जो प्रक्रियाधीन है। वरीयता सूची शेष में रहे, 2465 पात्र परिवारों को भारत सरकार द्वारा ...(व्यवधान)...

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मैं यह पूछ रहा हूं कि साल पूरा हो गया है, यह जो शेष 36 प्रक्रियाधीन क्यों है? इनको शेष क्यों रखा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): 36 को हम इसी वर्ष में प्रधान मंत्री आवास योजना में ले लेंगे और लेकर इनको स्वीकृत भी कर देंगे।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि अब तक श्रीगंगानगर जिले के अन्दर ऐसे कितने परिवार हैं जिनको पहली किश्त मिल गयी लेकिन अंतिम किश्त नहीं मिली। इनको अंतिम किश्त कब तक दी जायेगी और देरी का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने गंगानगर के बारे में पूछा है तो गंगानगर में प्रधान मंत्री आवास योजना में ग्रामीण के अंतर्गत करीब 72650 पूरे जिले में प्रधान मंत्री आवास योजना में जो स्वीकृत किये गये थे उसमें से 54468 आवास पूर्ण कर लिये गये और शेष 18182 प्रगतिरत है जो अभी काम चालू है और इस तरह से करके पूरे जिले में जो शेष रहे हैं, उनका भी जल्दी ही लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मंत्रीजी, मैं शेष नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी पहली किश्त तो आपने जारी कर दी लेकिन अंतिम किश्त जारी नहीं की?

श्री अध्यक्ष: वह कितने परिवार हैं? आप यह बताओ।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): और अंतिम किश्त जारी नहीं करने की देरी का क्या कारण है और ऐसे कितने परिवार है?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे ही पहली किश्त 15 हजार रुपये बैंक के अकाउंट में आती है, उसके बाद में दूसरी जो किश्त आती है वह 45 हजार रुपये आती है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आ गयी क्या? वे यही पूछ रहे हैं कितनों का बाकी है।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): और तीसरी जो किश्त आती है, ऐसा करके मकान का जो निर्माण होता है, नींव से लगाकर दूसरी किश्त, तीसरी किश्त, ऐसे करते हुए तीनों किश्त देते हैं। आप मुझे लिस्ट दे दें ताकि जल्दी ही उनका करवा देंगे।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मैं यह पूछ रहा हूं कि कितने परिवार बाकी है?

श्री अध्यक्ष: कितने बाकी हैं? कितने बाकी हैं, यह ही तो पूछ रहे हैं।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मैं कहां से लिस्ट दूं? साहब, मैं यह पूछ रहा हूं कितने परिवार बाकी है।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि जल्दी ही हम इसकी जानकारी प्राप्त कर आपको सूचित कर देंगे।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): वाह जी, धन्यवाद।

Ssy/Rtm/21.03.25/12.00/1g

श्री अध्यक्ष: मैं घड़ी देख रहा हूं। प्रश्न काल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

1. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना में खानों का चौड़ान बढ़ाने तथा स्ट्रिप ऑफ लैण्ड की सीमा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

माननीय हरिमोहन जी, कुछ कह रहा हूं तो सुनने का कष्ट करें।

2. श्री संजय कुमार एवं एक अन्य सदस्य की ओर से धौलपुर जिले में अघोषित बिजली कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से टोडाभीम में उप जिला अस्पताल हेतु भूमि आवंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री अमित चाचाण एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम सैटेलाईट इमेजरी के आधार पर किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से पशु पालन विभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से राजीव गांधी युवा मित्र इन्टर्नशिप कार्यक्रम में नियुक्त युवा मित्रों को अटल प्रेरक भर्ती में समायोजित किए जाने के संबंध में।

8. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कस्टोडियन भूमि के कब्जा धारक किसानों को खातेदारी पट्टे जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को विगत तीन माह से भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से जोधपुर में आदिवासी भील समाज के नाबालिग के साथ अमानवीय अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर के मध्य से गुजरने वाली मेजा नहर की सुरक्षा दीवार न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसान भवनों को होटल संचालन हेतु किराये पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की ग्राम सहकारी समिति परसनेऊ तथा भाणूदा द्वारा किसानों की मूंगफली खरीद का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से बारां-झालावाड़ मेगा हाईवे पर स्थानीय निवासियों से नियम विरुद्ध टोल वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

15. श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पिछले कई दिनों से 15 से 20 वर्ष के बच्चों के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

16. श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले के छात्र की गुजरात में संदिग्ध मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

17. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से राजकीय कार्यालयों में नियुक्त संविदा कर्मियों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

18. श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. के अन्तर्गत राशि पुनर्भरण करने की विसंगतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री सुरेश मोदी, श्री विकास चौधरी, श्री रविन्द्र सिंह भाटी एवं श्री मनीष यादव को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती शिमला देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में।

2. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से सूचना सहायक भर्ती, 2023 की अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के संबंध में।

3. श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने के संबंध में।

4. श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करणपुर के विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में बरसाती पानी की निकासी की समस्या का समाधान किये जाने के संबंध में।

5. श्री रामनिवास गावड़िया, सदस्य की ओर से किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर नियम से अधिक टोल नाकों को हटाये जाने के संबंध में।

6. श्री धर्मपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

7. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से भरतपुर शहर में यू.आई.टी. स्कीम नम्बर 13 के पास स्थित आवासीय कॉलोनियों के निवासियों को नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री उदयलाल भडाणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डल में जनता क्लिनिक खोले जाने के संबंध में।

9. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की कार्यकारिणी के कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में।

10. श्री भैरा राम चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में सिंगल फेज कृषि कनैक्शन जारी किये जाने के संबंध में।

11. श्री अंशुमान सिंह भाटी, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर लिफ्ट परियोजना की सामूहिक डिग्गी योजना का टैरिफ कोड सामान्य कृषि कनेक्शन के समान किये जाने के संबंध में।

12. डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर में जीरा मण्डी में भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया की जांच करवाकर मण्डी का संचालन शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

13. श्री प्रशान्त शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायत रोजदा में सहायक अभियन्ता कार्यालय को लेकर ग्रामीणों द्वारा दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य की ओर से चूरू जिले में किसानों को बकाया फसल बीमा क्लेम का भुगतान कराये जाने के संबंध में।

15. श्री सुखवंत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के गोविन्दगढ़ एवं बड़ौदामेव में बस स्टेण्ड भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन किये जाने के संबंध में।

16. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में किसानों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में।

17. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से वीर हनुमानजी मंदिर, सामोद में रोप-वे का संचालन पुनः प्रारम्भ करवाने सहित विकास कार्य कराये जाने के संबंध में।

18. डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में।

19. श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर में ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को मुआवजा दिए जाने के संबंध में।

20. श्री उमेश मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसपुर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों के द्वारा दी गयी सूचना पढ़ी हुई मानी जायेगी।

इसका एक ही अर्थ है, आपको उत्तर सभी के आयेंगे।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट .... देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 21.03.2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 46 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	मा. सदस्य का नाम	विषय
1.	श्री राम सहाय वर्मा (रेगर)	जंगली सूअर एवं बंदरों के आंतक से आमजन को हो रही असुविधा के संबंध में।
2.	श्रीमती अनिता भदेल	अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए सेवन वंडर्स के संबंध में।
3.	श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी	राजसमंद झील के किनारे स्थित ऐतिहासिक स्थलों पर कैफेटेरिया एवं जलपान गृह की सुविधाएं विकसित करने के संबंध में।

4.	श्री गणेशराज बंसल	भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में भाखड़ा परियोजना के सिंचित क्षेत्र से संबंधित किसानों का प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने के संबंध में।

श्री सुरेश मोदी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नीमकाथाना में बच्चों की गुमशुदगी के प्रकरण

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पिछले कुछ दिनों से युवा बच्चे गायब अथवा अपहरण किये जा रहे हैं, जो एक गंभीर मामला है। मैं कुछ मामले आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं एवं शीघ्र कार्यवाही का आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एफआईआर नम्बर 67 कोतवाली थाना, नीमकाथाना हिमांशु पुत्र मुरारी लाल, निवासी टीबा का मौहल्ला, छावनी नीमकाथाना, उम्र 17 वर्ष, 4 मार्च से गायब है। इस बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं है। यह घर से चाट खाने के लिए निकला था। आज तक वापस नहीं आया है। एफआईआर नम्बर 70, सदर थाना, नीमकाथाना, विष्णु सैनी पुत्र नानग राम सैनी, आयु 17 वर्ष, ढाणी जोशी वाली, पंचायत मावंडाकलां यह भी 4 मार्च से गायब है। तीसरा मामला कोतवाली थाने का है, दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा, वार्ड नम्बर 6, पथवारी का मौहल्ला, नीमकाथाना का रहने वाला है। यह 19 तारीख से गायब है।

पुलिस की कार्यवाही से परिवारजन संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि पुलिस ने कोई प्रयास अभी तक नहीं किया है। पुलिस के लिए यह लास्ट प्रायोरिटी का मामला हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठकर के बात करें। एक-एक करके आयें, बैठकर बात करें। इनका घेराव मत करो सदन में।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): परंतु जिस परिवार का जवान बच्चा गायब हुआ है, उनकी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई है। परिवार में चूल्हा तक नहीं जल रहा है।

spp/Rtm/21.03.25/12.10/1h

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इन तीनों मामलों में टीम गठित कर जल्द से जल्द कार्यवाही करावें और दिखवायें कि यह कोई संगठित गिरोह अपहरण की साजिश करके इन बच्चों को अनैतिक कार्यों में तो नहीं लगवा रहा है। बच्चे अलग-अलग जाति के हैं, अलग-अलग जगहों के रहने वाले हैं। इन तीन में से दो तो एक ही समय, एक ही तारीख पर गायब हुए हैं। अतः सरकार इस मामले की गंभीरता को ध्यान से लेवे और इस पर शीघ्र कार्यवाही करावे। कोई स्पेशल टीम इसके लिये लगावे। धन्यवाद।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

स्थगन प्रस्ताव व पर्ची के विषयों के समय सम्बन्धित मंत्रीगण व अधिकारियों की उपस्थिति सरकार सुनिश्चित करे

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय मंत्रीजी, एक मेरा आग्रह है कि जिस दिन जो स्थगन लगें या जिनकी पर्ची आये, कम से कम सम्बन्धित मंत्री सदन में बैठें। उत्तर देना, नहीं देना उनके ऊपर है, मंत्री के साथ सम्बन्धित अधिकारी भी बैठें, इसको सुनिश्चित करें। अभी गृह मंत्रालय का स्थगन है और गृह मंत्री नहीं बैठे हैं तो इनको कौन नोट करेगा।

श्री विकास चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भीलवाड़ा के छात्र की गुजरात में संदिग्ध मृत्यु

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति-संवेदनशील विषय लेकर आपके बीच में आया हूं। भीलवाड़ा जिले के जबरकिया गांव निवासी एक नौजवान, जो UPSC की तैयारी गुजरात के राजकोट में कर रहा था, उस UPSC की तैयारी करने वाले छात्र के पिता वहां पावभाजी का व्यवसाय करते थे। उसकी 04 मार्च को संदिग्ध रूप में बॉडी मिली। वहां का ACP कह रहा है कि बॉडी पर 42 निशान हैं। लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि आज 17-18 दिन बीत जाने के बाद में इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि FIR दर्ज करवाये। गुजरात की सरकार से निवेदन करे कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठे। जब देश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और गुजरात का विकास मॉडल आप पूरे देश में लेकर जाना चाहते हो और एक तरफ किसान के बेटे को न्याय नहीं मिलता, इससे बड़ी विडम्बना इस राजस्थान के लिये हो नहीं सकती। **(समय समाप्ति सूचक घंटी)**

मैं आपके माध्यम से सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करके CBI की जांच की अनुशंसा चाहता हूं। मारवाड़ी समाज पूरे राजस्थान में भामाशाहों के रूप में काम करता है, अपने क्षेत्र की स्कूलों को, प्याऊ को, यहां की धर्मशालाओं को वह हमेशा संचित करता है। यदि मारवाड़ी लोग प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाये तो इससे बड़ा पाप हमारे लिये कोई हो नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से इस अति-संवेदनशील विषय में कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को गंभीरतापूर्वक गुजरात की सरकार से बात करनी चाहिये और इसकी CBI से जांच होनी चाहिये। पूरा भीलवाड़ा आक्रोशित है, पूरा किसान वर्ग आक्रोशित है और पूरा मारवाड़ी समाज आक्रोशित है। मैं आपकी बात दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इस सदन के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आ गया सब। श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

राजकीय कार्यालयों में कार्यरत संविदाकर्मियों का शोषण

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुझे प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या और विशेषकर, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो आज कहीं-न-कहीं संविदा के रूप में अलग-अलग कार्यालयों में, अलग-

अलग जिलों में लगभग पूरे राजस्थान भर में लगे हुए हैं। मैं उनकी पीड़ा को आज प्रदेश की सरकार के सामने और इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि लगभग हर आफिस में चाहे वे कहीं के भी हों, किसी भी विभाग के हों, आज वे आफिसेज चल रहे हैं तो संविदाकर्मियों की बदौलत चल रहे हैं। उन संविदाकर्मियों की बात, उनके हक, उनके अधिकार, उनकी मांगों को अभी तक गौर से सुना नहीं गया और उन पर कोई विशेष काम नहीं किया गया। मेरा प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन का गठन किया जाये, ताकि उन संविदाकर्मियों की बात को सुना जाये, उन पर निर्णय लिया जा सके। साथ ही साथ, मेरा निवेदन यह भी है कि जितने भी संविदाकर्मी हैं, उनको जो सैलेरी मिल रही है, वह आज न्यूनतम, जो अन-स्किल्ड लोग हैं, उनसे भी कम सैलेरी उन्हें मिल रही है। मेरा निवेदन है कि प्रतिवर्ष उनकी आय में वृद्धि कैसे कर सकें, इस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

साथ ही साथ, मेरा निवेदन यह है कि क्योंकि संविदाकर्मी फिट भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं और जो भी काम्पीटिशन एग्जाम जो संविदाकर्मी भाई दे रहे हैं, तो उसके अन्दर उन्हें अतिरिक्त बोनस अंक दिया जाना चाहिये ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा सलेक्शन भी हो। मेरा साथ ही साथ, निवेदन है कि जो उनकी सैलेरी आ रही है, उनको सीधे उनके बैंक खाते में मिले। इसके साथ ही जो संविदाकर्मी हैं, उनको नियमित करने की भी मांग मैं प्रदेश की सरकार से करना चाहूंगा। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके साथ ही जनता जल योजना के माध्यम से 6 से 7 हजार कार्मिक लगे हुए हैं, पम्प चालक लगे हुए हैं, मैं उनकी बात भी करूंगा। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग में फायरमैन और ड्राइवर के संविदाकर्मी हैं, मैं उनके लिये भी निवेदन करूंगा। साथ ही साथ, UTB जो हमारे राजस्थान नर्सिंग आफिसर हैं, उनके लिये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसके साथ ही कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक के रूप में जो 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी भी बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। साथ ही NHAM के माध्यम से जो हमारे CHO हैं, उनकी रिक्वेस्ट भी मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। इसके साथ ही जो पंचायत सहायक भर्ती के लिये रिक्त पद हैं, उसमें समायोजित करने का निवेदन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामसहाय वर्मा। पर्ची, श्री रामसहाय वर्मा।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: हां, आपका रह गया। श्री मनीष यादव।

निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. के अन्तर्गत राशि के पुनर्भरण में विसंगतियां

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आपको याद आ गया दुबारा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और पूरे प्रदेश का ध्यान आज जो RTE के तहत, RTE कानून जो शिक्षा का अधिकार 2009 में UPA सरकार द्वारा लाया गया था और

उसके अन्तर्गत प्राइवेट शिक्षण संस्थान में 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को नि:शुल्क अध्ययन करवाने का प्रावधान है। मैं इस विषय में आपसे कहना चाहता हूं कि जो यूनिट कॉस्ट है, 2016 से पहले 17,582 रुपये प्रति बालक को यूनिट कॉस्ट के रूप में खर्चा दिया जाता था। उसके बाद में बीते 7 वर्षों में यह घटाकर 13,535 रूपये कर दिया गया। यह स्कूल मेनेजमेंट पर आर्थिक भार का बड़ा कारण है। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 के लिये LIC ने यूनिट कॉस्ट का आंकलन कर कम से कम 22,500 रुपये का प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग को मंजूरी के लिये भेजा था। लेकिन सरकार ने इसमें रूचि नहीं दिखाते हुए यूनिट कॉस्ट बढ़ाने के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए अब केवल 13,535 रुपये देना तय किया है, जो उचित नहीं है तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रतिकूल है। यह यूनिट कॉस्ट सरकारी विद्यालयों में खर्च होने वाले प्रति बालक के औसत खर्च से निर्धारित की जाती है।

दूसरा, PP3, PP4, PP5 जो एक से पहले की तीन कक्षाएं हैं, इनका 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में आर.टी.ई. के तहत विद्यार्थियों को नि:शुल्क अध्ययन करवा रहे थे, जिनका सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन भी करवाया गया है। 2012-13 से लेकर 2021 तक का भुगतान इनको किया जा रहा था। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में भी इन विद्यालयों को इन कक्षाओं का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति में भी नर्सरी कक्षाओं का अध्ययन और अध्यापन अनिवार्य किया गया है। इसलिए उनका भुगतान की सरकार कराये। अत: मैं पूर्ण रूप से आशा रखता हूं कि इस विसंगति पर पुनर्विचार करते हुए इनको यूनिट कॉस्ट बढ़ाकर 22,500 रुपये देने का प्रस्ताव सरकार मंजूर करे। राजस्थान में ऐसे 50 हजार विद्यालय हैं जिनमें गरीब विद्यार्थी, सामान्य परिवार का विद्यार्थी 25 प्रतिशत की संख्या में, जिनकी संख्या 15 लाख होगी, वह पढ़ता है, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हो गया विराजें। श्री रामसहाय वर्मा। पर्ची पर बोलो।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जंगली सूअरों एवं बंदरों के आतंक से आमजन को कारित असुविधाएं

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र के पीपलू में सूअरों और बंदरों का इतना आंतक है कि सूअर तो जो तारबंदी हो रही है, उसके नीचे से गड्ढा खोदकर पूरी फसल को खराब करते हैं। बंदर इतने समझदार हैं कि वे पहाड़ से नीचे आकर घरों में से फ्रिज को खोलकर सामान निकालकर ले जाते हैं। इसकी कोई माकूल व्यवस्था राजस्थान लेवल पर हो। यह केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही विषय नहीं है, यह विषय पूरे राजस्थान का है। इसके ऊपर सरकार को मैं विशेष निवेदन करूंगा, मंत्रीजी को विशेष निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: समझदार है, ये तो खुश ही होते हैं। पर आपसे कम समझदार हैं, यह मान

लिया।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): मैं पक्ष-विपक्ष दोनों की बात उठा रहा हूं। मैं केवल हां पक्ष की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सबकी बात उठा रहा हूं, क्योंकि सूअरों का आतंक इतना हो गया है कि आने वाले समय में हमारी सारी फसलें चौपट हो रही हैं। यह चिंता का विषय है। मैं निवेदन करूंगा सरकार से और हमारे मंत्रीजी से कि इसके लिये उचित कदम उठाने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष: ध्यान में आ गया। आप बैठिये। अगला श्रीमती अनिता भदेल। विराजिये। ...(व्यवधान).. विधान सभा में नहीं हैं।

अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाये गये सेवन वंडर्स

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर विषय मैं पर्ची के माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। माननीय मंत्रीजी को मैं बताना चाहूंगी कि अजमेर स्मार्ट सिटी की घोषणा हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने उस समय की थी, जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हिन्दुस्तान में लोग जानते नहीं थे। अजमेर और बनारस, इन दोनों शहरों की घोषणा एक साथ हुई। उसके बाद में एक हजार करोड़ रुपया अजमेर को भी मिला स्मार्ट सिटी के तहत। पर बहुत ही दुर्भाग्य की बात मैं कहना चाहूंगी कि लगभग करोड़ रुपये से बनने वाले सेवन वंडर्स लव-कुश में बनने वाला फूड कोर्ट, आजाद पार्क में बनने वाली बिल्डिंग।

jyg/Rtm/21.03.25/12.20/1j

और इसके अतिरिक्त गांधी स्मृति वन को हाई कोर्ट ने, पहले एनजीटी ने 2015 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को बताना चाहती हूं कि डीबी सिविल रिट पिटिशन 883/2015 रवि नरचल बनाम राजस्थान सरकार द्वारा दर्ज करायी गयी, लेकिन इसमें हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको दरकिनार किया गया, उसको नहीं माना गया। उसके बाद में एनजीटी में आपको ध्यान है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने और हमने, सबने शिकायत की थी, केन्द्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, कांग्रेस के राज में, माननीय मंत्रीजी, 2021 में हमारी जो रीजनल कॉलेज के सामने वाला जो आनासागर का वेटलैंड है, उस आनासागर के वेटलैंड पर सेवन वंडर्स बनाने की कार्यवाही हुई जबकि हमारी चाहत थी कि हम नई बिल्डिंग बनायें रेलवे स्टेशन पर, नई बिल्डिंग बनाये हम बस स्टैंड पर, हम लोगों की सुविधाओं के लिए, कचरा परिवहन के लिए नये संसाधन इकट्ठा करें, लेकिन उसको दरकिनार करके वो सेवन वंडर्स बनाये गये, उन सेवन वंडर्स को अब सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिये, हद तो तब हो गयी, सरकार के अधिकारियों की आंखें तब खुली जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको तोड़ने का आदेश दे दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं

कि जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने गलत एनओसी जारी की, गलत जगह पर बनाया और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने को कहा, 81 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य, 81 करोड़ रुपये किसको कहते हैं? उनको तोड़ने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और अब सेवन वंडर्स वहां से हटाया जा रहा है, फूड कोर्ट वहां से हटाया जा रहा है। तो जिस भी स्मार्ट सिटी प्राधिकरण ने इसको तोड़ने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, जो स्मार्ट सिटी प्राधिकरण के अधिकारी थे उस समय के, जो एडीए के अधिकारी थे, जो नगर निगम के अधिकारी थे, उनकी रेस्पोंसिबिलिटी तय होनी चाहिए। यह जनता का पैसा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इसलिए उनकी रेस्पोंसिबिलिटी तय करके उन अधिकारियों से यह पैसा वसूलना चाहिए और वसूल करके खजाने में जमा कराना चाहिए तभी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अक्षरशः पालना होगी। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द झील के पर्यटक स्थलों पर कैफेटेरिया
एवं जलपान गृह की सुविधाओं का विकास

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से राजसमन्द झील के पर्यटन विकास से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द झील न केवल राजस्थान की बल्कि इस देश की वन ऑफ द बिगेस्ट मेन मेड लेक्स में से आती है और राजसमन्द झील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व से भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल की तरह स्थापित हुई है। इस झील के अराउण्ड यदि ट्यूरिज्म डवलप किया जाये, आसपास में कैफेटेरिया या जलपान गृह की परमिशन मिले, क्योंकि तीन ऐसे हमारे यहां पर, रूठी रानी महल है, नौ चौकी पाल है, इर्रिगेशन पाल है, यह राजसमन्द झील के अराउण्ड बनी हुई है। जिसमें अधिकतर भूमि एएसआई में आई है और कुछ पीडब्ल्यूडी के डाक बंग्लो है, कुछ इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के पास में वो सारे खण्डहर हो रहे हैं सारे ऑफिसेज, क्योंकि पुराने हैं। अगर ट्यूरिज्म को बढ़ावा देना है जो कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी एक बड़ा इस बजट में रहा है कि ट्यूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी और इसमें दो-तीन अलग-अलग एजेंसीज आयेंगी, जिनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा लेकिन उनके माध्यम से अगर हमें यह परमिशन मिले कि पीपीपी मॉडल पर कैफेटेरिया या जलपान गृह बनाने का तो ट्यूरिस्ट आते हैं, उनको भी सुविधा मिलेगी क्योंकि वहां पर देखने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन कहीं भी रुकने के लिए जगह नहीं है, पर्याप्त स्थान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि कैफेटेरिया या कोई जलपान गृह यहां पर अलॉट कराया जाये या उन्हीं पुरानी जो बिल्डिंग्स या जो कंस्ट्रक्शंस बने हुए हैं, वहीं पर हम जीर्णोद्धार करके वहीं पर पीपीपी मोड पर चला सकते हैं, इससे न केवल ट्यूरिज्म बढ़ेगा

बल्कि राजसमन्द झील पूरे प्रदेश में अच्छा आकर्षक स्थान बन सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री गणेशराज बंसल।

भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में किसान प्रतिनिधि की नियुक्ति

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, बीवीएमबी जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत हितबद्ध राज्यों के पानी के हिस्से का निर्धारण करता है, लेकिन उक्त निर्धारण के आधार या मापदण्ड को लेकर अक्सर स्थानीय किसानों द्वारा असंतुष्टि प्रकट की जाती है जिसका मुख्य कारण सूचना के समय पर प्रसार का अभाव है। जिसके समय सामंजस्य हेतु भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान राज्य के भाखड़ा परियोजना के सिंचित क्षेत्र से सम्बन्धित किसानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना न्यायोचित है, ताकि उक्त सदस्य किसानों और प्रबंधन के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सूचनाओं का सही प्रचार-प्रसार कर सकें और बोर्ड के अन्दर अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण हमारे क्षेत्र को पूरा पानी नहीं मिल पाता है जिससे किसानों की फसलें पूरी नहीं पकतीं और किसान हमारे बिना पानी के फसल न उगने से परेशान हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में संज्ञान लेते हुए हमारी डबल इंजन की सरकार, केन्द्र सरकार के समक्ष भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, बीवीएमबी में राजस्थान राज्य के भाखड़ा परियोजना के सिंचित क्षेत्र से सम्बन्धित किसानों का प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने हेतु अपना पक्ष रखे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्षः उस समय हो गया, उस समय कहते, अभी नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)ः अभी तो पर्ची खतम नहीं हुई है।

श्री अध्यक्षः नहीं, उस समय जब आपका था, ये खड़े होते तो मैं अनुमति दे देता। अब तो हो गया अगला भी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री फूल सिंह मीणा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, वेदांता ग्रुप द्वारा

जावर माइन्स क्षेत्र में लोकहित के विरुद्ध कार्य

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से,

ध्यान आकर्षण के माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वेदांता ग्रुप के द्वारा माइनिंग करके टेलिंग डैम का जो निर्माण किया गया है, उसकी वजह से जहरीली गैस भी आ रही है।

श्री अध्यक्षः आप इस पर ध्यान आकर्षित करो, फिर आप बोलना।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे इस माइन्स में अनियमितता है, उस पर मार्गदर्शन करें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से यह मुद्दा चल रहा है, हिन्दुस्तान जिंक की वहां पर जो माइनिंग चल रही है, उसकी स्लरी है, इसके अन्दर यह भी है कि हिन्दुस्तान जिंक का पंचायतों के साथ कोई समझौता हुआ था, कोई एग्रीमेंट हुआ था, उसके पश्चात् पानी की टंकी भी हिन्दुस्तान जिंक ने बनायी, उन्होंने पाइप लाइन भी बिछायी और उन्होंने फिल्टरेशन प्लांट भी लगाया लेकिन एक बार धरना भी हुआ, उसके पश्चात् सरकार ने जो आईबीएम और डीजीएमएस है, इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स अण्डर माइन्स मिनिस्ट्री और डाइरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी, ये दो बॉडीज सरकार के अन्दर बनी हैं, ये जितने भी ऐसे इश्यूज आते हैं उनके अण्डर आते हैं तो हम उनके थ्रू जांच करायेंगे और इनकी समस्या, इनका क्या एग्रीमेंट हुआ और क्या कानून का उल्लंघन किया गया, उनके थ्रू हम इसकी जांच करा देंगे।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी द्वारा जो उत्तर मंगवाया गया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सीट पर बैठ कर बात करें, नहीं तो हां लॉबी में बैठकर बात करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्रीजी ने जवाब मंगवाया, लेकिन ये जवाब जो लिखकर लाये हैं वो केवल गोलमाल जवाब लिखकर लाये हैं। इस जवाब के अन्दर यह लिखा है कि टेलिंग डैम पुराना बना हुआ है, उसमें कोई मवेशी नहीं मरे हैं, यह मेरे पास देख लो, यह 2018 से 2023 के बीच में भी लिखा और पढ़ा है और अभी क्वेश्चन लगाया है। उसमें ये मवेशी मरे हुए दिख रहे हैं, वहां धुआं उठता हुआ दिख रहा है, अभी वर्तमान में वहां पानी में फ्लोराइड है। नीचे वो कहते हैं फिल्टर पानी दे रहे हैं तो यह बर्तन में पानी कैसे जम रहा है? वो यह कह रहे हैं कि हमने टंकी बनायी है और वहां के लोगों ने उसके पाइप को तोड़ दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की? वो टैंकर द्वारा पानी ले जा रहे हैं, टैंकर द्वारा पानी ले जा रहे हैं तो रोड पर खड़े करते हैं, वहां ट्राइबल एरिया है और मगरों पर एक-एक, दो-दो किलोमीटर तक टंकी से पानी मिले तो उनके नल चला जाये। मटकी लेकर कैसे जाये? प्रधान मंत्री जल स्वावलम्बन योजना में जो हमारी वास्तव में घर-घर नल योजना है और यह माइनिंग से करोड़ों रुपये कमा रहे हैं और दूसरे जिलों में भी वहां पर वो खर्च कर रहे हैं, वहां पर शुद्ध पानी पीने का देने की बात की थी वो क्यों नहीं दे रहे हैं?

MLS/RTM/21.03.2025/12:30/1k

अब वो यह कह रहे हैं कि तोड़ दिया तो उनके ऊपर कार्यवाही करें। जो वास्तव में वहां पर माइनिंग के अन्दर कम से कम 500, 600, 800 फीट नीचे जो प्रदूषित धुआं है, उसको ब्लोअर्स के द्वारा बाहर लाकर डालते हैं, जिससे पेड़-पौधे और फसल नष्ट हो रही है। उस फ्लोराइड युक्त पानी और प्रदूषित हवा से हमारे वहां के लोगों में सिलिकोसिस बीमारी घर कर रही है। हमारे गरीब, आदिवासी एरिया में इतने करोड़ों रुपये कमाकर हमें शुद्ध जल नहीं दे रहे हैं। यह प्रदूषित जो टेलिंग डैम, कहते हैं कि हमने नहीं बढ़ाया और वहां पर फेंसिंग दीवार की है, पौधे भी नहीं लगा रहे हैं, पेड़-पौधों की बात कर कहते हैं कि हमने लाखों-करोड़ों पौधे लगा दिये हैं तो वहां पर पौधे कितने जीवित हैं? उन्होंने हर वर्ष कितने पौधे लगाये और आज की तारीख में कितने जीवित हैं? मंत्री महोदय, यह बताइये आप तो कि उन्होंने क्या-क्या इसके लिए किया है और अब आगे क्या योजना है? इसके बारे में बताएं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही आश्वासन दे दिया माननीय सदस्य को कि केन्द्र सरकार की जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स है और डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी है, इनको हम पिक्चर में लाकर पूरी जांच कराएंगे। उसके अलावा भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे जो निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। यह विवाद बहुत समय से चल रहा है। इसके अन्दर कई मुद्दे आते हैं, जो स्लरी के बारे में, टेलिंग डैम जो है, टेलिंग क्या चीज होती है कि जो जिंक निकलता है, वह बहुत कम मात्रा में निकलता है, बहुत छोटा अमाउंट निकलता है और उसकी जो स्लरी होती है, जिसमें पानी का भी कंटेंट होता है तो दो पहाडियों के तीन हिस्सों को लेकर उसकी एक दीवार बना देते हैं और उसको भरते जाते हैं।

अब डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट्स आयी हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं कि जानवर वहां पर स्लरी के अन्दर जाकर डूबकर मर जाते हैं, वहां पर आपकी कृषि भूमि जो है, उस पर इफेक्ट है, आपका जो पानी के लिए एग्रीमेंट हुआ था कम्पनी के साथ, वह सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जबकि टंकियां बन गयी थीं, पाइप लाइंस बन गयी थीं, कई टंकियां बनी थीं, फिर लोगों ने उन पाइप लाइंस को भी तोड़ दिया था। अब ये चीजें जो हैं, बहुत मुद्दे हैं इसके अन्दर, इसके अन्दर बहुत इश्यूज हैं, तो यह मैंने आपको बोला कि आईबीएम और डीजीएमएस को पिक्चर में लाकर एक उच्च स्तरीय कमेटी हम बैठाकर निष्पक्ष जांच कराकर इस पर तुरन्त एक्शन लेंगे।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि वास्तव में टेलिंग डैम गर्मी के दिनों में सूख जाता है और जो हवा चलती है, आन्धी के साथ वह सारा मलबा फसल और गांव में जाता है, उसको भी अगर, या तो वे पानी का छिड़काव रोजाना करें या फिर उसके अन्दर ऐसा इन्तजाम हो कि सूखा मलबा हमारे गांव के लोगों के बीच में न आये और फसल को नष्ट न करे। कम्पनी द्वारा यह कहा

गया कि धरना-प्रदर्शन नहीं किया, तो यह न्यूज अख़बार की भी है। आपको मैं वीडियो भी बता दूंगा कि वास्तव में हमने, मंत्री महोदय को मैं और अवगत करा दूंगा, आपसे उम्मीद है मंत्री महोदय...।

श्री अध्यक्षः आपका विषय आ गया।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, इन माइन्स के द्वारा जो अनियमितता हो रही है, जो शिकायत करते हैं, उन लोगों को घर पर बैठा देते हैं और उनको धमकी देते हैं कि तुम शिकायत करोगे तो तुम्हारे को रोजगार से निकाल देंगे। डर के मारे शिकायत भी नहीं करते हैं। इनके ऊपर अंकुश लगाएं ताकि हमारे गांवों को आपके माध्यम से सपोर्ट मिले।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्षः इसमें बीच में नहीं होता किसी का भी। नो। ...(व्यवधान)... अंकित ही नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में बार-बार आवाज उठती है, उसको दबा दिया जाता है।

श्री अध्यक्षः माननीय, इस मुद्दे पर नहीं। आप भी ध्यान आकर्षण लगा दो, आपको दे दूंगा। आप लोग भी लगाओ।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्षः भई, आपका विषय ही नहीं है न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्षः होगा, लेकिन आपने ध्यान आकर्षित कहां किया?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं, यह इश्यू तो आपकी सरकार के टाइम भी चल रहा था। यह कोई नया तो नहीं है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय एजेंसीज, एक्चुअली जिनके डोमेन में यह आता है, दोनों को लिखकर उनको बुलाएंगे और जो आप कहते हैं कि हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, हमारी सॉइल खराब हो रही है, सॉइल टैस्टिंग कराएंगे, वॉटर टैस्टिंग कराएंगे और थर्ड पार्टी से कराएंगे और एक स्पेशल जांच कमेटी बैठाकर आपकी यह जो रोज-रोज की समस्या आती है, उसको हम सुलझाएंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रस्ताव, श्री हमीर सिंह भायल। श्री हमीर सिंह भायल। (अनुपस्थित) ध्यानाकर्षण लगाते हैं, फिर नहीं आते हैं। श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

श्रीकरणपुर के केसरीसिंहपुर में नवीन मण्डी प्रांगण की स्थापना

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र करणपुर के केसरीसिंहपुर में नवीन मण्डी प्रांगण की स्थापना के सम्बन्ध में कृषि

विपणन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, कृषि उपज मण्डी समिति केसरीसिंहपुर के मण्डी प्रांगण की स्थापना के लिए भूमि अवाप्ति हेतु दिनांक 17.11.1994 को धारा 4(1) की विज्ञप्ति जारी करवायी गयी, जिसके विरुद्ध सम्बन्धित कृषक श्री सुरजीत सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल रिट पिटीशन 1697/1995 पेश की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 17.02.1999 द्वारा उक्त याचिका खारिज कर दी गयी थी।

याचिकाकर्ता द्वारा पुनः संशोधित सिविल रिट पिटीशन 1020/1999 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर की गयी, जिसमें निर्णय दिनांक 10.11.2016 राज्य सरकार एवं मण्डी समिति के विरुद्ध पारित किया गया।

कृषि उपज मण्डी समिति केसरीसिंहपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिव्यू पिटीशन संख्या 192/2017 प्रस्तुत की गयी, जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 06.05.2025 नियत है। मण्डी समिति स्तर से प्रकरण में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो जवाब आया है, उससे मैं इसलिए सन्तुष्ट नहीं हूं, क्योंकि एक तरफ तो सरकार, उस समय के हमारे निदेशक कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में यह बयान देकर आते हैं कि हम वह जमीन एक्वायर नहीं कर रहे हैं। उसी आधार पर सुरजीत सिंह को स्टे मिलता है और जो अपने विभाग ने नोटिफिकेशन लगायी थी, उस पर स्टे दिया जाता है, वह खारिज किया जाता है।

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है, पिछले 30 साल से यह मामला कोर्ट में चल रहा है, हम किसानों से मण्डी शुल्क भी ले रहे हैं, उनको कोई सुविधा भी नहीं दे रहे। आज किसान अपनी फसल बच्चों की तरह पालते हैं, मण्डी में लेकर आते हैं। मण्डी में उनकी फसल रुळ रही है। वहां कोई शेड नहीं है। बरसात में उनकी फसल खराब हो रही है। आवारा पशु उनकी फसल वहां खराब कर रहे हैं।

क्या सरकार कोई नयी मण्डी बनाने की योजना रखती है, क्योंकि सरकार जो यह जमीन एक्वायर करना चाहती है, लगभग 92 बीघा जमीन है, उसमें आधी से ज्यादा जमीन पर तो आवासीय कॉलोनी कट चुकी है तो हम कोर्ट में जाकर कौन सी जमीन एक्वायर करेंगे? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार कोर्ट का चक्कर छोड़कर किसानों के लिए नयी मण्डी स्थापित करने की कोई कार्य योजना बनाये ताकि किसानों की फसल बचे और उन्हें लाभ मिल सके।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, श्रीकरणपुर से आने वाले माननीय सदस्य की यह पीड़ा सही है कि केसरीसिंहपुर वास्तव में बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, वहां पर किसानों को वास्तव में समस्या आ रही है। काफी लम्बे समय से यह मण्डी

प्रांगण स्थापित होने का विषय चल रहा है और कोर्ट के माध्यम से रुका हुआ है। पहला विषय तो यह है कि जो कोर्ट में सुनवाई है 6 मई को, उसमें आश्वस्त करना चाहेंगे, राज्य के अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी तो होगी और साथ में अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से भी हम पैरवी करेंगे, ताकि निर्णय हमारे पक्ष में हो।

दूसरा विषय जो आपने रखा, उसमें यह है कि आज के समय में वह भूमि जिस पर यह विवाद न्यायालय में चल रहा है, उसमें काफी जगह लोगों ने कब्जा कर लिया है। यह बात आपकी सही है। यह वस्तुस्थिति सही है आपकी। मैं इस बात की विभाग द्वारा जांच करवाकर, यदि इसमें नहीं होता तो दूसरी मण्डी के लिए हम जरूर इसमें प्रयास करेंगे ताकि किसानों को न्याय मिल सके।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): मंत्री जी, कब्जा नहीं किया हुआ, सरकार द्वारा मंजूरशुदा आवासीय कॉलोनी कटी है वहां पर। कब्जा नहीं है वह।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कब्जा नहीं, मैं कह रहा हूं, काफी लोग मकान बना चुके हैं आधी आबादी में।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): इस समय वह जमीन बहुत कीमती हो चुकी है। ऐसे में कोई और आसपास जमीनें हैं तो आप उस तरफ संज्ञान लें और नयी मण्डी की घोषणा करवाएं। यही स्थिति मेरी गैसुंबर मण्डी की है, वह भी मामला कोर्ट में चल रहा है। इन दोनों मण्डियों का, आप हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं तो आपसे निवेदन है कि आप संज्ञान लें प्लीज।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वैसे माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर सरकार बिलकुल गम्भीर रहेगी, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, माननीय सदस्य के पिता जी भी इस विभाग के मंत्री रहे, यदि वे भी गम्भीर रहते तो समस्या का समाधान हो सकता था, पर सरकार जरूर गम्भीर रहेगी इस चीज पर।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): आपने मेरे पिता जी को कोट किया है, मेरे पिता जी ने कृषि विपणन मंत्री रहते हुए, जो मण्डियों की दशा थी 2008 से पहले और आज जो मण्डियों की दशा है, वह आपके सामने है।

MKD/RTM/21.03.2025/12:40/1I

मालिकाना हक उन्होंने दिया, किसानों के विश्रामगृह बनाया और मजदूरों के लिए विश्रामगृह बनाया, उनके समय ये काम हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हरिमोहन शर्मा।

याचिका

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं को उपस्थापन करता हूं:-

बून्दी शहर के कतिपय आबादी क्षेत्रों से 11 के.वी. हाईटेंशन लाइन को हटाना

(1) बून्दी शहर के घनी आबादी वाले वार्ड नं. 53, 54 एवं 55 से 11 के.वी. हाईटेंशन

लाइन को हटाने के सम्बन्ध में एवं

बून्दी में वन क्षेत्र के निकटवर्ती खसरों का आबादी क्षेत्र में परिवर्तन

(2) बून्दी शहर के वन विभाग की सीमा में आने वाले खसरों को आबादी क्षेत्र में परिवर्तित करवाने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रोहित बौहरा।

सरमथुरा (बसेड़ी) में खिन्नौट-चकईयापुरा के बीच पार्वती नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के उपखण्ड सरमथुरा में गांव खिन्नौट-चकईयापुरा के बीच से बहने वाली पार्वती नदी पर हाई लेवल ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनिवास गावड़िया। श्री रामनिवास गावड़िया। (अनुपस्थित)

श्री घनश्याम। याचिका लगाते हैं, फिर। श्री घनश्याम। (अनुपस्थित)

श्रीमती शिमला देवी। कोई सदस्य जो भी ध्यानाकर्षण लगायें या याचिका लगायें, सदन में उपस्थित रहना चाहिए।

क्षेमा जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी के द्वारा बीमा क्लेम का भुगतान

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से क्षेमा जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी के द्वारा बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री विनोद कुमार।

पीलीबंगा में रेलवे फाटक संख्या 81C पर अंडर ब्रिज का निर्माण

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील पीलीबंगा के रेलवे फाटक संख्या 81C (रामपुरा) पर अंडरब्रिज निर्माण कराने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पितराम सिंह काला।

पिलानी में एस.डी.एम. कार्यालय की स्वीकृति

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में एक एस.डी.एम. कार्यालय की स्वीकृति दिलवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री उमेश मीणा।

आसपुर में राजकीय महाविद्यालयों की स्वीकृति

श्री उमेश मीणा (आसपुर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र आसपुर में राजकीय महाविद्यालयों की स्वीकृति दिलवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: साधारणतया दो या तीन याचिकाएं होती थीं। मैं आठ-आठ याचिकाओं के

लिए अवसर दे रहा हूं, लेकिन कम से कम उसका लाभ, माननीय सदस्य उपस्थित तो रहें। ध्यानाकर्षण भी दो की जगह तीन पहले कभी-कभी लगते थे, इतना होने के बाद कम से कम विषय भी आए और आप लोग तैयारी करके भी आएं और उपस्थिति भी रहें।

विधायी कार्य। विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। श्री हेमन्त मीणा।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: इस पर बोलने वाले ज्यादा हैं और एक विधेयक और भी है, उस पर बोलने वाले पर्याप्त हैं। इसलिए समय-सीमा में ही अपने-अपने विचार रखेंगे तो सुविधा होगी। साधारणतया 5 मिनट रहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (अनुपस्थित)

डॉ. सुभाष गर्ग। ..व्यवधान.. ये तो विषय ही अलग-अलग हैं, एक जैसे होते तो फिर भी।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDEMENT AND VALIDATION) BILL, 2025 की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन, बिल के माध्यम से लाया जा रहा है। रेवेन्यू एक्ट 100ए के तहत, इसमें एक ऐसा प्रोविजन किया जा रहा है, मैं समझता हूं, आज का दिन निश्चित रूप से बड़े ही, मैं क्या शब्द यूज करूं। मतलब, प्रदेश की जनता हम लोगों को माफ नहीं करेगी।

रीको को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए, 2022-23 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि 1979 के बाद रीको के द्वारा जो लैंड एक्विजिशन, सब-डिवीजन, अलॉटमेंट ऑफ द लैंड या लैंड यूज के रूप में, जो एक प्रोविजन है, उसको बता रहा हूं, क्या अधिकार दे रहे हैं, "henceforth shall be deemed to be vested in it with effect from the date of the possession of the land was or is taken over by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) for disposal of such land in the manner prescribed by the State Government and for development and management of industrial areas." यह 1979 से पहले कुछ 38 एरियाज ट्रांसफर किये थे, उसको लेकर के हैं। लेकिन, बेसिक मुद्दा यह है कि रीको को क्या काम करना चाहिए। रीको को केवल अधिकार देना चाहिए इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, चाहे वह सब-डिवीजन कर दे और कुछ काम कर दे, डवलपमेंट कर दे। ये हम इसको अधिकार दे रहे हैं, लैंड यूज का, इसमें बड़ा खेला होने की सम्भावना है।

बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, इंडस्ट्रियल हाउसेज, जो सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर इंडस्ट्रियल लैंड लेते हैं और जब वह लैंड शहर की सीमा में आ जाती है और जब वह लैंड 10 हजार से

बढ़कर एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख की हो जाती है तो उसका लैंड यूज करने का अधिकार आप रीको को दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि ज्वैल्स, जवाहर लाल नेहरू मार्ग। इसको लैंड एक रुपये के टोकन पर दी गई थी और बाद में ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा मिलीभगत, उस लैंड को खुर्द-बुर्द कर दिया गया और वह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया था। आपके सामने उदाहरण है। जबकि उस लैंड अलाटमेंट में शब्द था कि यह लैंड केवल इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए दी जा रही है और जैसे ही इंडस्ट्रियल पर्पज खत्म हो जाएगा, स्वतः ही लैंड सरकार के अधीन हो जाएगी। करोड़ों-अरबों रुपये का घोटाला है। इसमें हम यह अधिकार दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको को अधिकार दीजिए, लेकिन लैंड यूज करने का जो अधिकार दे रहे हैं, इसमें बड़े-बड़े उद्योगपति, लैंड माफिया, बड़े-बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स शामिल होकर खेल करेंगे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक चीज और इसमें आप देखिए। मेरे पास ज्वैल्स का भी पूरा रिकॉर्ड है। आप चाहे तो मैं आपके उस पर पूरा पेश कर दूंगा। यह स्थिति बड़ी खतरनाक है। एक आपने इसमें कहा, जो कॉजेज दिये हैं, आप देखिए, इस अधिकार के द्वारा कह रहे हैं कि 1979 से, इस कानून के द्वारा हम क्या कह रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर रहे हैं कि 1979 के बाद, "therefore, the Sate Government deems it necessary to validate all actions taken by RIICO in these industrial areas from 18.9.1979 till the proposed Amendment and Validation Act comes into effect." मैं यह तो पहली बार देख रहा हूं। कोई भी एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स से, 1979 के द्वारा जो रीको के द्वारा काम कराये गये, उसको भी हम वैलिड करना चाह रहे हैं। इसके पीछे मकसद क्या है। इसके पीछे मकसद केवल माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि यह केवल बड़े-बड़े शहरों में जो भूमि शहर के अन्दर आ जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया का तो बेसिक पर्पज ही फेल हो रहा है। रीको को तो यह अधिकार ही नहीं देना चाहिए कि लैंड यूज का, लैंड यूज का परिवर्तन कॉमर्शियल भी कर देना फिर तो, फिर जेडीए का, डवलपमेंट अथोरिटीज का, लोकल बॉडीज का क्या रोल रहेगा? क्या जोनल डवलपमेंट में चैंज करने का अधिकार होगा? ले-आउट को चैंज कर देंगे,

आज मान लीजिए, वीकेआई एरिया है। यह शहरी सीमा में आ गया तो इसका विचारणीय प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप जनमत के लिए भेजिए। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये आप अपने अधिकार, अपने हाथ काट रहे हैं। आपको कोई पूछेगा ही नहीं, सरकार को ही नहीं पूछेगा।

रीको ऑटोनोमस आर्गेनाइजेशन है, जो चाहे कर लेंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्या खेल हो रहा है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

निश्चित ये अधिकारियों की, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, अधिकारियों की मिलीभगत है। ज्वैल्स की जांच, माननीय राजेन्द्र राठौड़, तत्कालीन उप नेता ने प्रेस कांफ्रेस

की थी, ज्वैल्स के मामले में, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम सीबीआई से जांच करायेंगे, उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

सीबीआई से जांच करायेंगे, एसीबी में भेजेंगे।

श्री अध्यक्षः प्लीज, श्री मनोज कुमार।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ज्वैल्स की जांच करवा लीजिए इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए वो भूमि अलॉट की गई थी। उसमें अलाटमेंट था कि इंडस्ट्रियल पर्पज स्वतः ही खत्म होने पर वापस सरकार के अधीन हो जायेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। (..व्यवधान..) पांच मिनट दिए, सात मिनट हो गये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अरबों रुपये की जमीन है, कौन है इसके पीछे? और उस फाइल को दबा दिया गया। डायरेक्टर, लॉ ने (..व्यवधान..)।

श्री अध्यक्षः 20-22 लोग हैं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, डॉयरेक्टर लॉ ने सिफारिश की थी, जेडीए के तत्कालीन, गुप्ता जी ने कि इसकी जांच सीबीआई को दी जाए, एसीडी को दी जाए, क्योंकि उसमें बड़े-बड़े लोग इंवोल्व थे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। माननीय मनोज कुमार।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री अध्यक्षः माननीय मनोज कुमार। 40 लोग हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई बात नहीं, अगले बिल पर कम बोल लेंगे। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य, अच्छी विषय वस्तु रख रहे हैं। कटौती पर तो बोलने दिया जाता है, इसमें समय-सीमा भी नहीं रहती है। विषय वस्तु से बाहर बोलें तो बिठा देना।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री अध्यक्षः विषय आ गया। विषय वस्तु तो है, पर टाइम तो हो रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बड़ा गम्भीर विषय है, साहब। आप इतना बड़ा एक्ट लेकर आ रहे हो (..व्यवधान..) ।

श्री अध्यक्षः आप बोलना आपको भी अवसर है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा भी है, लेकिन इनको तो बोलने दें आप।

श्री अध्यक्षः वो ही रिपीट कर रहे हैं। माननीय सदस्य। आपका विषय आ गया, आप रिपीट ही कर रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): (..व्यवधान..) मतलब बात ही रिकॉर्ड पर नहीं आये। क्या बात हो गई, आपने तीन मिनट (..व्यवधान..)। (..व्यवधान..) भ्रष्टाचार करना चाहते हैं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री अध्यक्षः बात हो गई ना। आपकी बात हो गई। हर सदस्य (..व्यवधान..), आपको

आठ मिनट दे दिये। देखिए, मेरे पास टाइम नोट है। आप टाइम नोट कर लो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: टाइम नोट है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस एक्ट को हम लागू करना चाहते हैं।

Bhs/Rtm/21.03.25/12.50/1m

आज उसका संशोधन करके हम रीको को, हमारी भूमि जो अलॉटमेंट होगी, उसका उपयोग करने के लिए उनका भू परिवर्तन करने के लिए एक नई कानून की व्यवस्था हम जो लागू करने जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी गंभीर बात है 1979, भूतलक्षी प्रभाव से अगर किसी कानून को लागू किया जाता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसी भी प्रदेश का हो नहीं सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप 1979 की जो बात कर रहे हैं 18.09.1979 से आपके रीको द्वारा किए गए किसी भी कार्य को आप रेगुलराइज करना चाहते हैं इस एक्ट के तहत। मैं कहना चाहता हूं कि देश में प्रदेश में कोई भी कानून बने, कानून की कोई भी परिभाषा हो, उसमें भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कानून को लागू नहीं किया जा सकता, भविष्य के लिए कानून बनाया जाता है इसलिए सबसे पहले तो मैं मांग करता हूं की आप इसको भूतलक्षी प्रभाव से जो लागू करना चाहते हो, 1979 से इसको इसमें से विलोपित किया जाए और इसको भविष्य के लिए लागू करने की कहीं बात करें फिर मैं इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि भूमि काश्तकारी अधिनियम है यह काश्तकारी का अगर इसमें शब्द है तो फिर इसमें साथ ही साथ में औद्योगिक और रीको को डालकर हमारे किसान की कहीं भूमियों का भी तो अतिक्रमण करने का प्रयास तो नहीं है? क्योंकि काश्तकारी अधिनियम में उन्हीं भूमियों को आप अवाप्त करने की बात कर सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आप की तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं अध्यक्ष महोदय को सीधा करूंगा तो फिर अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि आप मेरे को इंगित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बोलो-बोलो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं यह कहना चाहता हूं कि इस एक्ट के माध्यम से भूमि का कन्वर्जन करने की बात आएगी, तो आप कहीं हमारे उन किसानों की भूमियों को अवाप्त करके रीको को सौंप कर और उसके बाद रीको के हाथ में यह शक्ति देकर क्या आप इन अधिकारियों और हमारे इस सिस्टम को, उस भूमि को, गरीब किसान की भूमि को लेकर आप उनको सौंप कर उनको करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, इसलिए किसान के साथ अन्याय और जुल्म होगा इसलिए काश्तकारी अधिनियम में आप जो संशोधन कर रहे हो, यह सरासर गलत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर रीको को भी आप पॉवर देना चाहते हैं तो जो भूमि रीको को आप दे चुके हैं, रीको के पास जो भूमि आज के दिन है उस भूमि में अगर कोई कन्वर्ज़न करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन रीको को आप नयी भूमि देकर उनका कन्वर्ज़न करा करके उनको बेचना चाहते हैं यह सरासर हमारे कानून के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह काश्तकारी अधिनियम का एक विषय अगर हमारे सामने आया है तो किसान की बात है बहुत बड़ा सब्जैक्ट है। राजस्व मंडल, राजस्व बोर्ड और राजस्व से सम्बन्धित सारे प्रकरण जिस तरीके से हमारे राजस्थान प्रदेश में हमारे इन काश्तकारों के सामने जो अन्याय और जुल्म की लड़ाई है, जब यह न्यायालय में जायेगा, किसान के मुक़दमों का पहले से राजस्व न्यायालयों में अम्बार है और राजस्व न्यायालय इस कदर पहुंच गए हैं कि कोई भी किसी भी कोर्ट में जाओ चाहे आप प्राथमिक कोर्ट में जाओ, अपीलेट कोर्ट में जाओ, रेवेन्यू बोर्ड में जाओ, आप जहां जाओ वहां पैसे की दुकान खुली पड़ी है पैसे दो और ऑर्डर कराओ। यह किसान जब लड़ने जायेगा तो इन रीको वालों के सामने, इन उद्योगों के सामने उन राजस्व अधिकारियों के बाद, तालमेल करने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी...। 5 मिनट बस।

श्री अध्यक्षः 5 मिनट तो हो गये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः हां, तो 5 मिनट तो बोलने दो साहब, 3 ही मिनट हुए हैं अभी तक।

श्री अध्यक्षः एकाध मिनट में पूरा करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः 3 मिनट हुए हैं साहब, सारे।

श्री अध्यक्षः नहीं, 12 बज कर 49 सेकंड पर दिया है और अब 12.53 हो रहे हैं, 2 मिनट का समय और है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान प्रदेश में आपके उपखंड कार्यालय के 323 ऑफिस हैं, सहायक कलेक्टर के 48 और राजस्व फास्ट ट्रैक के न्यायालय हैं। आपके सामने इन सबको मिलाकर भी किसान चाहे तो अपने हक के लिए, चाहे वह अपने विभाजन के लिए, चाहे किसान अपने किसी रास्ते के लिए इन अदालतों में जाता है, ये अदालत नहीं, ये अदालत की दुकान, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। यहां न्याय नहीं, यहां सिर्फ फैसला न्याय बिकता है और न्याय को अगर बिकने से रोकना चाहती है राजस्थान की सरकार तो मैं कहना चाहता हूं कि यह राजस्व मंडल के सारे सिस्टम को रोकते हुए आप राजस्व न्यायिक पालिका लागू करने का काम करें, जो न्यायिक, जुडिशियरी लोगों को लगाओगे तो अधीनस्थ न्यायालय सारे ठेका पद्धति पर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार में चल रहे हैं, राजनीतिक दबाव में चल रहे हैं, चाहे इस पक्ष के हों, चाहे इस पक्ष के हों, चाहे मैं हूं लेकिन ये न्यायालय फैसले करते हैं इनकी पोस्टिंग हमारी दया और दृष्टि से होती है तो ये फिर हमारी दया और दृष्टि से फैसले करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि राजस्व न्यायालय को बंद किया जाए और इसके स्थान पर आप राजस्थान में राजस्थान न्यायिक सेवा का गठन करें और न्यायिक न्यायालय लागू करने चाहिए, नहीं तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के वो किसान, वह जवान जो अपनी भूमि को बचाना चाहता है, वह किसान आप को वोट देकर हम सबको ताकत देकर इस सदन में भेजता है और इस सदन में भेजने का उद्देश्य है कि हम उनके हितों की लड़ाई लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर हमें इन भ्रष्टाचारियों को रोकना पड़ेगा, इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना पड़ेगा। यह मजबूरी हो सकती है कि हम चंद समय में सत्ता और सरकार में हो सकते हैं उस समय आप अपने कुछ फैसले करा सकते हो लेकिन आमजन के लिए पीड़ा का साधन बन गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि यह आप काश्तकारी अधिनियम जो लेकर आये हैं इसको जनमत जानने के लिए या प्रवर समिति को भेजने का प्रयास करें, जिससे इस राजस्थान के हित में फैसले हो सकें और जो ये राजस्व न्यायालय चल रहे हैं इनको आप राजस्व न्यायिक न्यायालय बनाने का काम करें, यही मेरी मांग है। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबने अपने-अपने विचार रखे। मैं तो सर्वप्रथम यह कहना चाहूंगी कि मैं इस सरकार का, भजन लाल जी की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि कोई ऐसा डिसिजन, जो सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2023 में आया और पूर्ववर्ती सरकार को उसी दौरान उसके ऊपर सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था उन्होंने नहीं सोचा और हमारी सरकार यह विधेयक लायी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। ...(व्यवधान)... मैं अपनी बात रख रही हूं, 2023 अप्रैल में तो आप ही की सरकार थी टीकाराम जी, हमने तो दिसंबर ...(व्यवधान)... हां, वह आपने क्योंकि नहीं किया काम, क्योंकि आपको जो निर्णय लेना था वह नहीं लिया इसीलिए आपकी सरकार अब विपक्ष में बैठी है और अब हम अपनी सरकार में यह विधेयक ला रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आप विषय पर आइये। 4 मिनट और हैं।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे पॉइंट किसानों को लेकर रखे गए लेकिन यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है कि रीको को मर्जर करने के लिए, कन्वर्ज़न करने के लिए, उप विभाजन करने के लिए हम उनको यह अधिकार दे रहे हैं जिन्होंने रीको में ऑलरेडी लैंड ले रखी है, आज जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जब हम राइज़िंग राजस्थान की बात करते हैं, जब हम यह बात करते हैं कि इस प्रदेश में हमें रोजगार मिटाना है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत है भले वह

इंडस्ट्रियल की हो, टूरिज्म की हो, किसी की भी, जो रीको हेल्प करता है उन इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो आयें और यहां पर रोजगार दे सकें, यहां पर इंडस्ट्री लगा सकें और उन चीजों में जो तकलीफें आती हैं, जो कठिनाई आती है उसको सरल करने की एक प्रक्रिया है। इस विधेयक से हमें स्पष्ट यह ज्ञात हो रहा है कि उस इंडस्ट्रीज़ को हम अपने यहां पर राजस्थान के अंदर न केवल वेलकम कर रहे हैं बल्कि उनको जो भी कठिनाई आ रही है उसको हम दूर कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा रहा है यह और क्लियर कर रहा है इन चीजों को कि किस तरीके से ट्रान्सपेरेंसी डवलप हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ इसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि जब इंडस्ट्रीज़ आती हैं और उनको जो-जो दिक्कत आई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ था तो जिन्होंने ऑलरेडी रीको में इन्वेस्ट कर रखा है उस लैंड में इन्वेस्ट कर रखा है ये उन सब इंडस्ट्रियल जो लैंड ओनर्स हैं उन लोगों को कहीं न कहीं हेल्प करेगा ताकि वह आराम से कन्वर्ज़न करा सकें और अपनी इंडस्ट्रीज़ को बिना किसी प्रॉब्लम के यहां पर ला सकें। कहीं न कहीं यह विधेयक उस उपेक्षा और निष्क्रियता के दौर को समाप्त करेगा और उस दिशा में यह एक सकारात्मक और ठोस कदम है हमारी सरकार का तो मैं आप के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, सदन से अपील करूंगी कि इस विधेयक को व्यापक समर्थन प्रदान किया जाए, ताकि हम उस खोये हुए समय की भरपाई भी कर सकें और कांग्रेस सरकार की नाकामी के कारण प्रदेश को भुगतान जो करना पड़ा वह अब हमारे हमारे इंडस्ट्रियल ओनर्स को नहीं करना पड़े। यह विधेयक राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 मिनट देने का कोई लाभ नहीं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.59 बजे, 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Kas/rtm/21.03.2025/14.00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री जोगेश्वर गर्ग।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 12)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2025 को मध्याह्न पश्चात् 01.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शनिवार, दिनांक

22 मार्च 2025 से सोमवार, दिनांक 24 मार्च 2025 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शनिवार, दिनांक 22 मार्च 2025 से रविवार, दिनांक 23 मार्च 2025	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 24 मार्च 2025	1. राजस्थान विधिया (संशोधन) विधेयक, 2025 2.राजस्थान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 3.राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सूचना भी माननीय सदस्यों को देनी है, उक्त तीनों विधेयकों पर संशोधन की सूचना आज दिनांक 21 मार्च, 2025 को मध्याह्न पश्चात् 5 बजे तक ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लॉ मिनिस्टर द्वारा जो राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 सदन में चर्चा के लिये रखा गया है, उसके लिये मैं दो निवेदन करना चाहूंगी। एक तो, इस अधिनियम की धारा 3 में लिखा गया है, किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, विनिश्चय, डिक्री या आदेश, इस अधिनियम के किसी उपबंध या तद्वीन बनाये गये नियमों के होते हुए भी, और किन्हीं लोपों या दोषों या प्रक्रिया के रूप या सक्षम मंजूरी या अनुमोदन का अभाव होते हुए भी, एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) द्वारा जहां तक अपने नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के संबंध में किये गये भूमि के समस्त अंतरण, उप-विभाजन या भू-खंडों या भूमि के विलयन, नियमितीकरण, भू-उपयोग के विनिर्देश और परिवर्तन या अन्य समस्त कार्य, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन किये गये माने जायेंगे।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, यह जो सैक्शन जोड़ा गया है, मुझे लगता है कि यह न्याय के सिद्धांत के अगेंस्ट है, इसे नहीं होना चाहिये था। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे सरकारी सिस्टम में, जो हमने सिस्टम बना रखा है, उस पूरे सिस्टम में लैंड यूज चेंज करने का अधिकार डवलपमेंट अथोरिटी और स्थानीय निकाय को होता है। जब लैंड यूज चेंज करने का अधिकार हमने उनको दिया हुआ है, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें रीको को लैंड यूज चेंज करने का अधिकार देना पड़ रहा है? जबकि जो हमारे ऑलरेडी संस्थान हैं, जो लैंड यूज चेंज करने के लिये अधिकृत हैं, वो सक्षम हैं और पूरी पावर्स के साथ उनको दिये गये हैं, मुझे लगता है कि यह नहीं होना चाहिये।

दूसरा, आपने उद्देश्यों के कथन में लिखा है 20.04.2023 के निर्णय में, विधि के किसी भी करार के अभाव में रीको के अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की थी। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, लेकिन जब हम रीको को लैंड देते हैं तो ऑलरेडी पहले से ही हम रीको को लैंड इसलिए देते हैं, ताकि वो इंडस्ट्रीज का डवलपमेंट कर सके। जब ऑलरेडी हमने इंडस्ट्रीज के लिये लैंड दी है, तो फिर रीको उसका लैंड यूज क्यों चेंज करना चाहता है, यह समझ से परे है। यदि रीको लैंड यूज चेंज करना चाहता है तो वापस सक्षम स्वीकृति के लिये उन ऐजेंसीज के पास आ सकता है, जो ऐजेंसी ऑलरेडी लैंड यूज चेंज करने के लिये सक्षम है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों ने आपको गुमराह तो नहीं किया है। यदि अधिकारियों ने गुमराह किया है तो इसको आपको समझना चाहिये और समझ कर इस संशोधन को, मंत्री महोदय, आप एक बार दिखवा लीजिए, मेरा तो इतना ही निवेदन है।

मैंने जो जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेती हूं और मैं आपसे आग्रह करती हूं, क्योंकि आनन-फानन में तो यह बिल नहीं लाया गया है, इनके प्रभाव आने वाले समय में कैसे पड़ने वाले हैं, किस पर प्रभाव पड़ने वाले हैं, यह भी हमें देखने की जरूरत है, इसमें इतना ही निवेदन करना चाहूंगी।

श्री सभापतिः श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद, सभापति महोदय, आज राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि कई सारी चीजें अभी मेरे से पूर्व अजमेर और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाना चाहिये। हमारे किसान भाई और तमाम वो लोग, उनके हितों के साथ, उनके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इस पर पूरा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है।

साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या पश्चिमी राजस्थान की मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी है, पश्चिमी राजस्थान के लोग बहुत खुश थे कि यह सरकार उनके हितों के लिये, अधिकारों के लिये कई नये कदम उठायेगी। परंतु मुझे कहते हुए बड़ा दु:ख है कि वो तमाम चीजें, तमाम आशाएं, तमाम इरादों पर कहीं न कहीं पानी फिरता

दिख रहा है।

साहब, मेरे हाथ में कई सारे कैबिनेट्स की प्रेस नोट्स हैं। लगभग हर केबिनेट के प्रेस नोट में एक ही चीज लिखी हुई आ रही है, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट और लैंड अलॉटमेंट। साहब, पूरे पश्चिमी राजस्थान की जमीनों को उन अंग्रेजों के समान जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, उनके चरणों में आपने सुपुर्द कर दी। हमारे वो लोग जो काल के थपेड़ों से निकल कर आये थे, जो इतने साल तक वहां दूर-दराज क्षेत्र में, रेगिस्तान में बैठे थे, वो इस आशा और उम्मीद के साथ बैठे थे कि, साहब, आप आयेंगे, कुछ नया लायेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में उनके लिये कई सारी नई सौगात, नई स्कीम्स, नये डवलपमेंट प्लान्स लायेंगे, पर साहब, डवलपमेंट के नाम पर आज उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर गुनहगार कौन हैं? यह जमीनें किसकी हैं? किस शर्त पर दी जा रही है? वहां पर जिस गौ धन की आप बात करते हैं, उस गौधन का क्या होगा? वहां के लोगों का क्या होगा? उन किसानों का क्या होगा? वहां पर रहने वाले लोगों का क्या होगा? साहब, कभी विचार किया आपने? लाखों करोड़ों हैक्टेयर जमीन दे दी, आज भी देते जा रहे हैं। साहब, इसके बदले में आपको मिला क्या? आज भी वो क्षेत्र बिजली के लिये तरस रहा है। पहले वो अंग्रेज थे, हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़कर उन्हें भगाया, पर अंग्रेजों के रूप में यह जो नये लोग आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से रेवड़ियां बांटना आप बंद करें। साहब, मैं इस सदन में रहकर बात कर रहा हूं और मैं आपको यह भी याद दिला देता हूं कि आखिर में जब वोटों की बारी आयेगी, तो वो जनता, वो लोग वोट देंगे, यह अधिकारी और यह कंपनियां वोट नहीं देंगी। साहब, उन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो कभी माफ नहीं करेंगे।

मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग-लगभग सारी केबिनेट मीटिंग्स, 16 जून को केबिनेट मीटिंग हुई, उसमें पहला ही पहला डिसीजन हमारी केबिनेट का क्या रहा? यहां पर कई सारे वरिष्ठ माननीय सदस्य भी विराज रहे हैं, आप पढ़ें, आप देखें, हमारे दुख को आप समझें, हमारी पीड़ा को समझें और हम यह इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे और हमसे पूछेगी कि साहब, जब यह रेगिस्तान खतम हो रहा था, यह वन्य संपदा खतम हो रही थी, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? साहब, भगवान के लिये ही सही, पर उन लोगों के साथ जो कहीं न कहीं अनपढ़ रहे, इस तरीके का अत्याचार आप ना करें। अगर वो लड़ने के लिये आगे आ गये, तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिये आपका सिस्टम फैल हो जायेगा। वो, वो मजबूत लोग हैं जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाइयों में अपने सिर दिये हैं। उनको हल्के में ना आंकें। उनके साथ इस तरीके का अत्याचार ना करें। उनकी जमीनों को कोड़ियों के दाम पर आप मल्टीनेशनल कंपनियों के चरणों में ना दें।

Msk/rtm/21.03.25/1410/2d

श्री सभापति: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल लाया जा रहा है, माननीय राजस्व मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं, उनको तो इस षड्यन्त्र का पता नहीं है कि यह बिल क्यों लाया जा रहा है। उनके लिए तो सीधी-साधी बात है कि सेक्शन-100 में यह सब-सेक्शन जोड़ दिया जाये, आपको तो इतनी-सी जानकारी है और उसका कारण। लेकिन इसके पीछे उद्योग मंत्री जी जो हैं, बौद्धिक दृष्टिकोण से बड़े मजबूत हैं, उन्होंने जिस प्रकार से योजना बनाकर आप जैसे सीधे-साधे मंत्री के जिम्मे यह जवाब देने का काम डाल दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी तरकीब से ऐसा काम कर दिया, जवाब उनको देना था और जवाब आप पर डाल दिया है। ...(व्यवधान)... हर मिनट कीमती है, बोलने दो।

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप यह संशोधन लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, क्यों हुआ? जब तब आप और हम इस परिप्रेक्ष्य में नहीं जायेंगे तब तक पता ही नहीं लगेगा। कोटा में जे.के.सिंथेटिक नाम की एक बहुत बड़ी कम्पनी थी। वह कम्पनी जब बीमार हुई तो उस कम्पनी ने अराफात एंड संस से सरकार की सहमति से एग्रीमेंट किया कि वह इस फैक्टरी को दोबारा चलायेगी, एम्प्लॉयमेंट देगी और जिन लोगों का पैसा बकाया है, वह पैसा देगी। उसके बाद आज तक मजदूर तो अलग चिल्ला रहे हैं और फैक्ट्री का सारा सामान उठाकर वे वहां से ले गये, कोई फैक्टरी नाम की चीज नहीं है। न कोई एम्प्लॉयमेंट है, जब फैक्टरी नहीं चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट कैसा? इसकी जांच के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सन 2014 में सरकार ने एक कमेटी बनायी कि ये काम नहीं हो रहे हैं, आप इसकी जांच रिपोर्ट दो। आदेश तो फाइल में हैं, लेकिन जो जांच रिपोर्ट आयी कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वह फाइल से गायब है। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

यही नहीं, इसके बाद फिर 08.10.2018 को राजस्थान की स्टेट लेवल रीको की हाई पॉवर कमेटी ने एप्लाई किया कि 227.15 एकड़ जमीन को कॉमर्शियल कर दिया जाये और उसका सब-डिवीजन कर दिया जाये। फैक्टरी चली नहीं, मजदूरों को काम नहीं, भुगतान नहीं। ये करने के बाद तत्कालीन सरकार के हाईएस्ट बोर्ड ने तारीख 08.10.2018 को यह फैसला कर दिया कि हां, हम सब-डिवीजन की परमिशन देते हैं और इसको कॉमर्शियल परपज के लिए भी दे देते हैं। वह बात अलग है, जो शर्तें थीं, उनको कुछ नहीं किया, वे दे देते हैं। इसके बाद सरकार बदली। कंपनी को एक नोटिस दिया गया कि आप यह गलत काम कर रहे हैं, यह गलत है। तो वे हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट में जाकर, जैसे कि आजकल फैसले होते हैं, वे यहां पर अपने हक में फैसला कराने में कामयाब हो गये। इससे पहले वाली तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो रीको ने जो 227.15 हैक्टेयर जमीन का सब-डिवीजन करके चेंज करने का फैसला दिया है, वह गलत है, अवैधानिक है और नियमों के विपरीत है। यही वह फैसला आया है, जिस आप यह लाने की बात कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदलना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, वह इस आधार पर दिया है कि इस तरह से जो दुरुपयोग किया जा

रहा है, जो लोग अपने निजी स्वार्थों से भूमि परिवर्तन और सब-डिवीजन कराकर स्वार्थवश लाभ उठाना चाहते हैं, वह गलत है और रीको को कोई अधिकार नहीं है। अब रीको और राजस्थान सरकार 227.15 एकड़ जमीन वाले फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत उसको वैधानिक करार देने का यह आदेश लायी है। आपका क्या इंटरेस्ट है? आप यह तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो दखल होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले से जो हालात पैदा हुए हैं, उस फैसले को बदलना चाहते हैं। सरकार को अधिकार है, गवर्नमेंट को अधिकार है, वह सब-डिवीजन कर सकती है, वह परमिशन दे सकती है, वह सब काम कर सकती है, लेकिन आप जान-बूझकर किसी व्यक्ति विशेष को या पर्दे के पीछे षड्यन्त्र करके राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भू-माफिया के काम में लगे हुए हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग कर भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आप यह संशोधन लाये हैं। मेरा सीधा-साधा आप पर आरोप है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप स्वयं जानते हैं। 14 तारीख का वह आदेश, जिसके अन्तर्गत जिला कलेक्टर, कोटा ने कमेटी बनायी, कमेटी बनाने के बाद यह फैसला किया कि पैट्रोकैमिकल्स का जो मामला है, उसकी शर्तों की पालना की गयी, नहीं की गयी, शर्तों का उल्लंघन किया गया। कैमिकल्स में समझौते द्वारा उद्योग चालू किया गया या नहीं किया, मजदूरों का भुगतान किया गया कि नहीं किया गया, ये आदेश 13.01.2014 का है। अभी-अभी मैंने जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया तो उद्योग मंत्री जी ने मुझको जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैसर्स अराफात पैट्रोकैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लीज की शर्तों की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में परीक्षण कराकर उपरोक्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। उन्होंने यह 04.03.2025 को जवाब दिया है। एक ओर तो आप उन बातों की जांच कराने के लिए आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी जांच करायेंगे और इस कानून के तहत उनको आज ही वैलिड मान रहे हैं। यह क्या है? एक ओर तो आप यह मानते हैं कि अनियमितता हुई है। एक ओर आप मानते हैं कि एग्रीमेंट की पालना नहीं हुई है। एक ओर आप यह मानते हैं कि हां, उन्होंने उद्योग चालू नहीं किया है, एक ओर आप यह मानते हो कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया और फिर इसके बाद 227.15 हैक्टेयर जमीन उस कम्पनी को, उस व्यक्ति को या उस संस्था को, किसी को भी। संस्था से कोई लेना-देना नहीं है, उसको दिलवाने के लिए आनन-फानन में यह कानून क्यों लाये हैं?

माननीय राजस्व मंत्री जी, आपके पास एक उदाहरण नहीं है। जो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि आप इस पाप पुण्य के मामले से मुक्त हो, आपका दोष नहीं है। यह षड्यन्त्र तो उद्योग विभाग से पनपकर आपके माथे पर, खाली कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में परिवर्तन करने के लिए आया है। आपकी जानकारी में आन्तरिक तथ्य नहीं हैं। आप तो सीधे-साधे हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट में रीको को पॉवर देना है। यही आपको जवाब देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, उसको परिवर्तित करके आप लाभ पहुंचाने के कारण ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। ऐसे कौनसे दूसरे फैसले हैं, आपका एक भी उदाहरण नहीं है। इसके

लिए तो आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, वह नहीं माना जायेगा और एक जो पेश हुआ है, वह उस तारीख से मान लिया जायेगा। अनके ऐसे हैं, जिन पर लागू हो जायेगा। कौनसे हैं? एक भी नहीं बता पायेंगे। लक्ष्य केवल एक है, 227.15 एकड़ जमीन, जो कि 10 हजार करोड़ की है, इस जमीन पर, यह फैक्टरी वाला भी माध्यम बनेगा। इसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त लोग, जो राजनीति में रहते हुए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से मजबूत हैं, उन लोगों का आन्तरिक रूप से और बाह्य रूप से आपसी समझौते के अन्तर्गत यह जो काम किया गया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इसीलिए कहता हूं कि राजस्थान सरकार भी ऐसे लोगों के प्रभाव में आनन-फानन में लैंड रेवेन्यू एक्ट में यह परिवर्तन करने के लिए लायी है, जो अनुचित है और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ ले जाना चाहते हैं। हां, यह तो जानते हैं कि आपकी तो भारत सरकार भी, इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वहां तो आप बाहर निकाल रहे हैं।

mdp/rtm/21.03.25/14:20/2e

श्री सभापतिः कंक्लूड कीजिए, साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): राजस्थान सरकार भी उसको बाहर निकाल रही है। सुप्रीम कोर्ट की आप यह हालत कर देना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजे।

श्री सभापतिः विराजिए। श्री मनीष यादव।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): इस प्रकार से अनैतिक व गलत कृत्य न करें, जिससे आपकी बदनामी हो और राजस्थान सरकार बदनाम हो। मैं चाहूंगा आप इस कृत्य को न करें और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जो मजबूत लोग हैं, उनको व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयोग आपकी सरकार न करने दें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 पर बोलने के लिए धन्यवाद। मेरे से पूर्व जिन वक्ताओं ने रीको को लेकर और ये जो विधेयक सरकार लेकर आयी है, उसकी मंशा के पीछे सरकार का जो भी उद्देश्य है, उसके बारे में आपके समक्ष रखा हैं।

मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रीको का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जो उद्योग है, उनमें भूमि का अधिग्रहण रोड, पानी, बिजली और उनको मूलभूत सुविधाएं देने का है। रिको केवल डवलपिंग एजेंसी है और रीको को आप ऐसे अधिकार देना चाहते हो, कोई ना कोई बड़ी मंशा सरकार की इसके पीछे लग रही है। मैं हरिमोहन जी की बात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि रीको, क्योंकि आज से पहले हम देखते थे कोई रीको की जमीन अगर सरकार ने उसको दी है, तो उसका पर्पज इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक है और औद्योगिक पर्पज जब पूरा हो गया और आज आप उसको कह रहे हो की उसका लैंड यूज चेंज कर देगा, रीको

को ऐसा पावर दे रहे हो, एक संविधान से ऊपर उसको दर्जा देने का काम कर रहे हैं, जो पीटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगी और जिस अराफात कंपनी की बात, कोटा की अराफात कंपनी की बात हरिमोहन जी ने की, जिस पीटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पीटिशन की अवमानना करने का काम भी सरकार ये भू-राजस्व संशोधन विधेयक लेकर करना चाह रही है, कोई न कोई बड़ा इंटेशन इसके पीछे छिपा हुआ है। सरकार किसी कंपनी को लाभ देने के उद्देश्य से यह जो बिल लेकर आयी है, विधेयक लेकर आयी है, हम इस बात का विरोध करना चाहते हैं। रीको का अगर केवल और केवल काम है तो किसी औद्योगिक क्षेत्र को डवलप करने का काम है। रीको को अगर हम इतने पावर दे देंगे तो फिर इसके बाद आने वाले समय में जमीन बचेगी ही नहीं। जिनकी कीमतें, क्योंकि आज कोई औद्योगिक इकाई हैं, उसकी कीमत अलग है और उसका लैंड यूज अगर आप चेंज कर देंगे, उसको व्यावसायिक में कर देंगे, कॉलोनी डवलप कर देंगे तो उसका जिन लोगों को आप फायदा देने का काम करना चाहते हैं अपनी मनमर्जी से, लोगों को लाभ देने का काम करना चाहते हैं। कोटा की 271 एकड़ जमीन की जो बात है इसके पीछे, कहीं न कहीं मेलाफाइड इंटेशन सरकार का इसमें है। सरकार किसी को लाभ देने के उद्देश्य से रीको को इतने पावर देना चाहती है, जो कि गलत है।

आप जो विधेयक लेकर आये हैं, यह राजस्थान के साथ अन्याय है। राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है। विपक्ष इसको कतई बरदाश्त नहीं करता। रीको का जो उद्देश्य था, क्योंकि 1979 में रीको की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक रीको का उद्देश्य सीमित है और उसको असीमित शक्तियां आप देना चाहते हैं। उसको संविधान से ऊपर रखने की परिपाटी आप जो करने जा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसका परीक्षण करवाएं और इसको जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए इसको परिचालित किया जाए, क्योंकि आज के समय में अगर हम ऐसे बिल लेकर आयेंगे, ऐसे विधेयक लेकर आयेंगे तो ये राजस्थान की जनता के साथ अन्याय होने वाला है।

आज किसान अपनी जमीन के लिए चक्कर काटता है। पहले उपखण्ड कार्यालय, फिर अपीलीय अधिकारी के पास जाता है, फिर राजस्व बोर्ड में जाता है। मैं सदन से यह भी मांग करता हूं कि एक न्यायिक प्रणाली विकसित करे ताकि ऐसे मामले में जब कानून व्यवस्था का काम प्रशासनिक अधिकारी का है और वही न्यायिक में अगर ऐसे मसले देखता है तो कहीं न कहीं किसान का समय खराब होता है। कई बार ऐसे निर्णय होते हैं कि कोई पार्टी जो मजबूत है, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, किसान उनके आगे नीचे दब जाता है। कई बार ऐसे निर्णय किये जाते हैं। इसलिए कानून के दायरे में, न्यायिक दायरे में राजस्व के जितने मामले हैं, उनको न्यायिक दायरे में लाया जाए और आर.जे.एस. की तर्ज पर कोई ऐसी एजेंसी बनाकर, कोई न्यायिक अपीलीय अधिकारी बनाकर उनकी सुनवाई की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रफीक खान। (अनुपस्थित) श्री छगन सिंह राजपुरोहित। (अनुपस्थित)

श्री डूंगरराम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया। राजस्थान भू-राजस्व, 1956 को संशोधित करने के लिए आप यह विधेयक लेकर आये। इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह बात आज तक क्लीयर नहीं हो पायी। जितने भी विधायक, माननीय सदस्य बोले हैं, सभी ने और सत्ता पक्ष ने भी, आपके विधायकों ने भी आपके इस विधेयक पर सवाल खड़े किये हैं, आपको इस पर सोचने व समझने की जरूरत है। 1956 की नयी धारा 100-क जो आप जोड़ने जा रहे हैं, उसके अन्दर रीको को अलग से अधिकार देने की आपकी मंशा है। जिसके माध्यम से आप उद्योगपतियों को फायदा देना चाहते हैं। जब से राइजिंग राजस्थान के नाम से राजस्थान प्रदेश के अन्दर आप लोगों ने अभियान शुरू किया, उसके अन्दर भी ज्यादा से ज्यादा जो मामले आये, वह यही आये कि किस तरह से कम रेट पर यानी जमीनें ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों को कैसे दी जावे? उसी के आगे ये एक और कड़ी आप जोड़ रहे हैं।

इसके पहले आप लोगों ने वन भूमि प्रस्तावित के नाम पर जमीनें प्रस्तावित कर रखी हैं। जहां वन भूमि के अधिकारी/कर्मचारी गये नहीं कभी। 1974-75 से जहां कॉलोनियां बसी हुई हैं, आबादियां बसी हुई हैं, वहां भी आज इस तरह का अड़ंगा अड़ाया जा रहा है कि वहां वन भूमि की प्रस्तावित भूमि है। यदि आपकी जमीन वहां होती तो आपका कोई गार्ड वहां होता, आपकी तारबंदी की हुई होती या वहां के लोगों को बसने से आप रोकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा भी आप क्यों किसानों के पीछे पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है।

एक तरफ तो आज पूरे देश के अन्दर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अब तो हालात ये हो गये हैं कि आप रोने भी नहीं दे रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को आप लोगों ने जेल के अन्दर डाल दिया। जो धरना दे रहे थे, उनके धरने आप लोगों ने उखाड़ने देश के अन्दर शुरू कर दिये। इस तरह से यह जो विधेयक आप लेकर आये हैं, यह विधेयक छोटे व्यापारियों और किसानों के साथ भेदभावपूर्ण है। राजस्थान की सरकार ने किसानों की किस्त जमा कराने पर आइजीएनपी में 31 मार्च तक ब्याज माफ करने की छूट दी। ब्याज माफ करने की छूट को बढ़ाने का काम तो आप लोग नहीं कर रहे, लेकिन किसान के पास जब फसल नहीं थी, जब राशि जमा करवाने का समय नहीं था, तब उसको आगे समय बढ़ाने की बजाय आप बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून के अंदर बदलाव लेकर आ रहे हैं। इसलिए मैं इस कानून का विरोध करता हूं और राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2025 को छह माह के लिए जनमत को जानने के लिए परिचालित करने की मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती गीता बरवड़। (अनुपस्थित) श्री जयकृष्ण पटेल। (अनुपस्थित) श्री समरजीत सिंह।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, आज हम चर्चा कर रहे हैं और सबसे बड़ा विडंबना का विषय भी है कि हम विधायकों का सबसे बड़ा काम ही विधेयक बनाना है।

उसके ऊपर जब हम चर्चा करने बैठते हैं और कई बार जब अध्यक्ष महोदय भी जल्दीबाजी करते हैं, तब मुझे लगा कि इन विषयों पर, इन बिलों पर तो गहन चर्चा होनी चाहिए, पूरे राजस्थान का मन और दिल निकल कर बाहर आना चाहिए। फिर आपको जो विधेयक पास कराना है करा सकते हैं। डेमोक्रेसी में बहुमत का राज़ होता है।

मैं अभी बैठे-बैठे विचार कर रहा था, हरिमोहन जी शर्मा साहब ने जब विषय उठाया, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले भी सदन में एक बड़ी केओस की स्थिति हुई थी, जब यही विषय जो हरिमोहन जी शर्मा कोटा का उठा रहे थे और दो मंत्रियों के बीच में एक कन्फ्यूजन था कि इसका जवाब रेवेन्यू मंत्री देंगे या इंडस्ट्री मंत्री देंगे। उसके बाद में इंडस्ट्री मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था। मैं आगाह करना चाहता हूं और खासतौर से रेवेन्यू मंत्री जी जो इस बिल को लेकर आए हैं, जो अपने हाथ काट कर सौंप रहे हैं। यह एक टकराव की स्थिति पैदा होगी आने वाले समय में।

आप लोगो ने इस बिल के मार्फत जो जोड़ा है भू-राजस्व एक्ट, 1956 में, जो 100 के अंतर्गत और 101 के बीच में 100-क करके पैरा डाल दिया।

Ans/rtm 14.30 2f 21.03.2025

यह पैरा इन्सर्ट किया गया है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। ट्रेस पास करके इन्सर्ट किया। यह राइजिंग राजस्थान का रिजल्ट दिखता है मुझे। बड़े-बड़े उद्योगपतियों का, बडे-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इन ब्यूरोक्रेट्स द्वारा बनाया गया बिल। मंत्री महोदय हम तो राजनीतिक प्राणी है, आप फटाफट बिना पढ़े कैसे लेकर आ गए? यह सारा मामला उठा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने से और उसके हवाले से आप लोग यह बिल लेकर आए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रीको तो एक रेगुलेटरी बॉडी थी, उसका काम था इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना, उसको चलाना और आपने उसको अब अलॉटमेंट के अंदर डाल दिया। रेवेन्यू के काम को ट्रेस पास, जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे थे, वह कर लिया। आगे क्या परिस्थितियां पैदा होंगी? इससे पहले रेवेन्यू विभाग द्वारा अलॉटमेंट हो चुके हैं अन्य-अन्य कार्यों के लिए, वहां अगर रीको अलॉट करने जाएगी, क्या स्थिति होगी, यह आप लोगों को विचार करना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा था की इसको एट लेंथ अपने को विश्लेषण करना चाहिए।

उक्त विधेयक में यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है तो कौनसा न्यायालय सुनेगा? रीको को देते थे तो रीको को तो ट्रिब्युनल सुनता था और रेवेन्यू को आपके राजस्व अधिकारी सुनते थे, अब टकराव की स्थिति पैदा होगी इसके बीच में, यह आपको देखने का विषय है। जैसा मैंने पहले कहा कि रीको वाणिज्यिक इकाई है और इसके लिए अलग से कानून और प्रावधान हैं। रीको को इस अधिनियम में समाहित करने से इस कानून की महत्ता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। इस विधेयक की परिभाषा खंड भी अपने आप में कन्फ्यूज हैं, रीको को शक्तिशाली बनाने के लिए, रेवेन्यू

विभाग और लोकल बॉडीज़ को भी आप कमज़ोर कर रहे हैं। शहरों के क्षेत्र में भी इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है की धारा 1 क्लॉज-2, 3 में जो प्रावधान बताये गये उसमें स्थानीय निकाय विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारिता में सीधा-सीधा हस्तक्षेप है। रीको अगर इतना ही अच्छा काम कर रही होगी, कुछ शहरों को छोड़ दें आप, पूरे राजस्थान में हमने देखी है रीको के नाम पर जमीन अलॉट हुई पड़ी है और वहां अभी कोई भी डवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते है? मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इस बिल के ऊपर पुनर्विचार किया जाए। अच्छी तरह से चर्चा करके, इस तरह से बिल लाया जाए ताकि लोगों को फायदा हो। अब इसमें अलॉटमेंट के समय, पूर्व में अलॉट की हुई जमीन, रीको वापस किसको अलॉट करेगी, यह सारी चीज़ें देखने लायक होगी। मैं तो इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की बात कहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री टीकाराम जूली। श्री मनोज कुमार, सुजानगढ।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एंड वेलिडेशन बिल 2025 पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद। सभापति महोदय, जिस उद्देश्य के लिए यह बिल लाया गया है, उसमें लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि रीको को मजबूत करने के लिए बिल लाए हैं। रीको का उद्देश्य क्या है, उसमें भी इन्होंने लिखा है कि अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के सम्बन्ध में किए गए भूमि के समस्त अंतरण, विभाजन, भूखंडों या भूमि वितरण, नियमितीकरण, भू उपयोग के विनिर्देश और परिवर्तन या अन्य समस्त कार्य, राजस्थान प्राधिकरण के अधीन किये गये मानं जाएंगे और समस्त प्रयोजनों के लिये विधिमान्य समझे जाएंगे।

इन्होंने रीको की परिभाषा लिखी है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट, यानी इसका मेन उद्देश्य यही है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसिजन, जिसकी हरिमोहन जी ने पूरी व्याख्या की, 20 अप्रैल 2023 के डिसिजन के अपने निर्णय में भी कहा कि बिना किसी करार के रीको के अधिकारियों ने मान्यता प्रदान नहीं की। तो इसमें भी बात यही है कि रीको का मेन उद्देश्य, लिखा है कि किसी भी औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आवंटित सरकारी भूमि का व्ययन, रीको डिस्पोज़ल आफ लैण्ड रूल्स, 1979 में किया गया है कानूनी रूप से। रीको का हर जगह मुख्य उद्देश्य, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की बात इसमें लिखी गई है कि उसके लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जिसमें कहा गया की बिना किसी करार के, बिना किसी अभाव के, रीको के अधिकारियों ने यह काम किया। जब रीको के अधिकारियों को अधिकार था ही नहीं तो किस आधार पर उन्होंने कनवर्ज़न किये, किस आधार पर उन्होंने इन्डस्ट्रीयल को रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल और विशेष तौर से कॉमर्शियल में कनवर्ज़न किये? उनकी जांच होनी चाहिए, अफसरों को अधिकार नहीं था, तो उन्होंने कनवर्ज़न किस आधार पर किया? उसकी जांच करने के बजाय कि सुप्रीम कोर्ट की आड नहीं आ जाये, रेवेन्यू के माध्यम से यह बिल लाकर, उनको बचाने के लिए अफ़सरों ने आपसे गुजारिश की और आप यह बिल लेकर आ गए।

दूसरी बात, जिस तरह से जेडीए कॉलोनी डवलप करता है, एरिया डवलप करता है, यूआईटी करती है, जब वह एरिया डवलप हो जाते हैं तो वहां की लोकल अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जैसे जेडीए नगर निगम को कर देता है, यूआईटी नगर परिषदों को एरिया ट्रांसफर कर देती है। अगर कुछ इन्डस्ट्रीयल एरिये शहर की आबादी के बीच में आ गए तो प्रोविजन नहीं होना चाहिए कि उनको आप लोकल बॉडी को ट्रांसफर कर दो। उसके बाद वह उसका उपयोग देखे कि यह कॉमर्शियल होना है या रेजिडेंशियल होना है या और किसी काम में होना है। दूसरा विकल्प, जिस तरह से कुछ इंडस्ट्रीज जो शहर के बीच में हैं, उनको इंडस्ट्री का रूप दिया जा रहा है। जैसे वेयर हाउस है, उसको आप इंडस्ट्री का रूप दे रहे हो। ऐसे इंडस्ट्रीयल बीच में आ गए तो उसमें उस तरह के प्रावधान आप कर सकते हो। होटल इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही है कि उनको इन्डस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उस आधार पर रीको के प्लॉट हैं उसमें उनको होटल लगाने की अनुमति दी जाए। परन्तु एक रूल निकाला, जिसके आधार पर एक बार अस्थायी रोक लगी और उसके बाद में आज छह साल हो गए, उस रोक को नहीं हटाया। रास्ते बहुत से थे, पर क्या कारण थे कहीं यह कुछ बड़े इंडस्ट्रियल को फायदा उठाने के लिए तो नहीं बात आई, या कहीं सरकार में बैठे चाहे बड़े आदमी हों, चाहे अधिकारी हों या और कोई नुमाइंदे हों, उनको लाभ पहुंचाने के लिए तो यह बिल नहीं लाया गया है, यह देखने की जरूरत है। इसके पीछे इनके हिडन उद्देश्य हैं, उनको देखने की जरूरत है, किस तरह से कहां, क्या किस तरह से लेकर जा रहे हैं। आप रीको को सब डिवीज़न का अधिकार दे रहे हो समझ में आ रहा है, परन्तु आप कन्वर्ज़न की बात कर रहे हैं कि रीको कन्वर्ट करेगा, तो रीको को क्या अधिकार है कि इन्डस्ट्री के इतर वह कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल उनको प्रायोजित कर सकता है, उनको बढ़ावा दे सकता है, क्या उसके उस उद्देश्य में है, अगर नहीं है तो फिर वह उस एरिया में क्या करेगा? रीको काम वहां करता है जहां इंडस्ट्री को डवलप करना है, यह देखने की जरूरत है। सरकार में बैठे कुछ लोगों की मंशा कहीं व्यक्तिगत है, कहीं आर्थिक हैं, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की है, उनको देखकर इस बिल को लाने की मंशा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है की इसको छह माह के लिए जनमत जानने के लिए भेजे या सरकार इस बिल को वापस ले। वह अधिकारी जिन्होंने पूर्व में गलत किया है, बिना अधिकारों के अगर उन्होंने ऐसे काम किये, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। इसे जनमत जानने के लिये छह महीने के लिए वापस लेने की मैं अनुशंसा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामकेश। (अनुपस्थित) कुमारी रीटा चौधरी।

VPS-RTM-21.03.2025-14.40-2g

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। इस संशोधन विधेयक लाने का जो मुख्य कारण मैं समझ पा रही हूं वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं लेकिन मुझे इस बात में भी संदेह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिये हैं, जिसकी

पालना इनको करनी थी, उसको भी इन्होंने उस निर्णय को ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा, उस पर भी मुझे संदेह है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार नई धारा को जोड़ कर इस धारा के खंड 1 में यह प्रावधान कर रही है कि रीको को डिस्पोजल के लिए रखी गयी भूमि का कब्जा जब सरकार से औद्योगिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के लिए एक बार जब रीको को मिल जायेगा तो उसका पूरा स्वामित्व रीको के पास आ जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर राजस्व मंत्री महोदय भी बैठे हैं। यह इनको समझने की जरूरत होगी कि जो अधिकार क्षेत्र इनका है वह पूरा अधिकार क्षेत्र खतम हो जायेगा। अगर इतनी पावर रीको को दे दी जायेगी, तो जो इनका काम है, राजस्व विभाग का काम है वह रीको देखने लग जायेगा तो जिसमें अभी हमारे बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि उद्योग मंत्री जो हैं, वे बड़ी सफाई से इससे बच गये लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि उद्योग और राजस्व, दोनों के जो अधिकार क्षेत्र है, वह बिलकुल इस मामले के अन्दर खतम हो जायेंगे। इसको सोचने की जरूरत है, इस बिल पर आप दोबारा विचार करें, माननीय मंत्री महोदय, क्योंकि यह आज का दिन काले अध्याय के रूप में जाना जायेगा क्योंकि यह किसानों के भी खिलाफ रहेगा, गरीब तबके के खिलाफ भी रहेगा और मैं यह समझती हूं कि रीको एक निगम है जिसको कम्पनी एक्ट के तहत हम लोगों ने बनाया है, आप उसको सुपर पावर कर रहे हो, उसको सुपर पावर करके आपने अपने अधिकार खतम कर लिये। आपने यह भी नहीं रखा कि जब रीको इसको, जो जमीन उसको उपलब्ध करायी जायेगी उसको वह किस काम के अन्दर लेगा, वह इंडस्ट्रीज के काम में लेगा, वह उसको बेचेगा, वहां पर वह व्यावसायिक काम करेगा, कोई कॉलोनी बसा देगा, उसकी निगरानी के लिए भी इसके अन्दर आपने कोई प्रावधान नहीं करा, तो इस पर विचार करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। हम लोग तो यही गुजारिश कर सकते हैं कि आप इसको आनन-फानन में आज यहां पर पारित नहीं कराएं। कोर्ट ने यह कहा है कि रूल्स आप तब ही बना सकते हैं जब इसके अधिनियम बनाये जायें तो जब सम्पूर्ण फैसले, सर्वोच्च न्यायालय के सम्पूर्ण फैसले का विधि विभाग से, मंत्री महोदय, यहां पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री, विधि मंत्री बैठे हैं, इसका अध्ययन करवा लें। इस फैसले में जितनी भी गाइड लाइन्स इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट से जारी की गयी हैं, उनका संकलन आप तैयार करें और उसके आधार पर आप निर्णय लेकर अगर बिल लेकर आते हैं तो यह जन हित में रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय भी कहीं न कहीं लाइव हम लोगों को देख रहे होंगे, तो मैं उनको यह कहना चाहूंगी कि आप संज्ञान लें। इतनी जल्दी में यह बिल लेकर नहीं आयें। यह बहुत गलत बिल आ रहा है। इसको फिर विचार के लिए लिया जाये। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगी कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापतिः श्री रामस्वरूप लाम्बा। (अनुपस्थित)

श्री घनश्याम। (अनुपस्थित)

श्री गोपाल लाल शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री हरलाल सहारण। (अनुपस्थित)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापतिजी, गोपालजी हैं न। पर ये गोपाल लाल नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री गोपाल शर्माजी।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया का कोई भी राज्य यह सोचने में सक्षम नहीं हो सकता कि एक साल के अन्दर राइजिंग राजस्थान में किसी के 35 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. हुए हैं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): यह उसी के लिए लाये हो आप। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): और केवल 35 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. होने महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले तीन महीने में दो लाख करोड़ के, सपना नहीं देखा होगा, दो लाख करोड़ के एम.ओ.यू. का क्रियान्वयन शुरू हो जायेगा।

महोदय, जब यह सोचते हैं तो इतनी खुशी होती है। एक स्थिति यह थी कि जयपुर के अन्दर वैश्विक उद्योगपति, हमारे प्रवासी राजस्थानी एक आई.टी. का संस्थान खोलना चाहते थे और हमारे सरकारी मुखिया ने उनसे यह कहा, हम लोग साथ ही टहल रहे थे कि आप यहां पर आई.टी. के क्षेत्र में कुछ करिये, तो उन्होंने यह कहा कि देखिये, 15 करोड़ आप लगाइये, 15 करोड़ मैं लगाऊंगा और उन उद्योगपति की स्थिति यह थी कि राज्य सरकार से पहले 15 करोड़ लगवाने का काम किया और उसके बाद बहुत पीछा पड़ने के बाद 15 करोड़ देने को तैयार हुए।

कोटा से आने वाले हमारे बहुत ही विद्वान सदस्य इस बात से अपरिचित नहीं हैं कि हमने रिसर्जेंट राजस्थान के अन्दर कितनी खरी-खोटी सुनने का काम किया था? वह खरी-खोटी किसी पार्टी की सरकार के लिए नहीं थी। वह खरी-खोटी कोई कांग्रेस के लिए नहीं थी, वह खरी-खोटी हम आम राजस्थानियों के लिए थी। जब एक-एक शब्द वे बोल रहे थे तो हमको यह लग रहा था कि कोई छुरा मारे चला जा रहा है। यह हमारे राजस्थान की स्थिति थी। हमारे राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं चौधरी कुम्भरामजी आर्य। मेरी समझ में आप में से अगर विद्वान साथियों ने उनका अभिनंदन ग्रंथ पढ़ा होगा तो हमारे राजस्थान के तीन, मैं विषय के ऊपर हूं, तीन वरिष्ठ मंत्री सहित मुख्य मंत्री कोलकाता गये। उन्होंने यह कहा कि चुनाव आ रहा है, चंदा चाहिए। हमारे उद्योगपतिजी ने यह स्पष्ट कहा, राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े उद्योगपति, उन्होंने कहा कि इसमें क्या सोचने की बात है? ढाई लाख लाओ, ढाई लाख लो और एक सीमेंट की फैक्टरी ले जाओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजस्थान यह कब तक सहेगा? कब तक राजस्थान दोयम दर्जे का राज्य रहेगा? कब तक हम भ्रष्टाचार

से मुकाबले किये बिना और केवल यह सोचते रहेंगे कि यह होगा तो भ्रष्टाचार हो जायेगा। रीको के पास यह अधिकार चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार हो जायेगा। कब तक हम बच्चों को घर के कमरे में कैद रखेंगे कि इनको स्कूल नहीं भेजेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जायेगा। हम अस्पताल लेकर जायेंगे तो गाड़ी भिड़ जायेगी, तो घर पर ही मरने दो।

राजस्थान ने पहली बार, मेरे से जब भी कोई बात आती है कोटा के विकास की तो मैं उनसे यह कहता हूं कि शुरुआत तो हुई, किसी ने करके तो दिखाया, उसी तरह से आज इतना बड़ा राइजिंग राजस्थान जिसमें लगभग तीन दर्जन देशों की सहभागिता हो, टी.वी. के ऊपर लगभग एक अरब लोगों ने देखा हो, प्रधान मंत्री रिलायबल राजस्थान की बात कर रहे थे और हम लोग सपना देख रहे थे कि यह रिवोल्यूशनरी राजस्थान की शुरुआत हो रही है।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल, इसके उत्पादन के अन्दर कमी आ रही है, लगातार कमी आ रही है। चार-पांच सालों से लगातार कमी आ रही है, यह पार्टी का विषय नहीं है। मैं 2021 का रीको का जब प्रतिवेदन देखता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि 156 करोड़ की जमीनें अतिक्रमण में पड़ी हैं, 180 करोड़ की जमीनें कोर्ट केस में पड़ी हुई हैं, तो यह पार्टी का विषय नहीं है, यह विषय है राजस्थान के विकास का। आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए कि राइजिंग राजस्थान का किसी ने बीड़ा उठाने का काम किया तो हमारे यहां के एक किसान के पुत्र, एक ईमानदार युवा नेता से आगे बढ़े भजन लालजी ने शुरू किया। हम क्या कर सकते हैं? हम उनका साथ दे सकते हैं। हम उनका साथ दे सकते हैं। हम अवसर होने पर उनकी आलोचना कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि आपके रीको के अन्दर यह भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन भ्रष्टाचार ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय सभापति महोदय, दो-तीन मिनट का तो समय दीजिए। मैं अपनी बात तो करूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बस। आप जल्दी ही समाप्त करें। एक विधेयक और है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): इसमें तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आप आते ही विराजिये कहते हैं तो तकलीफ होती है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक और है अभी इसके बाद इसलिए आप समाप्त करें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): प्यार से कह दीजिए कि दो मिनट में खतम कर दो। ...(व्यवधान)...

मेरी समझ में राइजिंग राजस्थान, रीको अगर यह विषय नहीं है तो आपके विषय है वह मूल्य की राजनीति से जुड़े हुए हैं, वह जमीन से जुड़े हुए हैं, वह विषय मेरे पास नहीं हैं। आप यह सोचे कि मैं भ्रष्टाचार के पक्ष में बात करूं, यह नहीं हो सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा यह कहना है, निवेदन करना है कि 424 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, 94 करोड़ एकड़ भूमि का अधिग्रहण, 45 हजार औद्योगिक इकाइयों का संचालन और 100 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना ...(व्यवधान)...

Ssy/Rtm/21.03.25/14.50/2h

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): यह ऐसा सपना है जो राजस्थान को शीर्ष पर लेकर के जायेगा। सरकार ने जो रीको के नेतृत्व में काम करने का फैसला किया है, यह किसी को जिम्मा देने का काम है। हम इसका स्वागत करते हैं।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, धन्यवाद। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 की चर्चा में माननीय सदस्यगण ने सदन के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए हैं।

मैं सर्वप्रथम इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पर जाना चाहूंगा। नंबर एक, जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा वर्ष 1958 एवं 1965 में कुल 270.87 एकड़ भूमि जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड को लीज पर आवंटन की थी, उक्त आवंटित भूमि की लीज जेकेएसएल व जिला कलेक्टर, कोटा के बीच वर्ष 1967 में संपादित, निष्पादित जेकेएसएल व राज्य सरकार हुई तथा लीज विस्तार वर्ष 1982 में जिला कलेक्टर द्वारा की गई। जेकेएसएल समूह वर्ष 1998 में रुग्ण इकाई घोषित होने पर अपीलीय प्राधिकारी बीआइएफआर द्वारा आदेश दिनांक 23.01.2003 द्वारा उक्त भूमि मैसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने के आदेश जारी किए गए। तत्पश्चात मैसर्स अराफात कंपनी को वर्ष 2007 में जिला कलेक्टर द्वारा सात प्रयोजन अनुसार लीज जारी की गई।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

मैसर्स अराफात द्वारा रीको को उक्त भूमि, वाणिज्यिक एवं संस्थानिक भू उपयोग, भू उपयोग परिवर्तन एवं उप विभाजन सम्बन्धी आवेदन किए जाने पर रीको की बोर्ड प्लानिंग मीटिंग 3.10.2018 में उक्त भूमि को उपयोग परिवर्तन व सब लीज बाबत अनुमति प्रदान की गई।

पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा अंतिम छह माह में लिए गए निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित कैबिनेट सब कमेटी द्वारा निर्णय दिनांक 03.08.2019 से उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया, जिसकी अनुपालना में रीको द्वारा आदेश दिनांक 11.10.2019 एवं 14.10.2019 द्वारा उक्त अनुज्ञा को निरस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही के विरुद्ध में मैसर्स अराफात द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3410/2020 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक

20.07.2021 अपीलार्थी के पक्ष में पारित करते हुए याचिका निस्तारित की गई। उक्त याचिका के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर 2964/2023 के निर्णय दिनांक 20.04.2023 पारित कर उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.09.1979 में रीको को केवल प्रबन्धकीय सुविधाओं तक सीमित माना है, लीज हस्तांतरण, उप विभाजन, सब लीज, किराया इत्यादि कार्य हेतु रीको को अयोग्य माना है तथा ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि का वैधानिक हस्तांतरण नहीं माना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 2964/2023 उनवाणी राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अराफात पेट्रो केमिकल्स व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2023 में रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों की अधिकारिता के सम्बन्ध में अपनी फाइंडिंग दी है, जिसके अनुसार उक्त औद्योगिक क्षेत्र किसी कानूनी प्रावधान अथवा किसी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर रीको को हस्तांतरित नहीं होने के कारण उक्त हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र में रीको को समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होकर मात्र रखरखाव सम्बन्धी अधिकार ही प्राप्त हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत रीको द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.05.2023 से उक्त हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में रखरखाव के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यवाही को रोक दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.04.2023 के परिप्रेक्ष्य में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में भूतलक्षी प्रभाव से अथवा विशेष कानून बनाकर रीको को उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक की गई कार्यवाहियों के लिए विधिक रूप से अधिकृत सक्षम बनाने तथा भविष्यवर्ती कार्यों के लिए भी उपयुक्त अधिनियम, नियम में समुचित नए प्रावधान तथा विद्यमान प्रावधानों में यथोचित संशोधन के प्रस्ताव के क्रम में महाधिवक्ता महोदय से राय प्राप्त की गई है। उक्त राय में रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में उचित संशोधन प्रस्तावित किया जाकर रीको को औद्योगिक क्षेत्र के मूल स्वरूप में परिवर्तन किये बिना भू उपयोग परिवर्तन के लिए अधिकृत किए जाने हेतु राय दी गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 2964/2023 उनवानी राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अराफात पेट्रोकेमिकल्स व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2023 में रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में रीको की अधिकारिता/कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में की गई विवेचना से उत्पन्न विधिक स्थिति के कारण उद्योग विभाग द्वारा रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को आ रही परेशानियों के निवारण हेतु एवं रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक की गयी कारवाईयों यथा भू उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन, लीज डीड निष्पादन, लीज होल्ड, अधिकारों का हस्तांतरण आदि के लिए विधिक रूप से अधिकृत, सक्षम बनाए जाने एवं रीको को भविष्यवृति कार्यों के लिए सक्षम बनाने हेतु दी राजस्थान

लैंड रेवेन्यू कमिटमेंट एंड वैलिडेशन बिल, 2025 सरकार द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित विधेयक राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में 100 (क) को अंत: स्थापित कर यह प्रावधान किया जा रहा है कि राजस्थान भू राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ होने तक और किसी भी रीति के तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि के वहन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन के लिए लिया गया था या लिया जाता है, रीको में निहित समझी जाएगी। तत्समय प्रावृत किसी अन्य विधि के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इससे सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, अभि न्याय, योजनाओं की तैयारी और संशोधन, भूमि के भूखंडों का उप विभाजन और विलयन, भूमि का व्ययन, भू उपयोग के विनिर्दिष्ट और परिवर्तन, अनुज्ञाएं प्रदान करने, अनुमोदन करने और राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में अपने कृत्य को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

spp/Rtm/21.03.25/15.00/2j

किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, विनिश्चय, डिक्री या आदेश इस अधिनियम के किसी उपबंध या तद्दिन बनाए गए नियमों के होते हुए भी और किन्हीं लोपों या दोषों या प्रक्रिया के रूप या सक्षम मंजूरी या अनुमोदन का अभाव होते हुए भी एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि रीको द्वारा जहाँ तक अपने नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के सम्बन्ध में किये गए भूमि के समस्त अंत:करण, उप विभाजन या भूखंडों या भूमि के विलयन, नियमितीकरण या अन्य समस्त कार्य राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन किए गए माने जाएंगे और समस्त प्रयोजनों के लिए विधिमान्य समझे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों के अध्यधीन रहते हुए रीको समय-समय पर इस धारा के अधीन उपबंधित समस्त वह किन्हीं मामलों के लिए और साधारणतया उन अन्य समस्त मामलों के लिए, जो उनकी राय में, उनकी शक्तियों के प्रयोग और उनके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाएं, विनियम बना सकेगा। ऐसे विनियम राजपत्र में उनका प्रकाशन होने तक प्रभावी रहेंगे।

इसके अतिरिक्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 261 में संशोधन का प्रस्ताव है। मूल अधिनियम की धारा 261 की उपधारा (2) के विद्यमान खंड 17 के पश्चात् और विद्यमान खंड 18 से पूर्व नया खंड अंत:स्थापित किया जाएगा। अर्थात् रीको में रखी गई और निहित की गई भूमि के बारे में धारा 100(क) के उपबंधों को प्रभावित करने की रीति विहित करना। ..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य: कितना है मंत्रीजी?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): एक-दो मिनट बस ज्यादा नहीं है। आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊपर लाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा माह दिसंबर, 2024 में राइज़िंग राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में एम ओ यू हुए। राज्य में लघु उद्योग एवं छोटे व मध्यम प्रतिष्ठान के समक्ष आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और यह विधेयक भी उसी दिशा में एक कदम है। जैसा मैंने बताया कि यह विधेयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के निराकरण के लिए एवं हजारों उद्योगपतियों के गत लगभग दो वर्षों से लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर पक्ष और विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने इस संशोधन के सम्बन्ध में अपनी-अपनी बातें रखीं। अनेक माननीय सदस्यों ने इसे जनहित में बताया तथा अनेक ने इसे गलत बताया। ये संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत लाना आवश्यक हुआ है, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत तथ्य मैंने अभी बताये हैं। हमारी सरकार का यह मानना हैं कि कोई भी कानून बने, उसका दूरगामी परिणाम होता है। ऐसी स्थिति में कानून जनहितकारी भविष्य में आने वाली सभी संभावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए बनाना आवश्यक है। सभी माननीय सदस्यों की जनभावना, उनके द्वारा किए गए तर्कों का अध्ययन कर तथा अन्य विशेषज्ञों से आवश्यकता होने पर चर्चा कर इस सम्बन्ध में परामर्श कर कानून बनाना जनहित में रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारी सरकार इस सुझाव को विधि सम्मत, हर सुझाव विधिसम्मत है, जनहित में है, उसे खुले रूप से स्वीकार करती है। इन परिस्थितियों में हमारा ये मानना है कि इस कानून को और परीक्षण कर आप सभी के सुझावों, तर्कों का अध्ययन कर आवश्यकता व विधिसम्मत होने पर उसके समावेश करने पर हम गंभीरता से विचार करेंगे ताकि ये कानून और जन उपयोगी बनें।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण), विधेयक, 2025

ऐसी स्थिति में मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव है कि इस राजस्थान भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को प्रवर समिति को भेजा जाए। धन्यवाद। ....(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ..(व्यवधान).. प्रवर समिति को आया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जनमत जानने को भेजो। प्रवर समिति को क्यों भेज रहे हैं?

..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण), विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जनने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वी वांट डिवीजन। वी वांट डिवीजन। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): डिवीजन कराइये। है ही नहीं संख्या इनकी। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: प्रवर समिति को जा रहा है। वापस आयेगा। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा अधिकार है डिवीजन, आप नहीं दे रहे हो। डिवीजन हमारा अधिकार है। आप गिन लो। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024, श्री जोगाराम पटेल। ..(व्यवधान).. यह संख्या सामने दिख रही है। डिवीजन नहीं। पहले वाला ध्वनिमत से पारित हो गया। ..(व्यवधान).. यह तो हो गया।

सदन कूप में

कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, यह जो डिवीजन की मांग कर रहे हैं, पिछले पांच साल में आपके पूरे कार्यकाल में आपकी सरकार ने एक बार भी हमको डिवीजन नहीं दिया। अब किस मुंह से मांग रहे हो? ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: बिल पारित नहीं किया है। ..(व्यवधान).. यह पारित नहीं किया गया है, प्रवर समिति को गया है। प्रवर समिति का गठन होगा, आप लोग भी उसमें रहेंगे। उसके बाद वापस आयेगा। ..(व्यवधान).. यह बिल वापस आयेगा। ..(व्यवधान).. प्रवर समिति के बाद यह बिल यहां वापस आयेगा। सदन में ही आयेगा बिल। ..(व्यवधान).. प्रवर समिति की मीटिंग के बाद सिफारिशें सदन में वापस आयेंगी और आपको उस पर चर्चा करने का पूरा मौका मिलेगा। ..(व्यवधान).. जनमत हो गया। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी संख्या में हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। संख्या में सिर्फ 20-30 हैं। और इधर 70-80 हैं। आप कभी भी ..(व्यवधान).. कोई भी ले सकते हैं। बिना मुद्दे के बात करते हैं।..(व्यवधान).. न कोई मुद्दा है, न कोई बात है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: प्रवर समिति को जा रहा है। ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको समझाओ आप।..(व्यवधान).. एक बार पास होने के बाद वापस नहीं हो सकती। ..(व्यवधान).. इनको

समझाओ आप। ..(व्यवधान).. आप गिन लो। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप गिन लो। ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह क्या तरीका है? ..(व्यवधान)..

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मुट्ठी भर हो। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप गिन लो न। ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप गिन लो, पता लग जाएगा। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): गिन लो न।..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप 30 लोग हो और सामने ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): गिन लो न ये रहे। ..(व्यवधान).. पहले आपके भी गिन लो। ..(व्यवधान).. आपके गिन लो।

एक माननीय सदस्य: 80 हैं हम। ..(व्यवधान)..

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप 20 हो, हम 80 हैं। ..(व्यवधान).. शुरू करें। ..(व्यवधान).. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाये। ..(व्यवधान)..

jyg/Rtm/21.03.25/15.10/2k

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री ताराचन्द जैन। ...(व्यवधान)...

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 जून 1975 का दिन इतिहास का काला दिन रहा है। जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सलाह से आपातकाल की घोषणा की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल जी ने प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से सांसद के रूप में भ्रष्ट चुनाव आचरण का दोषी माना और उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुर्सी छोड़ने का खतरा देखकर त्यागपत्र की बजाय देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विधेयक प्रवर समिति को गया है तो आपके लिए तो और चांस हो गये। उस समय चर्चा कर लेना। ...(व्यवधान)... वापस इस पर रिपोर्ट आयेगी तब आप इस पर भाग ले लेना। ...(व्यवधान)...

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन यादगार का दिन

है, क्योंकि यह काला अध्याय आज ही के दिन खतम हुआ। 21 मार्च 1977 को लगभग 20 माह की काल अवधि को भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा माना जाता है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार छीने गये।

बहिर्गमन

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... भ्रष्टाचार का यह खेल चलने वाला नहीं है। हम इसको चलने नहीं देंगे। ...(व्यवधान)... हमारा दल सदन से वाकआउट करता है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बर्हिगमन)

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सेंसरशिप के बिना अखबारों में कुछ छप नहीं सकता था। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि आज आपातकाल पर चर्चा होने वाली है, आज काले दिवस पर चर्चा होने वाली है, इंदिराजी द्वारा लगाये गये आपातकाल पर चर्चा होने वाली है, लोकतंत्र पर कुठाराघात पर चर्चा होने वाली है, इसलिए भाग रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: क्या कर रहे हैं ये? माननीय सदस्य, गोपीचन्द, इनको कहो। ये क्या है? ...(व्यवधान)... मैं दस बार कह चुका, आप दसवीं बार पकड़े गये हो, अब आपका बोलने में नाम नहीं आयेगा। ...(व्यवधान)... व्हाट यू डू? आपका मंत्री बोल रहा है, आपका सदस्य बोल रहा है और आप यहां आकर खड़े हो रहे हो?

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 जून 1975 का दिन इतिहास का काला दिन है। जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सलाह से आपातकाल की घोषणा की, न मंत्रिमण्डल की सहमति ली और न देश से राय ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जगमोहन लाल जी ने प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से सांसद के रूप में भ्रष्ट चुनाव आचरण का दोषी माना और उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने कुर्सी पर खतरा देखकर त्यागपत्र की बजाय देश पर आपातकाल थोपकर, लोकतंत्र की हत्या करके देश में आपातकाल लगाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन वो यादगार दिन है क्योंकि काला अध्याय आज ही के दिन खतम हुआ था। 21 मार्च 1977, लगभग 20 माह तक इस देश में आपातकाल का काल खण्ड रहा, भारतीय लोकतंत्र पर यह काला धब्बा माना जाता है। लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिये गये। आर एस एस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, सेंसर हुए बिना कोई भी समाचारपत्र न्यूज नहीं छाप सकता था। जनसंख्या कम करने के लिए बच्चे हों या बूढ़े, उनकी जबर्दस्ती नसबंदी कर दी गयी और हमने देखा कि सारा देश

लोकतंत्र की हत्या से गुजरता, उस समय विरोध करने वाले नेताओं में जय प्रकाश नारायण, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडीस, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवानी, भैरोंसिंह जैसे हजारों नेता और लाखों कार्यकर्ताओं को जेल के शिकंजे में गिरुफ्तार कर लिया गया। उसमें से मैं भी एक था। मेरे साथ उस समय बाल स्वयंसेवक जो संघ की शाखाओं में जाते थे उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और एक भरत मथुरिया जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उस समय उसकी उम्र मात्र 16-17 साल थी उसको शाखा से घसीटकर ले गये और उसके साथ इतनी मारपीट की, जिससे उसके कान की झिल्ली फट गयी और वो बहरा हो गया। आज हम देख रहे हैं, मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूं, मेवाड़ के अन्दर एक बस का ड्राइवर, रोडवेज की बस चलाते-चलाते हुए रास्ते में एक भैंस बैठी हुई थी, उसने ये शब्द कहे, सत्य है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, समय सीमा है।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, भैंस बैठी हुई थी, उठ नहीं रही थी तो उस ड्राइवर ने एक बात कही, इंदिरा गांधी की तरह ठूंठ होकर कैसे बैठी हुई है? उठ। तो उस ड्राइवर को जेल में डाल दिया। इस तरह से लोकतंत्र का मजाक किया गया और वो काला काल खण्ड समाप्त हुआ। उस समय कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी को इस बात का भरोसा हो गया कि देश के अन्दर 400 सीटें जीतेंगे तब उन्होंने चुनाव की घोषणा की लेकिन भारतीय लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं कि जब 1977 में चुनाव हुए, उस समय कहते थे, अखबारों में भी छपा कि गाय और बछड़ा, दोनों हारेंगे, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव चिह्न गाय और बछड़ा थे और इधर इंदिरा गांधी और बेटा संजय गांधी, वो दोनों 1977 में रायबरेली और उन दोनों क्षेत्रों से चुनाव हारे। मेरा यह निवेदन है कि पूर्व में भी वसुन्धरा सरकार के समय इस तरह की सम्मान निधि की घोषणा की गयी थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आयी, उन्होंने यह सम्मान निधि समाप्त कर दी। मेरा निवेदन है कि उस समय योगदान देने वाले सभी को सम्मान दिया जाये। आपातकाल को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस बात को समझ सके किलोकतंत्र का किस तरह से गला घोंटा गया था, लोकतंत्र सेनानियों को टोल से मुक्ति मिली थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दी। सभी आंदोलनकाकरी जो एक महीने से कम है उनको आज तक यह सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनकी फाइलें अटकी हुई हैं, उनको वापस शामिल किया जाये। लोकतंत्र सेनानियों को 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मानपूर्वक निमंत्रण दिया जाये, सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों जैसा सम्मान दिया जाये, ऐसा मेरा आग्रह है, सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। मैं पूर्व वसुन्धरा राजे सरकार और भजन लाल जी सरकार का धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने राज में आते ही लोकतंत्र सेनानियों को, लोकतंत्र के प्रहरियों को जो सम्मान दिया है वो वास्तव में उनका सम्मान नहीं इस लोकतंत्र का सम्मान है। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री रोहित बौहरा। श्री रोहित बौहरा। (अनुपस्थित)। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपातकाल के दौरान जिन नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश में लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन किया, जिनको तत्कालीन सरकार ने जेल में डाल दिया, उनके सम्मान में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं माननीय मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान जो आपने लिखा है, उसकी जगह यदि राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, यदि आप रखेंगे तो यह ज्यादा उचित रहेगा।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास में तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, यह ऐसा काल खण्ड था जिसमें अंग्रेजों के समय भी लोगों पर जितना अत्याचार नहीं हुआ उससे ज्यादा अत्याचार आपातकाल के दौरान हुआ। 25 जून 1975 से 31 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल लागू हुआ, पूरे देश को जेलखाने में तब्दील कर दिया, देश के तमाम विपक्षी राजनेताओं और सामाजिक नेताओं को जेलों में बंद कर दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी, अखिल भारतीय स्तर पर सबको जेल में डाला, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, मेरे पूर्व वक्ता ने इसकी चर्चा कर दी पर हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता भैंरोंसिंह शेखावत, सतीश चन्द्र अग्रवाल, हरिशंकर जी भाभड़ा, ललित किशोर जी चतुर्वेदी, जैसे नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, युवा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भयंकर अत्याचार किया, जैसा अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ। हमारे प्रदेश में वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राजेन्द्र गहलोत और घनश्याम तिवाड़ी, उनकी इस प्रकार से निर्मम पिटाई की गयी कि वो बेहोश हो गये।

MLS/RTM/21.03.2025/15:20/2I

पुलिस यह समझकर कि ये मर गये, उन्हें छोड़कर चली गयी। मुझे खुशी है कि आज जो आप बिल लाये हैं, यह 21 मार्च, इसी दिन 21 मार्च को हमारे देश से आपातकाल हटा था 21 मार्च, 1977 को और आज आप यह बिल लाये हैं, इससे बढ़िया सौभाग्य की बात हमारे प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के लिए हो नहीं सकती। आज मैं उन तमाम दिवंगत लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने में अपना जीवन न्योछावर कर दिया, उनको तो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और शेष बचे जो लोकतंत्र सेनानी हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1975 तक का कालखण्ड एक काले अध्याय के रूप में लिखा जायेगा और ये जो कांग्रेस के लोग बायकॉट करके गये हैं, वो इसलिए करके गये कि ये सुन नहीं सकते। जिस प्रकार का काला काम, जिस प्रकार के लोकतंत्र की हत्या का काम आप लोगों ने किया, उसको हिन्दुस्तान की

जनता किसी भी प्रकार से माफ नहीं करेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप कर रहे हो इस लोकतंत्र की हत्या तो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 25 जून, 1975 का वह काला दिन, कांग्रेस के इस काले धब्बे को कोई भी मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। मैं राज्य सरकार से एक मांग और करना चाहूंगा कि आज के दिन 21 मार्च, 1977 को आपातकाल हटाया गया था, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का दिवस है, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के दिन को लोकतंत्र पुनर्स्थापना दिवस के रूप में निश्चित रूप से मनाया जाये। मैंने कुछ अमेंडमेंट्स रखे हैं तो उनके बारे में मैं अभी बताऊं या बाद में बताऊं? ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, आज होना तो यह चाहिये था कि कांग्रेस के लोग खड़े होते और वे यह कहते कि हां, हमने यह अपराध किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, हम इसके लिए सामूहिक रूप से माफी मांगते हैं...।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आज आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो।

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, बोलने दीजिये। आपका नम्बर आये तो बोलना। प्लीज विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपका नम्बर आये, तब बोल लेना, पर इस काले धब्बे से कभी मुक्त नहीं हो सकते।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति महोदय, ये अगर इन्वाइट करेंगे तो हम बोलेंगे।

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, विराजिये। विराजिये आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कांग्रेस के लोग इस काले धब्बे से किसी भी हालत में मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।

श्री सभापति: आपका नम्बर आये, तब बोलना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप सब लोग लोकतंत्र के हत्यारे हो, हो, हो। क्यों साहब, गलत कह रहा हूं क्या?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): सही कह रहे हैं। बिलकुल सही कह रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, वे बोल रहे हैं, बोलने दो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसलिए मैं यह कहते हुए कि आपने यह शानदार और जानदार काम किया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रविन्द्र जी भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद सभापति महोदय, आज के इस विशेष विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया। निश्चित रूप से वह जो दौर था, वह पूरे लोकतंत्र के लिए एक काले बादल के समान था। उस समय के हाल अगर देखें, कई सारे युवा साथी यहां पर बैठे हैं, कई सारे भाई बाहर से भी देख रहे हैं। एक 'इमरजेंसी' करके फिल्म आयी थी। जब उसको देखा, ताराचन्द जी साहब अभी बोल रहे थे, कई सारी चीजें उन्होंने कहीं, कालीचरण

जी साहब उस समय के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। हमने वह दौर नहीं देखा, पर जिस माध्यम से भी हमें पढ़ने का, देखने का मौका मिला तो समझ में आया कि वाकई कितना बुरा वह कालखण्ड था, जिस समय हमारे देश के सारे नेताओं को, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्व. अटल बिहारी जी वाजपेयी को, जे.पी. जी को और तमाम देश और प्रदेश के नेताओं को, युवा साथियों को इमरजेंसी के दौरान उन सलाखों के पीछे भेज दिया गया।

लोकतंत्र का गला घोंटने का काम उस दौर में किया गया और मैं इस सदन के माध्यम से उस समय के उन तमाम लोकतंत्र के सेनानियों को बारम्बार वन्दन करता हूं, जिनके त्याग, तपस्या और हिम्मत की बदौलत यह लोकतंत्र आज इस मजबूती के साथ खड़ा है। अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो कई सारी चीजें हैं, जिनमें आज भी बदलाव आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं छात्र राजनीति के माध्यम से यहां तक पहुंचा हूं। पिछले राज के दौरान जब हम विरोध प्रदर्शन करते थे, जब युवाओं की बात सदन तक और सरकार के सामने रखने का प्रयास करते थे तो उस दौरान कई बार लाठियां, कई बार मुकदमे हमें सहने पड़ते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस पिछले राज के समय हमने विधान सभा का घेराव किया, कई बार जेल गये और कहीं न कहीं युवाओं की आवाज को हमने लाठी के नीचे दबते भी देखा, पर साहब, उन युवाओं की बात को हमने दबने नहीं दिया।

अगर आज के दौर की बात करूं तो आज के दौर में इस लोकतंत्र के सबसे पवित्र मन्दिर में जनता ने आशीर्वाद देकर हमें यहां भेजा। न पक्ष का साथ था, न विपक्ष का साथ था, पर जनता का आशीर्वाद था और उस दौरान जब बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था कि पार्लियामेंट के इस चुनाव में हुंकार भरो, इन 22 लाख लोगों का नेतृत्व करो, इनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब लड़ने के लिए आगे आये, जब उस समय नॉमिनेशन भरा और जैसे ही घर पहुंचे तो कई सारे ऐसे पत्र हमें मिले। इन पत्रों में क्या है कि साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह लैटर आया है, चार-पांच और भी डिपार्टमेंट्स के लैटर आये। मैं निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रदेश के मुखिया जी और तमाम लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें हुई हैं पर, जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, वे ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, जिससे कि सरकार की एक बुरी इमेज, एक गलत छवि कहीं न कहीं बने।

मेरा तो निवेदन है, यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी भी विराजे हैं, माननीय मंत्री जी भी विराजे हैं, ऐसी छवि नहीं बननी चाहिये। इन चीजों पर हमें विचार करना होगा और निश्चित रूप से लोकतंत्र के हम पैरोकार रहे हैं और जहां कहीं पर भी लोकतंत्र की बात आयी है, जनता की आवाज को दबते देखा है तो हमने मजबूती के साथ उनकी आवाज को मजबूत किया है, पर कहते हुए बड़ा दु:ख होता है कि इस सदस्य पर, जो आप सभी से उम्र में छोटा है, एम.पी. चुनाव के बाद एक साथ तीन-तीन मुकदमे दर्ज किये जाते हैं।

मुझे लगता है, इस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है और हम लोग जब जनता की आवाज को आगे तक नहीं रखेंगे तो उस जनता की आवाज को आगे तक रखेगा कौन?

आज उस जनता ने, उस देवतुल्य जनता ने हम सभी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देखकर यहां पर बैठाया है, ताकि हम उसके दु:ख और दर्द को प्रदेश की सरकार के सामने मजबूती के साथ रख सकें और जब यहां पर उस दु:ख और दर्द को रखा जाता है तो कई सारे जो पीछे बैठे हुए लोग हैं...।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त कीजिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मैं कह सकता हूं, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको इस चीज का अभी तक पता ही नहीं होगा, उनको भनक तक लगने नहीं दी होगी और पीछे बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र और साजिशों के द्वारा आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मेरा निवेदन है कि इस बार पर गम्भीरता से विचार कीजिये, क्या वाकई हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए छात्रसंघ जैसे चुनाव भी होने चाहिये, ताकि हमारी नयी पीढ़ी भी आगे आये। मैं पुन: सभापति महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन भी करता हूं कि हमारे जो लोकतंत्र के सेनानी थे, उनको पूरी सुविधाएं मिलें, निश्चित रूप से उनको याद किया जाये, हर स्कूल में उनको पढ़ाया जाये, ताकि पता चले कि साहब, वो हमारे लिए लड़े थे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

MKD/RTM/21.03.2025/15:30/2m

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पर चर्चा का क्षेत्र उसकी विषयवस्तु तक अपेक्षित है

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो लॉ मिनिस्टर भी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि पहली बार तो कोई बिल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बिल प्रोड्यूस होते रहे हैं। बिल जिस दिन होता है, उस दिन ओपन डिबेट नहीं होती है। बिल के खण्डश: पर चर्चा होती है। ओपन डिबेट यदि आप कर रहे हैं तो आप किसी भी दिन रख लीजिये। आप ओपन डिबेट रख लीजिए, वर्तमान व इमरजेंसी काल पर ओपन डिबेट रख लीजिए। इसमें इतना स्कोप नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, यह गलत परम्परा पड़ रही है। आप स्वयं लॉ मिनिस्टर हैं। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि बिल के खण्डश: पर चर्चा होती है। इसमें खास तौर से लिखा जाता है कि मैं इस संशोधन के लिए प्रस्तावित करता हूं, किस बात का संशोधन है, क्या ओपन डिबेट का संशोधन थोड़े ही ना है ये। प्लीज, मेहबानी करके आप इसकोबिल पर कम्फाइन करें। आपने इसको ओपन डिबेट कर दी। ओपन डिबेट कभी होता ही नहीं है। प्लीज, प्लीज, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप विराजिये, मैं माननीय मंत्री महोदय से, आपके

माध्यम से, इस पर आप व्यवस्था फरमाएं।

श्री सभापतिः माननीय विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि इतने माननीय वरिष्ठ सदस्य इस तरह का व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे। आज तक इस विधान सभा में जब-जब भी जनमत जानने का, जितने भी माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है, नियमों के अनुसार वे अपनी बात कहते हैं। सब माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। इससे पूर्व इसी परम्परा और इसी व्यवस्था के तहत, इन्हीं नियमों के तहत पूर्व का जो बिल था, उसके ऊपर भी डिबेट हुई है। बीच में नहीं, मेरी बात पूरी होने दें।

श्री सभापतिः प्लीज, आप विराजिये, आप विराजिये। आपका मुद्दा आ गया। आप बोल लिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप विराजिये, पहले मेरी बात पूरी होने दे। सुनने की क्षमता रखिये, सुनने का माद्दा रखिये। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो सुनने का माद्दा भी रखिये। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप बीच में बोले, तब आपको कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य बीच में बोलता है, उसको बोलने के अधिकार से वंचित करें।

श्री सभापतिः बीच में कोई बोलता है तो अंकित ना करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह स्वस्थ परम्पराएं हैं, ये नियम हैं, इन नियमों के तहत।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): 000

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य आप विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनका दर्द वाजिब है। आपातकाल के घोर विरोधी लोगों का दर्द वाजिब है। आपातकाल पर काला धब्बा लगाने वाले पार्टी के लिए तो दर्द वाजिब है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): 000

श्री सभापतिः आप विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह परम्परा से हो गया, डिबेट शुरू हो गई है, तीन माननीय सदस्य बोल गये हैं, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 0000

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): 000

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): 000

श्री सभापतिः श्री छगनसिंह जी राजपुरोहित। सदस्य, आपका बोल दिया। नियम से आइये। प्लीज सदस्य, विराजिये, विराजिये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, ये वही लोग हैं, जिन्होंने समय-समय पर संविधान की हत्या की है। आज भी वही काम कर रहे हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 आज पुरःस्थापित हो रहा है। मैं राजस्थान की सरकार को बधाई देना चाहूंगा।

मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि एक ऐतिहासिक बिल आ रहे हैं। आपने देखा होगा, विपक्ष के हमारे साथी संविधान का हवाला देते हैं और संविधान को तार-तार करने की बात करते हैं। यह वही काला दिन है, जब भी आपको मौका मिला, आपने संविधान को तार-तार किया है।

आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा होगा। 25 जून, 1975 से लेकर 21 मार्च, 1977 तक आप लोगों ने, आपके नेताओं ने, एक आपातकाल घोषित किया था और आनन-फानन में फैसला लिया था और देश में सभी लोकतंत्र के लिए काम कर रहे थे, उनको सभी को जेल के अंदर ठूंसा था। उसमें हमारे जालोर के कई सम्माननीय नेताओं को, हमारे लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाला था।

मैं इस मौके पर उनको भी याद करना चाहूंगा। जालोर जिले के स्वर्गीय श्री चम्पालाल जी मणौत, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी चंदजी मेहता, स्वर्गीय रघुनंदन जी व्यास, स्वर्गीय हरिशंकर जी दवे, स्वर्गीय श्री ताराराम जी प्रजापत, स्वर्गीय श्री पुखराज जी प्रजापत, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री ठाकुर प्रसाद जी ये देवलोक हो गए हैं।

अभी भी जो लोकतंत्र सेनानी हैं, आदरणीय श्री हरिशंकर जी राजपुरोहित, हमारे सदन के मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, वाधुमल जी सिंधी साहब, भगाराम जी सुथार साहब, बंशी सिंह जी चौहान साहब, गेनाराम जी मेघवाल साहब, बाबूदास जी वैष्णव साहब, कुंदन राम जी मेघवाल साहब, विरमाराम जी मेघवाल साहब, मधुसूदन जी व्यास साहब और प्रताप सिंह जी, इन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से सभी की भावना थी, सभी लोकतंत्र सेनानियों की भावना के अनुसार आपने जो खंड 3 में बात थी, उसमें माननीय मंत्री जी ने बदलाव किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिसमें अपने जीवनकाल के लिए सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता, निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के पात्र निम्नलिखित होंगे। लोकतंत्र के सेनानी और लोकतंत्र दिवंगत सेनानी का पति या पत्नी, उसमें अपवाद लिखा था कि लोकतंत्र

के सेनानियों के पति या पत्नी नि:शुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। जिसको विधेयक के खंड 3 में विद्यमान अपवाद में प्रयुक्त शब्द हकदार के पश्चात विद्यमान अभियुक्ति नहीं होंगे के स्थान पर अभियुक्ति होंगे तथा लोकतंत्र सेनानी के साथ एक सहायक भी नि:शुल्क परिवहन का हकदार होगा।

रोडवेज की सभी प्रकार की बसों में राज्य तथा राज्य के बाहर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह संशोधन किया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार से लोकतंत्र सेनानियों की मांग थी, उसी प्रकार से विधेयक के खंड 4 के भाग 3 में और प्रयुक्त अभियुक्ति 30 दिवस के स्थान पर 15 दिवस स्थापित किया। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए भी मैं प्रभारी मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसी प्रकार से विधायक के खंड चार में विद्यमान अभियुक्ति लोकतंत्र का सेनानी। जो की 50 विद्यमान अभियुक्ति वयस्कता प्राप्त होने के पश्चात हटाई जाए, यह बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि उस समय जिनको भी अंदर डाला था, जेल के अन्दर, वे अवयस्क थे। लेकिन इसमें जब खंड 4 के लोकतंत्र सेनानी, जो वयस्कता प्राप्त होने के पश्चात कम से कम 30 दिवस के लिए जेल में रहा है, किंतु जिसे क्षमा मांगने के पश्चात जेल से रिहा कर दिया। उसे यह सुविधा नहीं देने वाले थे, लेकिन यह भी हटाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

जिस प्रकार से इस बिल के अनुसार माननीय लोकतंत्र सेनानियों को आप सम्मान दे रहे हैं। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस पूर्ववर्ती सरकार ने आते ही लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान बंद किया था, उसे पूरा जोड़कर ब्याज सहित उनको दिया जाए, एरियर सहित। जिससे लगेगा कि वास्तव में हम सम्मान करना चाहते हैं। यह तो वे ही हैं, जो बार-बार लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम सब चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, कई ऐसे लोकतंत्र सेनानी हैं, जो स्वर्ग सिधार गये हैं। उनका भी सम्मान शाही सम्मान के साथ, जिस प्रकार से उनकी भावना है, सभी लोकतंत्र सेनानियों की भावना है, उसके अनुसार काम करें। उन्हें हवाई यात्रा में भी कोई न कोई छूट मिले। सभी की इच्छा है, आज के टाइम में उन सभी की वृद्धावस्था हो गई है तो जब भी गाड़ियों में वे जाएं तो उनको टोल फ्री की भी सुविधा हो। ऐसा हम चाहेंगे।

इसी प्रकार से मैंने पहले बताया कि उन्होंने जो सम्मान निधि बंद की है, उसको वापस शुरू किया जाए और विशेषकर विधेयक के संशोधन पर लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने की दशा में। हां, यह मुख्य विषय है कि 90 दिन का जो पीरियड रखा है कि आप 90 दिन के अंदर अपने कागज पेश करें तो उसकी यह समय सीमा हटाई जाए। यह वास्तव में 90 दिन का जो पीरियड रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं विशेषकर कहूंगा कि यह हटाया जाए।

मैं एक विशेष बात करना चाहूंगा, एक लोकतंत्र सेनानी हैं, जिनकी एप्लीकेशन भी बार-बार दी हुई है। वहां के माननीय कलेक्टर को भी दी हुई है। आदरणीय करणसिंह जी नेत्रा, जो लोकतंत्र सेनानी हैं। जिनके 12.07.2018 से 22.08.2018 तक और 03.08. 2018 से

16.10.2019 तक, करीब 3 लाख 31 हजार 555 रुपए उनके बाकी हैं, कुल पेंशन 3 लाख 49 हजार 239 रुपए बकाया है।

Bhs/Rtm/21.03.25/15.40/2n

उनके कोर्ट का भी आदेश है, यह कॉपी है। मैं चाहूंगा कि ऐसे करण सिंह जी नेत्रा का भुगतान हो जाए तो उनको भी सम्मान मिलेगा कि हमारे लिए काम किया है। मैं आज इस मंच से पूरे प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को और पूरे देश के लोकतंत्र सेनानियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने लोकतंत्र की हत्या होने से उस समय बचाया था, इसी के कारण आज ये हम यहां सदन में बैठे हैं, इसी कारण आज वापस बार-बार चुनाव हो रहे हैं अन्यथा वह दिन आया था कि वह चुनाव नहीं कराने वाले थे और एकतरफा राज करने वाले थे और हमारे देश के प्रधान मंत्री यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका मिला है। एक बार भी कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है लेकिन 17-17,20-20 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर इन लोगों ने हमेशा काम किया है। ऐसे लोगों को लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए ऐसा बिल आया है जो वापस कभी 19-20 होता है तो ऐसे सम्मान में कहीं अपमान नहीं हो, बिल लाकर आपने जो काम किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने जो छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए प्रस्ताव दिया था उसे मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी जी (अनुपस्थित)। श्री संदीप जी शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो बहुप्रतीक्षित राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 ले कर आई। यह बिल प्रदेश की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता थी। मैं बताना चाहता हूं कि देश के गौरवशाली लोकतंत्र की रक्षा हेतु जिन लोगों ने निडरता के साथ साहस के साथ संघर्ष किया, जेल गये, अत्याचार सहा, घोर यातनाएं सही और उन वेदनाओं को सिर्फ उन्होंने ही नहीं सहा सभापति महोदय, उनके परिजनों ने भी उस पीड़ा, उस तकलीफ को सहन किया लेकिन ये स्वाभिमानी लोग, ये साहसी लोग इतनी यातनाएं, अत्याचार और पीड़ा सहने के बाद भी सिर्फ गौरवशाली लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते रहे, जेलों में जाते रहे और 21-21 महीनों तक हमारे वो लोकतंत्र सेनानी जेलों में रहे और बिना किसी कारण ऐसे ही व्यक्तियों के लोकतंत्र के प्रति समर्पण, लोकतंत्र के प्रति उनका त्याग और ऐसे ही लोगों को लोकतंत्र सेनानियों की उपाधि मिली हैं जिनके सम्मान में आज बिल लाया गया है।

सभापति महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2008 में यह सम्मान

जिसमें उनके द्वारा किये गए अद्भुत और वीरतापूर्वक, निडरतापूर्वक लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उसके लिए उन्हें एक सम्मान चाहे वह पेंशन के रूप में, चाहे वह अन्य सहयोग राशि के रूप में, सुविधाओं के रूप में प्रारंभ किया, परंतु आपकी लोकतंत्र विरोधी सरकार ने उन सुविधाओं को आते ही, उस पेंशन को आते ही 2008 में जब आपकी सरकार आयी तो आपने बंद कर दिया। 2013 में पुनः हमारी सरकार आयी और हमने वह सुविधाएं प्रारंभ की लेकिन 2013 की सरकार के बाद जैसे ही 2014 में हमने उनको सुविधाएं प्रारंभ की और 2018 में आपकी सरकार ने आते ही उसे पुनः बंद कर दिया इसलिए आवश्यकता थी इस बिल की उन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान की सुविधाओं को आप सदैव बंद करते रहे क्योंकि आप लोकतंत्र का सही अर्थ समझे नहीं। आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आप लोकतंत्र सेनानियों को और लोकतंत्र की रक्षा में उनके योगदान को आप समझ सकें।

सभापति महोदय, लोकतंत्र तो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारे संस्कार हैं, लेकिन कभी आपको इस चीज़ का भान नहीं हुआ कि लोकतंत्र के रक्षक उस संस्कृति, संस्कार, उस विरासत की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। यह विधेयक ऐसे लोकतंत्र सेनानियों के लिए लाया गया है। इस अधिनियम में उन्हें प्रदान की गई राशि, सुविधा, सम्मान उन पर कोई अहसान नहीं है। यह तो एक साधारण सी कृतज्ञता है उस महान ऋण के लिए जो उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए किया था। यह केवल अधिनियम नहीं, यह कालजयी संदेश है, देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ़ संघर्ष कर अपना जीवन होम करने वाले योद्धाओं के लिए जिन्हें राजस्थान कभी नहीं भूलेगा।

माननीय सभापति महोदय, देश में अब तक तीन बार आपातकाल लगा है। पहला आपातकाल 1962 से 1968 जब भारत-चीन का युद्ध हुआ। 1971 में दूसरा जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ और तीसरी बार 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इतिहास का कालखंड नहीं, काला खण्ड था। इस काल में आपने अंग्रेजों ने जो अत्याचार किये ना उनको भी आपने पीछे छोड़ दिया। देश के इतिहास का काला अध्याय इन 21 महीनों के अंदर आपने लिखा। आपातकाल में आपने मानवाधिकार का गला घोंटा, प्रेस का गला घोंटा, सरकार के खिलाफ़ कोई आम आदमी राय व्यक्त करता था तो उसको जेलों में ठूस दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों तक को आपने नहीं छोड़ा।

माननीय सभापति महोदय, आपने जिस प्रकार सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है, आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। लालू यादव जी ने तो अपनी पुत्री का नाम ही मीसा रख लिया था और जो आप मीसा और डी.आई.आर. लेकर के आये मेंटीनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स, 1971 इन्हें लगाकर आपने राजनीतिक बन्दियों पर अमानवीय अत्याचार किये और अकेले मीसा कानून में ही लाखों-लाखों लोगों को आपने

गिरफ्तार किया देश भर में। आपको तो लोकतंत्र में, आप अच्छा है बोल नहीं रहे हो, क्योंकि आपके पास अधिकार भी नहीं है लोकतंत्र पर बोलने का।

माननीय सभापति महोदय, 1939 में 1580 वोट लेकर सुभाष चंद बोस, उनको आपने अध्यक्ष नहीं बनने दिया। इसी प्रकार आपने 1946 में कांग्रेस की 15 में से 12 प्रांतीय समितियों के समर्थन के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपने अध्यक्ष बनने से रोका, रोका कि नहीं रोका? ...(व्यवधान)... और महारानी गायत्री देवी, उनके पुत्र जो महावीर चक्र के विजेता थे भवानी सिंह जी उनको आर्थिक स्मगलिंग कानून में आपने गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेज दिया, बीमार पड़ गए तो उनको चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं कराया आपने। यह हाल रहा है प्रदेश में जिस प्रकार से मीसाबंदी और डी.आई.आर. बन्दियों की संख्या हमारे यहां लगभग 1,100 से ज्यादा है। आप हमें लोकतंत्र की क्या दुहाई दोगे। आप बातें करते हो, आप के दो नेता तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं लोकतंत्र के लिए खून बहा दिया, बलिदान कर दिया, लोकतंत्र बचाया, अरे ये लोकतंत्र सेनानी नहीं होते ना तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह भारत के हाल हो गए होते, माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

माननीय सभापति महोदय, 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया, उन पर चुनावों में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला सिद्ध हुआ, उनका निर्वाचन रद्द करते हुए छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य ठहराया। यह पहला केस था जिसमें देश की प्रधान मंत्री को 5 घंटे तक कोर्ट में खड़ा रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें संसद की कार्यवाही से भाग लेने की छूट तो दे दी थी परन्तु उन्हें वोट देने के अधिकार पर रोक लगा दी थी। ऐसे समय में नैतिकता बनती थी कि अपने पद से इस्तीफा दे देते लेकिन उन्होंने लगा दी इमरजेन्सी भारत में आपातकाल लगा दिया।

माननीय सभापति महोदय, 1999 में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी, उस समय संसद सत्र चल रहा था। इसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बजाय राष्ट्रपति नारायण जी ने अटल जी को विश्वास मत लाने के लिए कहा। लोकसभा अध्यक्ष बालयोगी गिरधर गोमांग जो मुख्य मंत्री बन गए थे, मुख्य मंत्री बनने के बाद उनको अधिकार नहीं था, लेकिन उन्हें विशेष रूप से अनुमति दी गई जबकि 1999 में उड़ीसा के मुख्य मंत्री बन चुके थे लेकिन इन सब षड्यंत्रों के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नैतिक चरित्र उद्धात मूल्यों का परिचय देते हुए उन्होंने कभी सांसदों की खरीद-फरोख्त जैसा काम नहीं किया। सिद्धांतों की राजनीति का ऐसा उदाहरण आपने नहीं देखा होगा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता इसलिए हमारी पार्टी चाल, चेहरे और चरित्र की बात करती है, राजनीति में शुचिता की बात करती है। 1986 की बताऊं आपको तलाकशुदा महिला शाह बानो को पति से गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिये थे।

Kas/rtm/21.03.2025/15.50/2o

लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में आकर तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून, 1986 पास कराया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। लोकतंत्र की आत्मा का हनन कैसे होता है, यह उस समय सबने अपनी आंखों से देखा था। क्या देश की जनता ने कांग्रेस को इसलिए बहुमत दिया था कि उसका उपयोग कर एक बुजुर्ग महिला के अधिकारों को कुचला जा सके? यह न केवल संविधान की हत्या थी, बल्कि न्यायपालिका की भी हत्या इस केस में की गई थी। कांग्रेस को जिस भरोसे पर जनता ने वोट दिया था, उस विश्वास की हत्या थी। कितना बड़ा शाहबानो केस आपने पलटा। कर्नाटक में मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण आपकी सरकार देने जा रही है। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का आपने बताया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य, आप ट्रेक पर रहो, जो बिल लेकर आये हो, उस पर रहो। आप तो आसन से सभी सदस्यों को डाइरेक्शन देते हो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): यह बिल पर ही बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं तो मैं बिल पर आ जाता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप ही पटरी चेंज कर रहे हो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इस बिल की धारा में ...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, एक बात कह देता हूं, सबसे आखिर में मेरा नंबर है, एक-एक का जवाब दूंगा तब भागना मत।

श्री सभापति: जो आपको कहना है, आप कह देना।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इस बिल की धारा 3 में सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा की पात्रता में अपवाद के माध्यम से लोकतंत्र के सेनानियों के पति या पत्नी को परिवहन सुविधाओं से वंचित किया गया है, जो सही नहीं होगा। इस बिल की धारा 8 में दिवगंत लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के पश्चात् पति या पत्नी को सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता का हकदार बताया है, इसी प्रकार लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के उपरांत पति या पत्नी को भी इस बिल की धारा में संशोधन कर परिवहन सुविधा मिलने का प्रावधान भी जोड़ा जाये। इस बिल की धारा 4 के बिन्दु संख्या 3 में लोकतंत्र सेनानी, जो 30 दिवस से कम समय के लिये जेल में रहने की आवश्यकता बताई है, जो उचित नहीं है, इसको संशोधित करते हुए 10 दिन की अवधि की जानी चाहिये। इस बिल की धारा 5 की उप धारा 3 में अंकित है कि लोकतंत्र के सेनानियों को सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान पत्र भी उपलब्ध कराया जाना बताया गया है। इस सम्बन्ध में दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का भी पहचान पत्र जारी किये जाने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाना चाहिये, जिसमें आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को भी लोकतंत्र कायम रखने के लिये प्रेरणा प्राप्त हो सके, इनमें देश भक्ति की भावना जागृत हो सके।

सभापति महोदय, मैंने जो यह जनमत जानने के लिये प्रस्ताव दिया था, उसको मैं

वापस लेता हूं और इस विधेयक के पक्ष में अपनी अनुशंसा करता हूं कि इसको लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में पूर्ण मत से पास किया जाये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन।

श्री सभापतिः बोलिए।

सूचना

सुमेरपुर में पैंथर हमले में मृतक के परिवार को मुआवजा व सहायता

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, कल शाम को 3-4 बजे के बीच में भोलाराम पुत्र कानाराम और उसके पिता कानाराम दोनों जंगल में भेड़-बकरी चरा रहे थे। लगभग 4 बजे एक पेंथर ने कानाराम के गले को पकड़ कर उसी समय उसको मौत के घाट पर उतार दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 6 साल पहले इसी कानाराम के एक पुत्र तेजाराम को एक मगरमच्छ ने मार दिया था। मैं सदन और सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज सुमेरपुर में जवाई गेस्ट हाउस पर लगभग 4-5 हजार भेड़ पालक वहां इकट्ठे हुए हैं। सरकार को उनको उचित मुआवजा देना चाहिये और उनके परिवार में जो भोलाराम की पत्नी पुष्पा को संविदा पर नौकरी दें। एक ही परिवार में जंगली पशुओं के कारण दो जनों की मौत हो जाना, यह अत्यंत चिंतनीय बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनको तुरंत कोई न कोई अच्छा पैकेज दें, ताकि परिवार को मदद मिले। उसके मात्र तीन साल का एक बच्चा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं।

श्री सभापतिः आ गया ध्यान में। श्रीमती अनिता जी भदेल।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर दिया। पहले तो मैं मेरी सरकार को, हमारे मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो यह बिल लेकर आये हैं। आपातकाल की कालावधि 25 जून को हम सब काला दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जून, 1975 से प्रारंभ होकर 21 मार्च, 1977 तक की यह कालावधि रही और इस कालावधि में जैसा कि मेरे से पूर्व के माननीय सदस्यों ने कहा कि 12 जून को इलाहबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रायबरेली के चुनाव को रद्द कर दिया और इस चुनाव के रद्द होने से श्रीमती इंदिरा गांधी इतनी बौखला गई कि उन्होंने पूरे देश पर आपात काल लगा दिया, क्योंकि उनको छह वर्ष तक चुनाव लड़ने की पाबंदी थी। जिस तरह से वर्तमान में कांग्रेस ऐसा सोचती है कि हिन्दुस्तान के लोग इतिहास भूल गये होंगे, पर हिन्दुस्तान के लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी है, वो इतिहास भूलते नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग उनको इतिहास भूलने भी नहीं देंगे। जिस तरह से आपात काल के समय सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंसा गया, ना

केवल ठूंसा गया, बल्कि हमारा जितना मीडिया था, पत्र-पत्रिकाएं थीं, उन सब पर रोक लगा दी गई। कोई किसी प्रकार का ना तो लेख लिखेगा न सरकार के खिलाफ बोलेगा। लगभग 21 माह की यह कालावधि थी, जिस कालावधि में लोग बिना किसी अपराध के जेलों में ठूंस दिये गये।

माननीय सभापति महोदय, जैसा उल्लेख आया कि भैरोंसिंह शेखावत जी, गुलाब चन्द कटारिया जी, ऐसे बहुत से लोग उस समय जेलों में रहें और बिना किसी अपराध के, निरापराध ही उनको जेलों में ठूंसा गया। निश्चित रूप से बहुत सोच-समझ कर जो 21 मार्च आज का दिन तय किया गया है, 21 मार्च, 1977 मोरारजी देसाई ने यह अधिसूचना जारी करके इस आपात काल को खतम किया था, तो आज का दिन बहुत ही महत्व का दिन है।

माननीय लॉ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, आप यह बिल लाकर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इसके पहले 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्य मंत्री थीं, तो उन्होंने मीसा, डी आई आर और सीआर पी सी की धाराओं में जो लोग बंद थे, उनको पेंशन देने के लिये, सम्मान देने के लिये 2008 में उन्होंने नियम बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 2008 के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, तो उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। 2008 के बाद जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में पुनः यह नियम लागू किये गये और पेंशन देने का काम प्रारंभ हुआ। सभापति महोदय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2019 में जब पुनः कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार ने बिना किसी तर्कपूर्ण कारणों के इस पेंशन को, इस सम्मान राशि को बंद कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये वो लोग हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ उस समय की तत्कालीन कांग्रेस के समक्ष इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिये न केवल पीड़ाएं सहीं, बल्कि अपने घर-बार छोड़ कर जेलों में रहें। मैं सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि जिन लोगों को 2013 में यह पेंशन, यह सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ था और 2013 के बाद 2018 से लेकर, 2019 से लेकर 2023 तक जिनकी रोकी गई, तो हम यह बिल लेकर आये हैं, तो मेरा आग्रह है कि उनको पिछले 5 साल का पैसा एरियर के रूप में भी दिया जाये, ताकि उन लोगों को लगे कि कांग्रेस सरकार के आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिये विचार किया। पांच साल का एरियर अगर उनको मिलेगा तो यह कांग्रेस को और कांग्रेस की सरकार पर बहुत जोरदार वाला थप्पड़ होगा, क्योंकि उनको लगा कि पिछली सरकारें नहीं कर सकीं, लेकिन सरकार कर सकती है।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी, इस बिल की धारा 3 में लिखा है कि लोकतंत्र के सेनानियों के पति या पत्नी निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। मेरा आपको सुझाव है, यह निवेदन है, चूंकि 2025 चल रहा है और 1975 में यह आपातकाल लगा था, लगभग 50 साल हो गये, अभी लगभग इसके 1,200 लोग हकदार हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि लगभग 70-80 वर्ष की उनकी आयु है।

Msk/rtm/21.03.25/1600/2p

हम वृद्ध लोगों को भी रियायत देते हैं। चूंकि हम वृद्धावस्था में लोगों को रियायत देते हैं और वोल्वो बसों में 50 परसेंट की छूट तो वैसे ही दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप पति/पत्नी को शामिल करिये और पति/पत्नी को शामिल करने के साथ इसमें एक सहयोगी को, यदि इसमें एक अटेंडेंट भी जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में एक अटेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त सब लोगों ने जो बार-बार आग्रह किया, धारा-8 के बिन्दु-2 में उल्लिखित किया गया है कि उनके पति की मृत्यु की तारीख से 90 दिवस के भीतर-भीतर आवेदन करना होगा। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि 2019 में कांग्रेस ने बन्द कर दिया। अब कांग्रेस ने बन्द ही कर दिया था तो जो कुछ लोग शेष बचे थे, वे बन्द करने के बाद आवेदन नहीं कर पाये। आवेदन नहीं कर पाये तो पांच साल की कालावधि निकल गयी है। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने बन्द कर दिया और 90 दिन की कालावधि निकल गयी। तो ऐसी जो पत्नियां हैं या जो पति हैं, जो आश्रित हैं, उनको भी यह लाभ मिलना चाहिए। 90 दिन की अवधि को इसमें से विलोपित करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि धारा-3 में सम्मान राशि, चिकित्सा व सहायता, नि:शुल्क परिवहन का उल्लेख किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: उल्लेख करना चाहूंगी कि लगभग 1200 के करीब लोग हैं। मेरा निवेदन कि जिस तरह से हम स्वतन्त्रता सेनानियों को बेनिफिट्स देते हैं, यदि इन 1200 लोगों को भी स्वतन्त्रता सेनानियों के रूप में बेनिफिट देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन स्वतन्त्रता सेनानियों ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरह से इन सेनानियों ने लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों ने लोकतन्त्र स्थापित नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से स्वतन्त्रता सेनानियों ने लोकतन्त्र स्थापित किया, लोकतन्त्र स्थापित करने के बाद कांग्रेस ने इस लोकतन्त्र पर ग्रहण लगाया तो मेरा निवेदन है कि इनको स्वतन्त्रता सेनानियों के जैसे सम्मान मिलना चाहिए। राजकीय सम्मान के साथ इसमें अंत्येष्टि की क्रिया की जानी चाहिए। बाकी के राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वतन्त्रता सेनानियों को अंत्येष्टि की क्रिया के समय भी सम्मान मिलता है। इसी तरह से आपने जो राशि निर्धारित की है, मैं यह तो मानती हूं कि आप नियम बनायेंगे और नियम के तहत ही आप राशि तय करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस एक्ट में ही प्रावधान कर देना चाहिए, ताकि बार-बार सरकार की ओर ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों को ताकना नहीं पड़े, उनकी पेंशन, चिकित्सा भत्ते को बढ़ाने के लिए। तो आप एक्ट में प्रावधान कर दीजिये कि 10 प्रतिशत हर साल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से इनको बार-बार आपके सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य की सड़कों पर टोल-फ्री, हम विधायकों को, सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को टोल-फ्री की सुविधा मिलती है, उसी तरह से इन स्वतन्त्रता सेनानियों को भी टोल-फ्री की सुविधा मिले। औद्योगिक क्षेत्र में रियायती दर पर प्लाट का आवंटन हो। रोडवेज की बसों के लिए आपने उल्लेख किया है कि आप निःशुल्क सुविधा देंगे। मेरा निवेदन है कि नियम बनाते समय यह ध्यान रखा जाये कि रोडवेज की सुविधा सभी प्रकार की श्रेणियों में मिलनी चाहिए, सिर्फ रूटीन की बसों में ही न हो, यह मेरा आपसे निवेदन है।

एक अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगी कि सरकारी आवास में ठहरने के लिए, जैसे सर्किट हाउस में ठहरने के लिए बाकी लोगों को रियायती दर पर सुविधा मिलती है, बहुत कम लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं हैं। इनको सरकारी आवास में ज्यादा ठहराना नहीं पड़ता, कुछ दो-चार लोग जरूर सरकारी आवास में ठहरने की इच्छा रखते होंगे। मेरा निवेदन है कि यदि इन लोगों को भी सरकारी, जिस भी श्रेणी के आवास हैं, उनमें ठहरने की सुविधा में रियायत मिल जायेगी तो वास्तव में हम ऐसे सेनानियों का सम्मान कर पायेंगे। निश्चित रूप से यह जो बिल लेकर आये हैं, उसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करती हूं। मैंने जो जनमत जानने के लिए मांग की थी, उसको मैं वापस लेती हूं। लेकिन जो सुझाव और संशोधनों के लिए मैंने निवेदन किया है, उसके लिए आप जरूर विचार करेंगे। मैं इस बिल का बहुत-बहुत स्वागत करते हुए, मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जी।

सूचना

कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेंशन प्रकरण पर कार्रवाई के अभाव में पेंशनर्स का जारी धरना

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इंफोर्मेशन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, वे धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी पेंशन का प्रकरण है, जो सरकार ने पास कर दिया, फाइनेंस से पास हो गया। मैं और ललित मीणा जी, उस बॉम के सदस्य भी हैं। हमने भी पास कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। वे आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं। 30-30, 40-40 साल तक नौकरी करने के बाद अब उनके पास कोई सहारा नहीं है, उच्च शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री जी हमारे मध्य हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कोई कोताही न हो और इन रिटायर्ड पेंशनरों की पेंशन जल्दी प्रारंभ हो।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)...डबल इंजन की सरकार।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान विधान सभा में राजस्थान लोकतन्त्र के सेनानियों का सम्मान विधयेक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा और हमारे विधि मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक बिल रखा है, जिसकी महती आवश्यकता थी। 25 जून, 1975 को भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इंदिरा गांधी जी की सिफारिश पर, वह सिफारिश भी ऐसी कि बिना कैबिनेट की मीटिंग बुलाये हुए उन्होंने आपातकाल देश के अन्दर घोषित कर दिया था, जिसे आज लोग काला दिवस के रूप में, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय मीडिया पर पाबन्दी लगायी गयी थी। जहां से अख़बार छपते थे, उन छापाखानों की बिल्डिंग के कनेक्शन काट दिये गये थे। ताकि वे अख़बार में आपातकाल की घोषणा नहीं कर सके। उसके साथ-साथ प्रेस पर पूरी सेंसरशिप लगायी गयी। संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकालीन शक्तियों के ग्रहण करने एवं अलोकप्रिय नीतियों को थोपने, असंवैधानिक कार्यों की आलोचना बहुत सारी मीडिया द्वारा की जा रही थी। जबरन नसबन्दी को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थे। और तो ओर फिल्मों पर भी सेंसर लगा दिया गया। चाहे किस्सा कुर्सी का हो, चाहे आंधी हो, चाहे इमरजेंसी हो, उनके प्रिंट तक जला दिये गये थे। इमरजेंसी के बाद इन फिल्मों का निर्माण भी हुआ। इसके साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सीमित करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा क्या कह दिया कि माननीय सदस्य बाहर चले गये?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वे यह कहने गये कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता जिस तरह से मुस्करा रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इंदिरा गांधी जी ने हमारे राजनीतिक नेताओं और लाखों निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी मुस्कराहट से भी दिक्कत है?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): विपक्ष के नेताओं का जेल में होने के कारण विधायी शक्तियों का विस्तारीकरण और न्यायपालिका के अधिकार भी सीमित कर दिये गये। संविधान में अनेकों संशोधन किये गये। जनसंख्या नियन्त्रण के रूप में..(व्यवधान)..

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 18 ही आदमी हैं।

श्री सभापतिः आप गिनती सही कर लें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): बाद में गिनती कर लेना। अध्यक्ष महोदय, जब हाथ ऊपर करायेंगे तब गिनती कर लेना। जनसंख्या नियन्त्रण के रूप में गरीब पुरुषों की बड़े पैमाने पर जबरन नसबन्दी की गयी। उस समय हम कॉलेज में थे। हमारा नेतृत्व हमारे राज्यसभा

सांसद राजेन्द्र जी गहलोत कर रहे थे। हम सोजती गेट जोधपुर पर नारा लगा रहे थे+++। तो राजेन्द्र जी को गिरफ्तार करके ले जाकर उनके पैरों के नाखून काटे गये। ...(व्यवधान)... जूली जी सुनें। जूली के उधर सुनने वाले काफी हैं। हम सोजती गेट जोधपुर पर नारा लगा रहे थे, +++।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, ये शब्द ठीक नहीं हैं। ऐसे नहीं। गलत बात।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): यह तो नारे लगा रहे थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप लगा रहे हों। इसे हटा दें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप अपनी सीट पर जाकर बात करें।

(माननीय सभापति महोदय द्वारा इशारे से नारे को विलोपित करने के निर्देश)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): राजेन्द्र जी गहलोत को इन नारों पर गिरफ्तार किया गया और उनकी पैरों की अंगुलियों के नख काटे गये और उनके साथ मारपीट की गयी। भविष्य में ऐसे नारे नहीं लगें, उनके साथ इतनी मारपीट की गयी। ...(व्यवधान)...

mdp/rtm/21.03.25/16:10/2q

जो नारा अभी इन्होंने विलोपित करवाने का किया, +++ तो कहीं ट्रेड यूनियन और श्रमिकों के जो संघ थे, उन संगठनों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। हजारों जो लोग थे उनको विस्थापन करना पड़ा। मुझे याद है, नेता प्रतिपक्ष महोदय, जूली जी, मुझे याद है ईमानदारी से बता दूं कि उस समय नसबंदी के नाम पर जो अंधे दो-तीन लोग थे, उनको आँखों का ऑपरेशन का कह कर ले जाकर उनकी नसबंदी कर दी। इतने जुर्म और ज्यादतियां हो गयीं। हकीकत है, बचे नहीं थे, यह हो सकता है, हम कॉलेज में थे, हकीकत है। उनको आँखों का ऑपरेशन का कह कर ले जाकर उनकी नसबंदी कर दी।

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित कीजिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ऐसे जुर्म के बाद उन लोगों को जेलों में डाल दिया गया, जो हमारे नेता विपक्ष के, जो भी इमरजेंसी के खिलाफ़ बात करते, उनको जेल में डाल दिया और उनके साथ बहुत सारे अत्याचार किये गए। उन लोगों के लिए, जब स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, कांग्रेस भी कह रही थी कि भई उनको ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए तो वह भी स्वतंत्रता सेनानी के लायक, जो लोकतंत्र के सेनानी थे, उनको भी जो हमारी सरकार ने सम्मान और सुविधा देने का निर्णय किया और आज बिल लेकर आये हैं, मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया, मैं वापस लेता हूं। जय हिंद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि

उन्होंने लोकतंत्र के सेनानियों का यह अधिनियम लाकर, उनको सुविधाएं देने का काम किया। जब-जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब-तब मीसाबंदियों की, डीआरआई बन्दियों की और सीआरपीसी बन्दियों को जो पेंशन, जो सुविधाएं हम देते थे, उनको बंद करने का पाप इन्होंने किया। ये पाप के भागीदार हमेशा बनते हैं और बनते रहेंगे और इसी प्रकार से इनको विपक्ष ही झेलना पड़ेगा।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी को, उन्होंने एक अच्छा अधिनियम लाकर इस लोकतंत्र की रक्षा करने वालों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। 25 मार्च को पूरे देश के अंदर काला दिवस मनाया जाता है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक पूरा देश जेलखाना बना रहा और ये जेलखाना बनाने का काम किया इस देश में इंदिरा जी ने अपनी हठधर्मिता के कारण उन्होंने अपने चुनावी धांधलियों के कारण जब उनको इलाहाबाद हाइकोर्ट से डांट पड़ी और उनकी लोक सभा की सदस्यता जा रही थी, तो उन्होंने धांधली कर ली और इस देश के अन्दर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 के द्वारा इस पूरे देश के अन्दर आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल ऐसा लागू किया कि पूरे देश को जेलखाना बना दिया। आज हमें यह कहते हुए खून के आंसू रोना पड़ता है कि इस देश के अन्दर लोकतंत्र की स्थापना करने वाले जो महापुरुष थे, इंदिरा जी की हठधर्मिता के कारण, इस देश को पूरा जेलखाना बना दिया। मुझे याद है 1961 में जब मेरा जन्म हुआ और 1975 में ये आपातकाल लागू हुआ तब मैं 15 साल का था, तब उस समय, मैं तो गया नहीं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मेरे परिवार के लोग भागते फिरे, जनसंघ के कार्यकर्ता भागते फिरे, संघ के कार्यकर्ता भागते फिरे, सामाजिक कार्यकर्ता भागते फिरे और यहां तक कि पत्रकार भी, जो खुलकर बोलने वाले थे, उनको भी ठंडे बस्ते के अन्दर जमा करने का काम किया इस आपातकाल ने।

उस समय लोगों को पकड़-पकड़ कर के नसबंदियां करने का काम किया जा रहा था, इस देश के अन्दर। यानी की जो नाबालिग थे, 17-18 साल के थे, उनको भी पकड़कर उनकी नसबंदी करने का काम किया। अभी अर्जुन जी गर्ग साहब कह रहे थे, इस देश के अंदर ऐसे ही नारा लगा जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ, उस समय नारा लगा था नसबंदी के तीन दलाल, उस नारे को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इस प्रकार से इस देश के अंदर पाप करने का इन्होंने काम किया। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तब मेरे पिताजी के गुरु थे सोहनलाल जी पोकरणा साहब, वे संघ के कार्यकर्ता थे, 19 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उनके साथ वीसी साहब हमारे चित्तोड़ के वकील साहब थे, उनको रहना पड़ा। श्याम सुंदर जी सेनानी को जेल में रहना पड़ा, अटल जी को रहना पड़ा, आडवाणी जी को रहना पड़ा, तत्कालीन हमारे महामहिम भैरोसिंह जी शेखावत को रहना पड़ा, गुलाब चंद जी कटारिया को रहना पड़ा। इस प्रकार से इसे देश के अंदर जितने भी बड़े नेता थे, उन सबको जेल की हवा खिलाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा पाप किया, लेकिन इस देश के अंदर एक यशस्वी योद्धा पैदा हुआ और जय प्रकाश जी, जेपी के नेतृत्व में पूरा देश एकत्रित व

लामबंद होकर कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए लामबंद हो गया।

वर्ष 1977 के अंदर देश में आम चुनाव कराए। वह आम चुनाव कैसे हुए? इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंदिरा जी ने पूरा सर्वे करवाया और उन्होंने कहा कि कैसी लहर है, इस देश के अन्दर, तो इंदिरा जी को कह दिया लोगों ने कि आपके पक्ष में पूरी लहर है, इसीलिए उन्होंने चुनाव करा दिया, वरना मीसाबंदी लोगों ने सोच लिया था कि हम आज बंद है तो हम जिंदा घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, लेकिन इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार से इंदिरा जी को चक्कर में लेकर आम चुनाव हुए। आम चुनाव के अंदर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि इंदिरा गांधी को भी हारना पड़ा। इस प्रकार से इसे देश के अंदर जो लोकतंत्र के हत्यारे थे और ये पूरी की पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को आज कहा लोकतंत्र की हत्यारी, अभी आज कुछ सदस्य कह रहे थे कि आप लोग लोकतंत्र के हत्यारे हो, सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या आपने की। आपने हमारे बाबा साहब को चुनाव में जीतने नहीं दिया। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधान मंत्री बनने से आपने रोका। आपने हमेशा पाप करने का काम किया है।

मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, इनको वेल में आने का तो काम करना पड़ेगा, वेल में नहीं आएंगे तो इनका वह धर्म कैसे निभाएंगे? मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जब-जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, तो हमारे मीसाबंदियों की पेंशन और सुविधाएँ बंद करने का काम करती है, लेकिन हमारा आज ये अधिनियम बन जाएगा, नियम बन जायेगा तो ये सारे काम अच्छे होने लगेंगे।

मैं कुछ संशोधन देना चाह रहा हूं। मेरा एक आग्रह है कि प्रस्तावित विधेयक की बिन्दु संख्या 2(च) में ये जोड़ा जाए, निगम की सभी श्रेणी की बसों के अंदर एक सहयोगी के साथ में उनको फ्री यात्रा दी जाए। नम्बर दो हमारा संशोधन विधेयक बिंदु संख्या 3 के (ii) में अपवाद पंक्ति कि लोकतंत्र सेनानियों के पति या पत्नी निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे को हटाया जाए। एक हमारा संशोधन है कि बिन्दु संख्या 4 के (iv) में यह संशोधन किया जाए कि जेल में जाते समय जो लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी वयस्क नहीं थे, 21 साल से छोटे थे, 18 साल से छोटे थे उनको भी ऐसी सुविधाएं जो आज वयस्क हो गए हैं, उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। यदि जो उस समय, जब ये पेंशन का काम चालू हुआ था, उससे पहले यदि पति या पत्नी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और उस समय उनकी डैथ हो गयी थी, लेकिन उसका पति या पत्नी जो जिंदा है, उनको ये सुविधाएं देने की आवश्यकता है।

एक संशोधन और निवेदन करना चाहूंगा किये कालावधि डाली हुई है, लोकतंत्र के सेनानियों की मृत्यु की दशा में, उनको 90 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। जब ये नियम ही नहीं बना था, तब वह 90 दिन का कहां से होगा, 90 दिन में कैसे करेगा, ये जो 90 दिन का क्लोज़ है, इसको हटाया जाये। विधेयक में सभी स्थानों पर सम्मान निधि, चिकित्सा, परिवहन के साथ अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा विहित की जाएं, शब्द को जोड़ा जाना चाहिए।

Ans/rtm 16.20 3a 21.03.2025

एक निवेदन और है, अंत्येष्टि के अंदर सम्मान मिलना चाहिए। यह प्रावधान जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों का, उसी प्रकार से लोकतंत्र के सेनानियों का भी यह सम्मान होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र के सेनानियों को भी तिरंगे में लपेट करके भेजा जाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी विधेयक में प्रावधान किए जायें कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष दर्जा दिया जाए। मैं इन संशोधनों के साथ मेरे प्रस्ताव को पुनः लेता हूं। यह शब्द है, इनको जोड़ा जाए। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

सूचना

जोधपुर में हत्या प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा की आज जोधपुर के कुड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदन सिंह जी की निर्मम हत्या हुई है। इस समय बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहे है। मेरा निवेदन है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सारी मांगें मानी जाये। बहुत गंभीर मामला है।

श्री सभापतिः हो गया। श्री जयकृष्ण पटेल जी।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज चाहे इस राज्य की बात हो, पूरे देश की बात हो, नेता हो, अभिनेता हो या कोई अधिकारी हो, आम जनता हो, सब के सब आज लोकतंत्र की बात करते हैं, इस देश में खुशहाली की बात करते हैं। उसका मजबूत आधार और हम सब की सुरक्षा के लिए 24 घंटे देश की सरहद पर तैनात रहने वाला सैनिक होता है।

आज राजस्थान की विधान सभा के सदन के अंदर सेनानियों के सम्मान के संदर्भ में चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर कोई भी शहीद होता है तो पूरे राज्य के अंदर और इस क्षेत्र की जनता के अंदर और युवा के अंदर एक भावना जगती है कि मैं भी देश की सेवा के लिए सरहद पर जाकर लड़ूंगा। उस स्वतंत्रता सेनानी को अपना प्रेरणास्त्रोत मानकर, वह उसके लिए सम्मान की भावना रखता है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर हम जिस तरीके से देखते आ रहे हैं कि कोई भी जवान अगर शहीद होता है तो राजस्थान सरकार द्वारा दो प्रकार के पैकेज की घोषणा कर रखी है, एक तो प्री कारगिल वॉर पैकेज और दूसरा आफ्टर कारगिल वॉर पैकेज। परिवारजन के जितने लोग होते है वे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और सरकार की इस योजना का गुणगान करते हैं कि उनके परिजन को, पीछे वाले बच्चों को, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मिलेगा।

मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि पैरामिलिट्री का जो भी जवान होता है, चाहे वह बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, आईटीबीपी का हो, एसएसबी का हो, सीआईएसएफ का हो, एनर्जी का हो, असम राइफल्स का हो, कोई भी जवान, 1 अप्रैल 1999 के बाद शहीद हुआ है काउंटर इमर्जेन्सी ऑपरेशन के अन्दर, आतंकवादी मुठभेड़ के अन्दर, कोई भी जवान जिसको ऑपरेशन का कैजुअल्टी सर्टिफिकेट मिला होता, तो उसको आफ्टर कारगिल वॉर का पैकेज मिला होता, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि क्या 31 मार्च 1999 से पहले जो अभी काउंटर अटैक के अंदर शहीद हुए थे, वे शहीद नहीं हैं? राजस्थान सरकार की जो योजना है उसके अन्दर, हमारी आतंकवादी मुठभेड़ के अंदर या किसी बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट के आधार पर, ऑपरेशन केजुल्टी सर्टिफिकेट के धारक जो भी शहीद होते हैं, उनको वह सम्मान नहीं मिलता और वह पैकेज नहीं मिलता है। मैं सरकार से इस अवसर पर मांग करना चाहूंगा कि 31 मार्च 1999 से पहले पैरामिलिट्री के अंदर जितने भी जवान शहीद हुए हैं, उनको सरकार द्वारा आज की तारीख में जीरो सहायता राशि दी जा रही है। हम चाहेंगे कि 31 मार्च 1999 के बाद जो शहीद हो रहे हैं, उनको जो सहायता राशि दी जा रही है, वह मिलनी चाहिए।

इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान प्रदेश की ही बात नहीं है। मैं देश की अगर बात करूँ, तो देश के अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी जवान शहीद हुए हैं, उनके साथ में भेदभाव नहीं होता है। आर्मी, नेवी फोर्स और बीएसएफ, सीआरपीएफ आईटीबीपी, एसएसबी, सीपीएफ, एनर्जी, असम राइफल के सामान उनको मदद मिलती है। **(समय समाप्ति सूचक घंटी)**

माननीय, एक मिनट चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर 31 मार्च 1999 से पहले शहीद हुए लगभग 150 जवान ऐसे हैं जिनके परिवार को कोई फायदा नहीं मिला है और परिवारजन दर-दर गागर लेकर भटक रहे हैं। मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि शहीदों की मूर्ति के निर्माण के लिए भूमि आवंटन हो, शहीदों की मूर्ति का निर्माण भी होना चाहिए। इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि उनके परिजन को सहायता राशि के रूप में, सरकार की तरफ से विशेष सहायता राशि दी जानी चाहिए।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजन को 25 बीघा जमीन मिलनी चाहिए। उनके जीवन यापन के लिए, उनके परिवार और उनके बच्चों के लिए एक-एक पेट्रोल पम्प दिया जाना चाहिए। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर शहीद भगत सिंह राणा शहीद हुआ, रामचंद्रजी पारकी जो पाटिया गल्ला के अंदर शहीद हुए, उनके घर तक जाने के लिए सड़क नहीं है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। श्री केसाराम चौधरी।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि उनके नामकरण से स्कूल

होना चाहिए।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों के सम्मान विधेयक, 2024 संशोधन के ऊपर आज सदन में चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से 25 जून 1975 हमारे देश के लिए एक ऐसा काला दिवस था, ऐसे ही इंदिरा गाँधी जी जब चुनाव इलाहाबाद हाइकोर्ट से हार गई, तो अपने राज को बचाने के लिए उसने आनन फानन में पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के अंदर ऐसे कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय थे, सबको जेल में डाल दिया। उनको अपेक्षा भी नहीं थी कि हम जेल से कभी बाहर आएंगे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस समय इमरजेंसी लगी गाँवों की क्या दशा थी, जिन लोगों को समझ ही नहीं था कि मीसा क्या होता है, यह किस तरह से हम को जेल में डाल रहे हैं। मेरे क्षेत्र के भी पांच व्यक्तियों को जेल में डाला गया था। उनको खुद को भी समझ में नहीं आया, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, खेत में काम करते हुये, वह जिस हालत में थे उसी हालत में ले जाकर पाली की जेल में डाल दिया था।

2013 में हमारी सरकार आई और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन चालू की। पेंशन चालू करने के बाद जब कांग्रेस का 2018 में राज़ आया तो बिना कारण, बिना कोई औपचारिकता पूरी करे, उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया। पांच साल तक पेंशन बंद रहीं। पांच साल का जो एरियर बनता है, उन मीसाबंदियों को दिया जाये, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ था, देश में कोई तो सरकार है जो उनकी सुध लेने वाली है। 21 मार्च 1977 तक ये कालावधि रही और आज भी 21 मार्च है, यह विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज विधानसभा में इस बिल को लाकर जो काम किया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और विधि मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उन व्यक्तियों को जिन्होंने पीड़ा झेली, इस जनतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो काम किया, उसके लिए यह बिल लाये है, मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। 107,116,151 जो बेलेबल ओफेन्स थे, उनमें भी अगर कोई उनको छुड़ाने जाता, उनको भी जेल में डाल दिया जाता था।

माननीय सभापति महोदय, किसानों में तो ऐसी दहशत फैला दी थी कि खेतों में कोई भी गाड़ी या जीप वगैरह निकलती थी तो भाग कर फ़सलों के अंदर छिपना पड़ता था, ऐसी दुर्दशा उस समय थी। मैं भी उस समय 25 साल का था, मुझे पूरा ज्ञान था, हम भी डर रहे थे कि नामालूम किस तरह निर्दोष लोगों को ठूंसा जा रहा है। किस व्यक्ति को किस समय ले जा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी। जेल जाते समय लोकतंत्र के सेनानी जो नाबालिग थे, उनको भी जेल में डाला गया, उनकी भी पेंशन चालू करने की मांग करता हूं।

VPS-RTM-21.03.2025-16.30-3b

रोडवेज बसों में एवं सभी तरह की बसों में उनको सुविधा दी जाये, नि:शुल्क सुविधा दी

जाये ताकि उनको यह महसूस हो। अब तो वे गिने-चुने लोग बचे हैं और गिने-चुने लोगों में भी उनकी उम्र करीब 80 और 85 साल के आस-पास है तो ऐसे लोगों को हर तरह की सुविधा दी जाये। मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी को पेंशन मिलनी चाहिए। 25 जून, 1975 को संविधान की हत्या दिवस और जेल और पुलिस के कैद में न्यूनतम 30 दिन की जो सीमा लगायी है, उसको तीस दिन नहीं करके एक दिन भी अगर कोई जेल में रहा है मीसा बंदी के तहत तो उन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए और यह जो सुविधाएं दी जा रही हैं, ये सारी सुविधाएं दी जाये। आज उन्हीं के बदौलत हम इस जनतंत्र के पवित्र मन्दिर में चुनकर आये हैं वरना न मालूम कैसी डिक्टेटरशिप चलती और किस तरह से जनतंत्र की हत्या हो जाती? इसलिए जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है उनको यह सुविधाएं देनी चाहिए।

विधेयक के खंड-4 के नम्बर-(iii) में अभिव्यक्ति 'तीस दिवस' के स्थान पर एक दिन भी अगर कोई जेल में रहा है तो उसको यह सुविधा मिलनी चाहिए।

विधेयक के खंड 8 में अभिव्यक्ति, सभी तरह की बसों में नि:शुल्क परिवहन सुविधा, साथ में एक अटेंडेंट को भी नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप लोग, उस दिन को जिन लोगों ने देखा है, वे आज भी उस दिन को देखकर, उस भयावह स्थिति को देखकर आज भी कांपने लगते हैं कि अगर कोई राज जनतंत्र को खतम कर देगा और ऐसी डिक्टेटरशिप देश में आयेगी तो निश्चित रूप से यह जनतंत्र समाप्त हो जायेगा इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि 25 जून, 1975 को काला दिवस और 21 मार्च, 1977 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाये। यही निवेदन करते हुए, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री घनश्यामजी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जनमत वाला वापस तो लो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव किया है, वह मैं वापस लेता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 50 साल पुरानी बात की जा रही है और इस पर विधेयक लाया जा रहा है। इमरजेंसी की बात करो तो इमरजेंसी आज इस देश में किसानों के खिलाफ है। किसान, युवा, मजदूर, वे परेशान हैं। उनके अधिकारों की बात नहीं कर रहे हम और पचास साल पुरानी बात कर रहे हैं। पचास साल पहले की आप जो सोच रहे हैं, आज के युवा, अनुसूचित जनजाति के बच्चे स्कॉलरशिप के लिए बैठे हैं। उनको पांच-पांच साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, उनकी बात हम नहीं करेंगे। यहां पुरानी बात करेंगे, पचास साल पुरानी।

(समयः बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, विधेयक पर बुलवाओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप क्या बोल रहे हो? सारे कांड इन्होंने ही किये हैं। उनके कारण तो बोलने दो। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप विराजो। आप विराजो। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, पचास साल से ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): काहे का बिल लाये हैं यह? यह पचास साल पुरानी बात नहीं है? 1975 में इमरजेंसी लगी, उसकी आज बात कर रहे हैं हम और आज देश में जो स्थिति है, प्रदेश में जो स्थिति है, उसकी बात नहीं करेंगे हम देश में? क्या यह बात करना गलत है? आज प्रदेश जिन हालातों में गुजर रहा है, उसकी बात करना क्या गलत बात है? आज किसानों की बात नहीं कर रहे। हम एम.एस.पी. की बात नहीं करें, किसान की खरीद की बात नहीं करें? अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, उनकी बात नहीं करेंगे? हम पचास साल बाद यह बात करेंगे, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पचास पहले जो आपने अत्याचार किया, जो आपने अत्याचार किये, जो बच्चों की नसबंदियां की हैं, आपने जेलों में ठूस दिया लोगों को, वह भूल जाये? सब भूल जाये? ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपकी पोल खुल रही है। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): काहे की पोल खुल रही है? यह राजस्थान की जनता का पैसा है, इसको आप मर्जी आये जैसे खर्च नहीं कर सकते। इसको बरबाद करने का अधिकार नहीं है आपको ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह कांग्रेस ने इमरजेंसी में जिस तरह से इन बच्चों की नसबंदी की, आज कांग्रेस की नसबंदी पूरे देश में हो गयी है। इनकी नसबंदी। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की गाढ़ी कमाई का पैसा है, इसको आप ऐसे ही बरबाद नहीं कर सकते। आप मनमर्जी चाहे जैसे बरबाद करोगे तो यह किसने अधिकार दिया आपको? आज राजस्थान की जनता इस सरकार की तरफ देख रही है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपातकाल लगाकर क्या किया था? आपने मनमर्जी की थी या नहीं की थी? आपातकाल पर बात नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए आपातकाल पर बात? ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, बहन जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, विराजये आप। आप इस तरह की बात नहीं करें और मेरे को धमकाने की जरूरत नहीं है।

नहीं-नहीं, बहन जी। ...(व्यवधान)... मैं कोई डरने वाला नहीं हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप मेरे को सम्बोधित करो। आसन की तरफ। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मेरे को टोडाभीम की जनता ने भेजा है और टोडाभीम की जनता से डरता हूं या भगवान से डरता हूं। इन लोगों से नहीं डरता मैं। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, आज देश में जिस तरह की स्थिति है, प्रदेश में जो स्थिति है, आज इमरजेंसी तो मजदूरों के ऊपर है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, यह है इमरजेंसी तो। असली इमरजेंसी तो यह है। आज राजस्थान की सरकार से लोग नौकरी चाहते हैं बच्चे, किसान अपना अधिकार चाहते हैं, उस पर हम नहीं बोलेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, स्कॉलरशिप की बात नहीं करेंगे पर हम पचास साल पुरानी बात करेंगे, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। यह जिस तरह का बिल आप ला रहे हैं, यह राजस्थान की गाढ़ी कमाई का पैसा है और उसको आप मर्जी आये जैसे लुटाओ, बरबाद करो तो यह अच्छी बात नहीं है।

मैं इस बिल का विरोध करता हूं और जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाये। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापतिः कुमारी रीटा चौधरी। कोई डिस्टर्ब नहीं करें बीच में।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 इस सदन में रखा गया है और इस विधेयक के उद्देश्य और नामकरण से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी। यह विधेयक लेकर आये क्योंकि पुराने नियम के अन्दर 'बंदी' शब्द लिखा हुआ था जो तकनीकी रूप से अलाउ नहीं करता था कि पेंशन दी जाये बंदियों को तो इसमें यह तकनीकी दिक्कत आयी। इन्होंने 'बंदी' शब्द को हटाकर और एक नया शब्द डाल दिया 'लोकतंत्र के सेनानी', विभिन्न तरीके से मिली जानकारी के अनुसार, विभिन्न समाचार पत्रों की जानकारी के अनुसार तकरीबन इन बंदियों की संख्या इस समय 1100 के करीब है। मेरे ख्याल से मीसा के अन्दर 385 और डी.आई.आर. के अन्दर 781 है।

माननीय सभापति महोदय, भारत जैसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के लिए लोकतंत्र के सेनानी एक मुट्ठीभर लोग नहीं हो सकते। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वे करोड़ों-करोड़ों लोग होते हैं जो हर पांच वर्ष के अन्दर मतदान करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ये वे लोग होते हैं जो सरकार बनाते हैं और सरकार को हटाते हैं। केवल राजनीतिकरण और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अगर बंदी बनाया जाये, उनको अगर आप लोकतंत्र के सेनानी कहते हैं तो यह गलत कहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मीसा क्या है? मीसा भारतीय संसद द्वारा 1971 के अन्दर पारित हुआ एक अधिनियम है और बहुत कठोर अधिनियम यह बना था और बाद में

...(व्यवधान)... बोल रही हूं न और बाद में इस कानून को हटा भी दिया गया। यह बात सही है कि आपातकाल के अन्दर देश की आंतरिक शांति को बनाये रखने के लिए इस एक्ट को काम में लिया गया। जिस तरीके से देश का माहौल था उस समय, सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर आये थे अपने स्वार्थ के कारण और एक तरीके से पूरे देश के अन्दर अशांति का माहौल बन गया था, उस अशांति के माहौल को काबू करने के लिए यह मीसा एक्ट, अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।

माननीय सभापति महोदय, भारत का संविधान यह कहता है कि आप जब तक किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकते जब तक वह किसी अधिनियम का, किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है तो जब मीसा के अन्दर जो बंदी बनाये गये, उन्होंने मीसा अधिनियम का उल्लंघन करा। मीसा कानून का उल्लंघन करा, इसलिए उनको बंदी बनाया गया, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान में यह भी प्रावधान है कि अगर ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): छोटे-छोटे बच्चों को भी उठा-उठाकर ले गये। ...(व्यवधान)...

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): आप विराजें। दिलावरजी, आप विराजें।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बोलने दें। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): 18-18 साल के बच्चों को भी उठाकर ले गये। ...(व्यवधान)...

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): हमारे संविधान के अन्दर यह भी प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो न्यायपालिका किस लिए है? न्यायपालिका में जाना चाहिए अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो।

Ssy/Rtm/21.03.25/16.40/3c

आप इतिहास की बात करते हैं, वर्तमान को आप देखते नहीं हैं। बहुत शांति से मैं सुन रही थी आप लोगों को, गलतियाँ होती हैं सरकार से होती हैं, चाहे उधर की सरकार हो, चाहे इधर की सरकार हो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): यह ठीक है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): लेकिन आप सिर्फ इतिहास को राजनीतिक चमक बनाना चाहते हो वह कतई मंजूर नहीं है।

सभापति महोदय, इस देश के अन्दर, संविधान के अन्दर, बहुत सारे कानून लेकर आए और आप ये जानते है टाडा और पोटा जैसे एक्ट भी इसके अंदर आए, पोटा एक्ट तो वाजपेयी जी लेकर आए थे, उनको उस एक्ट को बाद में हटाना भी पड़ा क्योंकि बहुत कठोर एक्ट था वह, उसका भी दुरुपयोग हुआ था। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि किसी कठोर कानून के अंदर अगर कोई बंदी बने तो उसको पेंशन की सुविधा दी जाए, यह

उसका कतई मतलब नहीं है।

यह विधेयक को केवल आपातकाल की राजनीति करने के लिए और अतीत को जिंदा रखने के लिए बार-बार लाया जाता है, चाहे वह संसद हो, चाहे राजस्थान की विधान सभा हो ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अपराध किया था कांग्रेस ने ...(व्यवधान)...

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अभी आपकी सदस्य अनीता जी यहाँ पर कह रही थीं कि देश की जनता भूलती नहीं है। देश की जनता को भूलना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, आज 10 साल के अंदर जो देश की स्थिति आपने करके रख दी, चाहे वह नोटबंदी का मामला हो, चाहे किसानों के ऊपर लाठी चार्ज का मामला हो, चाहे काले कानून लाने का मामला हो, देश की जनता कभी भूलती नहीं है यह आपको भी याद रखने की जरूरत है।

यह आप कानून लाये इससे अच्छा होता कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन के अंदर जो किसान मरे, उनके परिवारों को संबल देने के लिए आप अगर विधेयक लेकर आते हैं तो हम खुशी-खुशी उसको मंजूर करते। आप बेरोज़गारों को रोजगार देने का कानून लाते तो हम खुशी-खुशी उसको मंजूर करते। लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कानून के उल्लंघन करने वालों को पेंशन के लिए आप यहाँ पर विधेयक लेकर आए, जनता की गाढ़ी कमाई को आप यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक को पढ़ा, इसमें इन्होंने लोकतंत्र के सेनानी जो शब्द दिया है, उनको पेंशन भी देंगे, उनको चिकित्सा की सुविधा भी देंगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी पिछली सरकार चिकित्सा के लिए एक बिल लेकर आई थी 25 लाख का बीमा उसके अंदर होता था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अगर आप उस योजना को व्यापक रूप देते, उसको बंद करने की जगह उसमें सुधार करते तो आज आपको यह अलग से बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह जितने भी आपके लोकतंत्र के सेनानी आप बोल रहे हैं वे इसके अंदर सारे के सारे कवर होते। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को अगर आप बढ़ाते व्यापक दर पर और लोगों की पेंशन बढ़ाते तो उस विधेयक के अंदर भी ये सारे के सारे बंदी कवर हो सकते थे, यह मैं आपको कहना चाहती हूँ।

सभापति महोदय, मैं अंत में अपनी एक बात कह कर खत्म करूंगी कि इस विधेयक का मैं पुरज़ोर विरोध करती हूँ, क्योंकि राजनीति के अंदर प्रतीकवाद को बढ़ावा देने का यह विधेयक है और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि इस विधेयक को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता जाटव।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): माननीय सभापति महोदय जी, नमस्कार। हमें आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024, संशोधित की सूचना के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम लोकतंत्र सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा देते हुए उनकी तरह आपको सम्मान और अन्य सुविधाएं भी देनी चाहिए। बिल में कुछ खामियां हैं, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। इस बिल के जरिए आपातकाल के दौरान डीआईआर, मीसा बंदियों की पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान किया जाना था, इसके जरिए लोकतंत्र के सेनानियों को पेंशन के रूप में 20 हजार रुपये प्रति माह और चिकित्सा सहायता के रूप में 4 हजार तक की सुनिश्चित राशि देनी होती है..., जिसमें प्रमुख खामियां यह थी कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 से संशोधित हुआ था, जिसके जरिए ...(व्यवधान)... डीआइआर व मीसा बंदियों को ही नहीं सीआरपीसी की 107, 116 और 151 धारा में बंद रहे या कम से कम एक माह तक निरुद्ध रहे लोकतंत्र के सेनानियों को भी पेंशन और मेडिकल सुविधा दी गई थी।

आपने जालोर जिले के तत्कालीन प्रमुख की पत्नी आनंदी के पेंशन आवेदन के सन्दर्भ में जानकारी मांगी थी। राजस्थान सरकार में पेंशन नियमों के अनुसार सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन के प्रावधान हैं, पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा के सम्बन्ध में नियम निर्धारित हैं, आम तौर पर पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा नहीं होती है और पारिवारिक सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं, हालांकि अगर आवेदन की देरी होती है तो पेंशन स्वीकृत और भुगतान में विलंब हो सकता है, कुछ मामलों में यदि मृत्यु के बाद 90 दिनों के भीतर होगा ...(व्यवधान)... जनमत जानने के लिए आवेदन, 90 दिन के अंदर बाहर भी ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः शांति रखें, आप बोलने दें।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): कम से कम छह महीने तक का होना जरूरी है लेकिन आप लोग, 90 दिन में थोड़ा होता है, टाइम तो लगता है, तो आपसे निवेदन है की इसकी अवधि बढ़ा कर, ताकि लोगों को पेंशन मिल सके, धन्यवाद बहुत-बहुत।

श्री सभापतिः श्री रफीक खान।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इतना मगरूर ना हो, इतना मगरूर ना हो, एक दिन बिखर जायेगा,

इतना मगरूर ना हो कि एक दिन बिखर जायेगा,
वक्त का क्या है वक्त आया है तो गुजर जाएगा,
अपनी बुलंदियों पर इतना गुरूर ना कर,
जिस रोज़ आईना देखेगा तो डर जाएगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 1975 की बात कर।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कांच में देख कर डर जाओगे, मगरूर मत हो, घमंड

किसी का भी नहीं चला है। अभी-अभी देखा है हमने, जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया वह पारित हो गया, आप भागते हुए आए रेल की तरह और फिर भी कुछ नहीं कर पाए और जनमत जानने का प्रस्ताव पारित हो गया। यह तो धन्यवाद दो अध्यक्ष महोदय बैठे थे यहाँ पर, अगर सभापति होते, तो न्याय हो जाता और वह परिचालित हो जाता जनमत जानने के लिए।

सदन में चर्चा कर रहे हो, अब इसमें कोई नहीं बोला ना कुछ भी, सदन में चर्चा कर रहे हो ऐसे एग्जाम्पल सेट मत करो कि वोटिंग हो और उसको अनदेखी कर दो। लोकतंत्र यही है, लोकतंत्र की बातें कर रहे हो और लोकतंत्र की बात आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, एक शेर और सुना दूँ बीच में, यह शेर ज्यादा रिलेवेंट है कि वह लोग क्या थे,

वे लोग क्या थे जो दुश्मनी में
लिहाज रखते थे दोस्ती का।
ये लोग क्या हैं जिन्हें सलीका नहीं,
ना दोस्ती का, ना दुश्मनी का।।

आप लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक लेकर आए और पगा बलती कोनी दिख रही और गांव में बलती दिख रही है, मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, वह लोकतंत्र नहीं है? एक साल तक राजस्थान की सड़कें बंद रहीं दिल्ली की, किसान आंदोलन चला और किसान सड़कों पर बैठे रहे। 750 किसान मारे गए, वह लोकतंत्र नहीं था, वह लोकतंत्र का आंदोलन नहीं था? उनके बारे में कुछ नहीं बोलोगे, किसान हैं तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा?

किसान नेताओं ने सड़कों पर बैठ करके जान दे दी, सुसाइड कर ली लोगों ने, आपने यह तय किया एक समझौता किया उनके साथ में और समझौते में आपने यह कहा कि जब एमएसपी रेट डिसाइड करेंगे तो इनको साथ बैठायेंगे, क्यों नहीं बैठाया साथ में?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल पर बात हो रही है, वह केन्द्र का विषय है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बिल पर ही बोल रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वह हरियाणा का विषय है। आप कहां से अलाऊ कर रहे हो?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं बैठ गया हूं। मेरा समय कम कर दो आप।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अभी राजेन्द्र जी पारीक ने उठाया था।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। मैं बैठ गया हूँ मेरा समय कम कर दो आप, मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ, यह लोकतंत्र विधेयक है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आप किसानों पर बोल रहे हो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हो, आप

आंदोलनकारियों को पेंशन दिलाने की बात कर रहे हो, तो क्या वह ...(व्यवधान)...

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): लोकतंत्र के सेनानियों पर बोलो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): किसान आंदोलनकारी नहीं हैं क्या?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): या लोकतंत्र पर बोलो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): किसान आंदोलनकारी नहीं हैं क्या? मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह किसान आंदोलनकारी नहीं थे क्या? मणिपुर में लोग धरने पर बैठे हैं क्या वे आंदोलनकारी नहीं हैं? मणिपुर की महिलाएं जो धरने पर बैठी हैं, वे आंदोलनकारी नहीं हैं क्या?

spp/Rtm/21.03.25/16.50/3d

वह नहीं दिखता है आपको? स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं। आज के माहौल की बातें नजर नहीं आ रही हैं आपको? आप पुरानी बातें कर रहे हो। बिल की बात कर रहा हूँ, बिल की, वह आपकी सदस्य अजमेर से आने वाली पेंशन दे दो, ये दे दो। जुर्म करोगे तो सजा ही मिलेगी और ये एग्जाम्पल सेट मत करो कि +++ के लिये आप यहाँ पेंशन के लिए बिल लेकर आओ। नहीं तो कानून आप भी बना रहे हो, कानून आप भी बना रहे हो और उसका ..(व्यवधान)..

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, इसको विलोपित करवाया जाये। ..(व्यवधान)..

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसे कार्यवाही से निकलवाया जाये। जिन लोगों ने इंदिरा गाँधी के द्वारा आपातकाल के विरोध में आंदोलन किया था, उसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया था, उनको +++ नहीं कह सकते।...(व्यवधान)..

श्री सभापति: जो शब्द इन्होंने बोला उसको कार्यवाही से हटा दें। ..(व्यवधान)..

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा देश में जिस आपातकाल को लगाया गया था, उसके खिलाफ जिन लोगों ने विद्रोह किया था, उनको +++ नहीं कह सकते। ..(व्यवधान).. देश के स्वतंत्रता सेनानी है और यह जो आपातकाल का कंलंक है, कांग्रेस अपने ऊपर से कभी नहीं हटा पायेगी। ..(व्यवधान)..कांग्रेस इस आपातकाल के कंलक को कभी नहीं हटा पायेगी। ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): रफीक खान जी, पहले आप माफी मांगो। आप +++ किसको कह रहे हो? ..(व्यवधान).. +++ हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने इमरजेंसी लगायी। +++ है ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: बैठो। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह फालतू बात स्वीकार

नहीं करेंगे। ..(व्यवधान).. +++ शब्द और +++ शब्द में अंतर समझो।..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जिन्होंने इमरजेंसी लगायी, जिन्होंने नसबंदी की। जिन्होंने निर्दोषों को जेल में भेजा। ..(व्यवधान).. वह है +++ ..(व्यवधान)..

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ..(व्यवधान).. कानून का उल्लंघन किया। ..(व्यवधान).. जो भी कानून का उल्लंघन करेगा ..(व्यवधान).. और जिसने भी कानून का उल्लंघन किया, +++ के दायरे में ही आता है। अपन आज फिर कानून बना रहे हैं और उस कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो उसको आप भविष्य में जाकर पेंशन थोड़ी दोगे। आप कानून लेकर आओ और कानूनसंगत बात करो। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि किसान आंदोलन चला, साढ़े सात सौ लोग मारे गये। जो आन्दोलन और धरने पर बैठे थे, उन लोगों को तो आप मत करो, लेकिन जो मर गये उनको तो आप मुआवजा दो। उनके परिजनों को तो मुआवजा दो। जो लोग एक साल तक धरने पर बैठे, आपने आज तक उनकी MSP डिसाइड नहीं की। और शर्तों में तय हुआ कि MSP के अन्दर जब आप कमेटी बनाओगे, MSP की कमेटी बनाओगे ..(व्यवधान)..

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कश्मीरी पंडित मारे गये, उनके लिये तो नहीं बोले आप। ..(व्यवधान)..आप कभी कश्मीरी पंडितों के लिये बोले? ..(व्यवधान).. कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आंदोलन की बात हो रही है। लोकतंत्र में ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, न तो कोई आन्दोलनकारी हैं, आन्दोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ..(व्यवधान)..

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उस समय में कौनसा स्वतंत्रता सेनानी था ..(व्यवधान).. किससे लड़ाई कर रहे थे? आपने स्वतंत्रता सेनानी की संज्ञा दे दी, उससे संज्ञा थोड़े ही हो जाएगी।..(व्यवधान).. स्वतंत्रता सेनानी, सुन लो मेरी बात।

श्री सभापति: आप तो बिल पर बोलो। ..(व्यवधान)..

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कमला बेनीवाल जी थीं। स्वतंत्रता सेनानी थी। अभी एक साल पहले एक्सपायर हो गयीं। आपको कहा कि राजकीय सम्मान से विदा करो उनको। आपने उनको भी राजकीय सम्मान से विदा नहीं किया। वे तो स्वतंत्रता सेनानी थीं, गवर्नर भी रही हुई थीं। उनके लड़के आपकी पार्टी में ज्वाइन कर चुके थे, उनको भी आपने सम्मान नहीं दिया। यह कथनी और करनी में फर्क मत करो। बात वह करो, जो आगे तक चले और समाज को सही दिशा दिखाये। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके, मेरे बहुत सारे साथियों को तकलीफ है इसलिए मैं अपनी बात को वाइंड-अप करता हूं और यह कहता हूं कि इस बिल का घोर विरोध करता हूं। इस बिल को छह महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री मनीष यादव।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों

के सम्मान विधेयक पर चर्चा के लिये मुझे अवसर दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। ये मंत्री महोदय डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये मंत्रीजी डिस्टर्ब कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज 11 वर्षों में जो देश के हालात हो चुके हैं, वह भयावह स्थिति है। उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्दाश्त नहीं है। अभी कह रहे थे, मणिपुर की बात कर रहे हैं। राजस्थान इस देश का हिस्सा है तो मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। मणिपुर की चर्चा आपको करनी पड़ेगी। महिलाओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है, नौजवानों पर वहां पर अत्याचार हो रहा है। प्रधान मंत्रीजी अपने आपका 56 इंच का सीना बताते हैं, एक बार भी मणिपुर जाकर नहीं आये। आज इस देश में लोकतंत्र के सेनानियों के सम्मान की बात आप करते हो। किसानों का असम्मान करने का काम आपने किया। तीन काले कानून आपने इस देश में लाने का काम किया। जिन किसानों ने आंदोलन किया, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाईं। माननीय सभापति महोदय, ये देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है, लोकतंत्र आज खतरे में है।

श्री सभापति: लोकतंत्र खतरे में है, वह विषय नहीं है। विषय स्वतंत्रता सेनानियों का है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): वह विषय कैसे नहीं है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: जो बिल है, उस पर बोलो आप।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): देश के गृह मंत्री लोक सभा में कहते हैं, क्या अम्बेडकर अम्बेडकर लगा रखा है? जिन लोगों ने इस देश को लोकतंत्र देने का काम किया, संविधान देने का काम किया, आप कहते हो क्या अम्बेडकर अम्बेडकर लगा रखा है? आप लोगों का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। आप लोगों का भरोसा लोकतंत्र से उठ चुका है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मुझे एतराज है। हमारा फिर एतराज है कि जिस बिल को विधान सभा में रखा गया है, उससे हटकर कांग्रेस के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। ..(व्यवधान).. न तो देश के गृह मंत्री का सवाल है, न प्रधान मंत्रीजी का सवाल है। ..(व्यवधान).. इन लोगों के पास इस बिल पर बोलने के लिये एक भी शब्द नहीं है। ..(व्यवधान).. शब्द नहीं हैं आपके पास बोलने के लिये। ..(व्यवधान).. लोकतंत्र के सेनानियों पर बोलो। ..(व्यवधान).. आपके पास इस बिल पर बोलने के लिये एक शब्द भी नहीं है। यह जो आपको बिल दिया है, एक शब्द भी आप इस पर तो नहीं बोल रहे। जिस बिल को दिया है, इस बिल पर बोलो। ..(व्यवधान).. आपको कोई नहीं रोक रहा। ..(व्यवधान).. आप बिल पर खूब बोलो। ..(व्यवधान)..

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय मंत्रीजी, आज माननीय सभापति महोदय, एक डालर 87 रुपये का हो गया। वह चिंता का विषय नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाया जा रहा है। वह चिंता का विषय नहीं है। इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र का असली खतरा अगर किसी से है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। आज सरकार गिराने का काम, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस देश में लोकतंत्र खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर

रही है। आज कहीं भी चले जाओ, शीतकालीन सत्र में 2023 में लोक सभा में 95 सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया। राज्य सभा में 45 सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया।

श्री सभापतिः यह कौनसे विधेयक पर बोल रहे हो आप? ..(व्यवधान).. कौनसा विधेयक है? ..(व्यवधान).. कौनसा विधेयक है?

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का विषय है। ये लोकतंत्र का विषय है, माननीय सभापति महोदय, जिस पर बोलने का अधिकार, मुझे सदन में मेरी जनता ने मुझे यहाँ पर दिया है और बोलने का अधिकार दिया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज देश के नौजवान को बेरोजगार करने का काम किया है, देश में लोगों के बीच में चुनाव के समय कहा काला धन हम लेकर आएँगे। देश की जनता को बरगलाने का काम आपने किया है और सही मायने में लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो देश में बैठी 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश को पीछे धकलने का काम किया है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। आप जिस चर्चा की बात आज कर रहे हो 1100 लोगों की चर्चा कर रहे हो, 750 किसानों ने किसान आंदोलन में जान दे दी। आप उनकी बात नहीं करोगे, क्योंकि किसान को इस देश का और इस व्यवस्था का हिस्सा आप नहीं मानते। आप लोग किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य आप नहीं दे सकते। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आप नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें तय करना पड़ेगा निश्चित रूप से जिस तरीके से बिल लाया गया है, अपने मनमाफिक लोगों को फायदा देने के लिए आज ..(व्यवधान).. माननीय मंत्री महोदय, हंसने से काम नहीं चलेगा। ये देश की पीड़ा का विषय है। जो मैं आपके बीच में, सब के बीच में रख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को देश की व्यवस्था पर अगर जब कोई बात आती है, लोकतंत्र पर बात आती है तो आप लोग शांत हो जाते हो, आप लोग चुप हो जाते हो, आपको लगता है कि किसान का नाम आ गया तो पता नहीं आपके सीने पर जैसे कोई सांप रेंगने लग जाता है, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। किसान की अर्थव्यवस्था आज कैसे गिरती जा रही है, किसान के बारे में चिंता नहीं है। आप किसान को लेकर बिल नहीं लेकर आएँगे। आज बिजली की ऐसी स्थिति राजस्थान में बनी हुई है उस पर आप चर्चा नहीं करोगे। आप ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हो, जो आज से 50 साल पहले का है। राजस्थान में आज नौजवान को, माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा हूँ कि बिजली का विषय है, ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विषय तो है ही नहीं। पहले आप विषय पर बोलो। विषय पर आइये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, कैसे विषय नहीं है। राजस्थान का ऐसा विषय है तो है ही, राजस्थान का नौजवान बेरोजगार हैं, वह विषय नहीं है। ..(व्यवधान).. राजस्थान के किसान को उचित मूल्य उसकी फसल का नहीं मिल रहा है, वह विषय नहीं है, लेकिन विषय केवल ये है जो आप अपनी मर्जी से काम करें, वह विषय आपको अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ छह महीने के लिए इसको जानना चाहते के लिए

परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

jyg/Rtm/21.03.25/17.00/3e

श्री सभापतिः श्री मनोज कुमार। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे....

श्री सभापतिः सुजानगढ़।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः सुजानगढ़ नहीं है तो फिर मैं बोल लेता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री ललित यादव।

श्री ललित यादव (मुण्डावर)ः धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ...(व्यवधान)...

आज चर्चा किस बात पर हो रही है, चर्चा किसके लिए हो रही है, यह विधेयक क्यों लाया जा रहा है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। आप इस प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होकर केवल अपनी पार्टी के जो लोग हैं, जो आपके सहयोगी लोग हैं, उनके बारे में आप चर्चा कर रहे हो। 1100 लोगों की चर्चा आप करवा रहे हो, यह सही रहता, इस प्रदेश में आप बेरोजगारी पर चर्चा करते, यह सही रहता कि इस प्रदेश के बिजली के हालात पर चर्चा करते, यह सही रहता इस प्रदेश के अन्दर जो सड़े हालात बने हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, उसके अन्दर आप कह रहे हो लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मान राशि देने की बात आप कर रहे हो, चिकित्सा सुविधा देने की बात आप कर रहे हो, कौन-सी चिकित्सा सुविधा की बात आप कर रहे हो? 25 लाख रुपये तक की हमारी सरकार जब थी तो घोषणा की थी और लोगों को इलाज मिल रहा था, 50 लाख की घोषणा कर गयी थी। आपने आते ही क्या किया? आपने आते ही नाम बदल दिया, योजना को बंद कर दिया। लोगों को उलझा दिया, आप तो खुद ही नहीं देना चाहते, कौनसा विधेयक लाने की बात कर रहे हो आप? आप कह रहे हो कि उनको परिवहन की सुविधा देने की बात कर रहे हो, परिवहन की सुविधा, कौनसी सुविधा उनको देंगे, सारे बुजुर्ग लोग हैं, 80 के पार हो गये होंगे सारे लोग, 75 के पार हो गये होंगे सारे लोग, वो बस में बैठकर जा नहीं सकते, कौनसे आप उसकी बात कर रहे हो?...(व्यवधान)... कृपलानीजी, आपका नम्बर नहीं आया, आप बैठिये चुपचाप। आपका नम्बर नहीं आ रहा, बैठिये आप। आप बैठिये, आपका नम्बर नहीं आ रहा। ...(व्यवधान)...

आज भी प्रदेश के अन्दर, ...(व्यवधान)... वो सेनानी नहीं है, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। ...(व्यवधान)... सरकार के खिलाफ सड़कों पर आये इसलिए यह काम करना पडा, आप बातकर रहे हो। आप बात करना चाह रहे हो अघोषित इमरजेंसी की, आज क्या लगा हुआ है, देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर, अघोषित इमरजेंसी है, आप सब जानते हो, इस प्रदेश में, इस मुल्क में सही बोलना, ईडी घर चली जाती है। इस प्रदेश के अन्दर कोई सच्चाई की

बात कह दे तो आप ईडी से डरवाते हो, आपने इस तरह का माहौल बना रखा है, इमरजेंसी तो आप लोगों ने लगा रखी है। वो आयरन लेडी, जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया, उस पर तो आप नहीं कर रहे हो और आप इस पर चर्चा करवा रहे हो। चाइना के अन्दर जो हमारे रेजांगला के शहीद हुए थे, एक शहीद स्मारक बना हुआ था, उसको चाइना ने अन्दर ले लिया, उस पर चर्चा तो आप नहीं कर रहे हो, उस पर तो चर्चा नहीं कर रहे हो, आपको धन्य कि आपको प्रदेश की जनता ने चुनकर भेजा, ऐसे लोग जो बैठे हैं जो प्रदेश के बारे में सोचने की बजाय, आप केवल अपने घर की चर्चा आप लोग कर रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): ...(व्यवधान)... देश पर जबरदस्ती इमरजेंसी लगायी, इमरजेंसी ...(व्यवधान)...

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आपके प्रधान मंत्री बिना बुलाये पाकिस्तान गये, साड़ी लेकर गये, साड़ी लेकर पाकिस्तान गये। बिना बुलाये साड़ी लेकर गये, ...(व्यवधान)... मंत्रीजी, उस दिन चक्कर आ गये थे आपको, मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि कितने पेड़ लगाये और कितने जिन्दा हैं, उस पर आपको चक्कर आ गये, अब फिर कुछ बोल दूंगा तो फिर चक्कर आ जायेगा, कुछ बोलूंगा फिर चक्कर आ जायेगा आपको। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस विधेयक पर आ रहा हूं, इस विधेयक पर ही कर रहा हूं चर्चा।

आप जो ट्रांसपोर्ट की बात इसमें कही है, मैं इसको दुबोरा दोहरा रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेने लायक तो वो सारे लोग बचे ही नहीं हैं। कहीं जाते नहीं हैं, वो घर पर रहते हैं, वो कुछ और जोड़कर लाते इसमें, इससे काम चल नहीं रहा है। आज पूरे मुल्क के अन्दर क्या माहौल बना है, आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो, आप केवल कोई बोल जाये तो उसके घर ईडी भेजने का काम करते हो, इनकम टैक्स की टीम भेजने का काम करते हो, ...(व्यवधान)... मंत्री साहब, पर्ची सरकार की बात आप कह रहे थे, आप खुद ही कह रहे थे, मैं क्या बताऊं? आप तो उस दिन खुद ही कह रहे थे। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं और 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री डूंगरराम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया। आज जो विधेयक लेकर आये हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं,

बर्बाद-ए-गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी है,
हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा?

जो लोग, जिन लोगों ने कभी देश के संविधान को नहीं माना, जिन लोगों ने देश के

तिरंगे को कभी नहीं माना, जिन लोगों ने 50 साल तक तिरंगे को अपने ऑफिस के ऊपर लहराया नहीं, जिन लोगों ने हमेशा से देश के संविधान का विरोध किया हो, आज वो लोकतंत्र की बात करे, ये जंचने वाली नहीं है, यह बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेस करके कहा कि हमें अपनी पीड़ा प्रेस कॉन्फ्रेस करके बतानी पड़ रही है। मेरे ख्याल में उससे बुरा दिन इस देश के लिए हो नहीं सकता और उससे काला दिन इस देश के लिए हो नहीं सकता और आज ये लोग देश के अन्दर लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र का गला घोंटने काम किसने किया, लोकतंत्र का गलना घोंटने का काम हमेशा से आज जो लोग इसको लेकर आये हैं, इस विधेयक को लेकर आये हैं, इन्होंने किया। इनको किसानों से क्यों चिढ़ है? मेरे आज तक यह बात समझ में नहीं आयी, जब भी कोई सदस्य किसान की बात करता है तो इनको किसान से बड़ी चिढ़ है, ये सामने बोलने लगते हैं, बताओ कि देश के किसानों को एमएसपी लागू करने की बात किसने कही थी, किसान ने तो नहीं कही थी, देश के प्रधान मंत्री ने कही थी, घूम-घूमकर पूरे देश में कही थी कि मेरी सरकार लेकर आओ, मै एमएसपी लागू करूंगा। पूरे देश के अन्दर कहा था कि मेरी सरकार लेकर आओ, मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, पूरे देश के अन्दर घूम-घूमकर कहा था कि मेरी सरकार लेकर आओ, मैं कर्जा माफ करूंगा, पूरे देश के अन्दर किसानों को घूम-घूमकर कहा था कि मेरी सरकार लेकर आओ, मैं काला धन वापस लेकर आऊंगा, कांग्रेस के राज में इक्का-दुक्का काले धन वालों के नाम तो अख़बार में छपते थे, पिछले 11 साल से कोई एक भी नाम अख़बार में छपा है काला धन वाले का तो आप बताओ। आप डॉलर के मुकाबले रुपये को बराबर करने वाले थे, आज रुपये की क्या हालत आप लोगों ने कर दी, लेकिन यह जो मुद्दे हैं, क्या किसान यानी लोकतंत्र को बचाने वाला नहीं है, क्या किसान स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, क्या किसान हमें अनाज नहीं देता है लेकिन जिन लोगों ने 6 किसानों को सोहेला के अन्दर मारा हो, जिन लोगों ने घड़साना के अन्दर 6 किसानों को यानी शहीद किया हो, जिन लोगों ने 72 गुर्जरों को शहीद किया हो, वो लोग लोकतंत्र की कैसे बात कर सकते हैं, इनके मुंह से बात जंचने वाली नहीं है। इसलिए बार-बार ये किसानों का विरोध करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ के अन्दर किसानों को वार्ता के नाम पर बुलाया, वापस जाते समय उनको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन किसानों को जेसीबी के माध्यम से उन किसानों के आशियानों को तोड़ने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करने का काम तो यह लोग कर रहे हैं। संसद के अन्दर, विधान सभा के अन्दर, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते, माइक बंद करवा देते हैं और बेवजह सस्पेण्ड करने का काम करते हैं, इसलिए आज जो आप राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 लेकर आये हैं, मैं इसे छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार, सादुलपुर।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार, हमारे लोकतंत्र में इस सदन में हमें भेजने वाली जनता का काम यही रह गया कि कभी बिल आता है और फिर दूसरी सरकार बदलती है और उस बिल को निरसन किया जाता है। यह बिल 2018 में भी आया, लागू भी हुआ, नियम भी लागू हुए और पिछली सरकार आयी, इस कानून को बदल दिया, फिर आपकी सरकार आयी, आप नया कानून लेकर आ गये, क्या आप इस बदला-बदली के सिस्टम को रोकना चाहते हैं या नहीं? इस लोकतंत्र से सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप बार-बार कानूनों को बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं।

MLS/RTM/21.03.2025/17:10/3f

दूसरा मैं कह रहा हूं, इस लोकतंत्र में लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान। इस हिन्दुस्तान में दो स्वतंत्रता सेनानी हो गये हैं, एक तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो इस भारत देश को आजाद करने वाले और एक वे सेनानी जो शब्द मुझे सुनने को मिल रहा है कि इस लोकतंत्र में भी सेनानी पैदा हो गये हैं। अगर इस लोकतंत्र में सेनानी पैदा होने का अर्थ मिलता है तो उसका उद्देश्य है कि इस लोकतंत्र मेँ कानून के खिलाफ़ कोई भी व्यक्ति अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, किसी भी प्रकार का जो आन्दोलन करता है, वह आन्दोलनकर्ता किसी भी कानून के खिलाफ़ लड़ता है और उस लड़ाई में अगर वह सेनानी लोकतंत्र का व्यक्ति जेल में चला जाता है, वह इस देश में, इस राजस्थान प्रदेश में लोकतंत्र का सेनानी अगर कहलाता है तो हर दिन होने वाले आन्दोलन में जो व्यक्ति कानून के विरोध में महीने, दो महीने, चार महीने जेल में जाता है, मैं मांग करता हूं इस सरकार से कि उन सबको सेनानी माना जाये और उनको सबको लोकतंत्र सेनानियों में शामिल करते हुए उनको भी लाभान्वित करने का काम किया जाये।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में आप लोगों ने किसान की बात, मैं एक नयी मांग करता हूं। हमारा किसान आन्दोलन करता है, दिल्ली में आन्दोलन किया, उस समय हमारे किसानों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमे दर्ज हुए। उस समय किसानों पर गोलियां चलीं, किसानों की मृत्यु हुई, अब जब किसान आन्दोलन कर रहे थे, उनको जबरदस्ती से उठाकर बन्द करने का काम किया। मैं मांग करता हूं, यह किसान अन्नदाता है और अन्नदाता रोजाना अपने जीवन को चलाने के लिए हमको अन्न देता है और वह जब-जब भी आन्दोलन करता है, वह जेल में जाता है, तो मैं कहता हूं कि एक नया कानून अन्नदाता सेनानियों का भी लेकर आइये, इस लोकतंत्र में अन्नदाता सेनानियों की जरूरत है।

इसके साथ ही, किसान की बीमे की लड़ाई है, वह भी किसान आन्दोलन कर रहा है, इस लोकतंत्र में कर रहा है और कानून के खिलाफ़ कर रहा है। आपकी किसान निधि, बीमा करने

का काम, फसल बीमा की योजना हमारे लोकतंत्र में आयी और हमारे ही लोकतंत्र में उस किसान को अगर बीमा नहीं मिलता है और किसान आन्दोलन करता है, उसको आप जेल में ठूंसने का काम करते हैं तो आप उसको भी बनाइये सेनानी। इसके साथ, मैं कह रहा हूं कि हमारा पुलिस का जवान हमारी रक्षा करने में चौबीसों घंटे तत्पर रहता है। आपके बाहर भी हजारों लोग खड़े हैं। जब-जब भी आपको कैसी भी आवश्यकता हो, चाहे पारिवारिक लड़ाई हो, सामाजिक लड़ाई हो, आन्दोलन की लड़ाई हो, यह पुलिस का जवान लड़ता रहता है और यह पुलिस का जवान जब शहीद हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो राजस्थान की सरकार ने 75 वर्ष में उसकी चिन्ता क्यों नहीं करी कि उसको शहीद का दर्जा दिया जायेगा? उनको भी आप कहीं न कहीं सेनानी बनाइये और उनको सेना के जवान समझिये। उनके लिए भी आप कानून लेकर आइये कि राजस्थान का वह पुलिस का जवान हमारे लिए शहीद हो जाता है तो उसको भी सेनानी के रूप में आप दर्जा देने का काम करिये।

इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, इस लोकतंत्र में आपने जिन सेनानियों की बात करी है, लोकतंत्र सेनानियों की, इस देश-प्रदेश का किसान जितने आपके सेनानी उस समय हुए दो वर्ष में, उतने किसान हर वर्ष आत्महत्या करते हैं इस लोकतंत्र से तंग आकर, हमारे कानूनों से तंग आकर, आर्थिक तंगी के कारण, समय पर ऋण नहीं चुकाने के कारण, आपकी सहायता नहीं मिलने के कारण। अगर उस समय उनको भी आप यह समझते हैं उन आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को भी आप इन सेनानियों में शामिल कर लो, ये लोकतंत्र के सेनानी हैं, वे मजबूरन आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं।

इसके साथ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस बिल में दो चीजें हैं, जब आप बिल भी लेकर आ गये तो मैं बिल के बारे में भी दो शब्द आपको कहूं कि आप उसमें संशोधन करने का काम करें। सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और नि:शुल्क परिवहन सुविधा आप खण्ड 3 में जो दे रहे हैं, इसमें आपने एक अपवाद डाल दिया, ''लोकतंत्र के सेनानियों के पति या पत्नी नि:शुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे''। जब संख्या ही आपकी 1100-1000 मानते हो, उनके पति और पत्नियों की मृत्यु के बाद संख्या ही कितनी बचती है, तो फिर क्या उनके साथ भी एक अन्याय करने का अपवाद डालते हैं छोटा-सा? एक आपने इसके खण्ड 4 में भी डाला है, ''जो वयस्कता प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम 30 दिवस वह जेल में रहा है, किन्तु जिसे क्षमा मांगने पर जेल से रिहा कर दिया गया है'', आपके समय ही रहे हैं वे लोकतंत्र सेनानी, क्षमा किसी व्यक्ति ने मजबूरी में मांग ली तो उसने कोई पाप नहीं किया। उस वक्त 30 दिन अगर जेल में रहे हैं तो उन क्षमा मांगने वालों को भी इसमें शामिल करो, उनको अयोग्य में शामिल मत करो, इसलिए इसमें यह संशोधन करने की जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश-प्रदेश में अगर आप सेनानी...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अमेंडमेंट कर दिया है। 30 दिन की जगह 1 दिन कर दिया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 30 दिन की जगह 1 दिन कर दिया? आ गया क्या

अमेंडमेंट होकर? एक क्षमा याचना का शब्द और है इनके पास। क्षमा याचना का और कर देना आप थोड़ा सा कि क्षमा मांग ली और वह जेल चला गया। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता, जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, जो श्रमिक हैं, मंत्री जी, आप देख रहे हैं, इसलिए मैं देखता हूं क्या पता आप कैबिनेट में हमारी बात को कभी रख दो, ये श्रमिक लोगों का अपने भुगतान नहीं किया। मेरे जिले की बात करूं तो डेथ क्लेम के बाद श्रमिकों की 4 करोड़ 31 लाख रुपये की पिछले 2 साल से एफडी नहीं हो पायी है। आप, सरकार चिन्ता करो उनकी, कराओ, मंत्री महोदय, और पूरे राजस्थान में कितनी संख्या होगी? ...(व्यवधान)... 7 दिन में कर दोगे तो हम यहां टेबल पीटेंगे, जनता का भुगतान करो। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक कुमार कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 का हम स्वागत और अभिनन्दन करते हैं। आज इस विधेयक पर बोलने से पूर्व हम नमन करना चाहेंगे मेवाड़ में क्रान्ति का बिगुल बजाने वाले भीलवाड़ा जिले के वीर बारहठ परिवार के सदस्यों का। परिवार के ठाकुर केसरी सिंह जी बारहठ, उनके पुत्र प्रताप सिंह जी बारहठ और उनके भाई जोरावर सिंह जी बारहठ, जिन्होंने देश की आजादी हेतु अपने प्राण ही नहीं, अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। माननीय सभापति महोदय, जब देश अंग्रेजी दासता से मुक्त हुआ तो यह उम्मीद जागी कि भारत अब प्रताड़ना के दंश से मुक्त होगा, लेकिन देश के आजाद होने के लगभग दो दशक बाद 1975 से 1977 तक जनता को ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो प्रताड़ना की पराकाष्ठा थी।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इतिहास का वह एक काला अध्याय था। 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत प्रताड़ना के दौर में रहा। स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह सबसे अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक एवं राजनीतिक अत्याचार का काल था। देश में सभी चुनाव स्थगित हो गये तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, मानव अधिकारों को कुचल दिया गया। तत्कालीन कांग्रेसी प्रधान मंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया। अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त कर दी गयी। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर उसको भी प्रतिबन्धित कर दिया गया। कोई भी समाचार पत्र सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता था।

4 न्यूज़ एजेंसियों को एक-एक करके सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था। आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए गठित शाह आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रेस पर तब कितनी ज्यादती हुई थी। आपातकाल के दौरान 258 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, 51 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गयी, 7 विदेशी पत्रकारों को देश से निकाल दिया गया, 29 विदेशी पत्रकारों के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी गयी, 97 अखबारों में विज्ञापन रोक दिये गये। 1975 में 25 जून की रात आपातकाल लगा था। उसके लिए तत्कालीन प्रधान

मंत्री इन्दिरा गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण जी के भाषण को ढाल बनाया था। 26 जून, 1975 को सुबह देश के नाम अपने सन्देश में इन्दिरा गांधी जी ने कहा था कि एक व्यक्ति सेना को विद्रोह के लिए भड़का रहा है, देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, इसलिए देश में राष्ट्रपति जी ने आपातकाल लगा दिया।

25 जून, 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली को सम्बोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण जी ने इन्दिरा गांधी जी से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा था कि अब समय आ गया है कि देश की सेना और पुलिस सरकार के उन आदेशों की अवहेलना करे, जो उनकी आत्मा को कबूल न हों। जय प्रकाश जी को इन्दिरा गांधी जी ने 25 जून, 1975 को गिरफ्तार कराया। तब गिरफ्तारी के समय जे.पी. जी ने कहा था ''विनाशकाले विपरीत बुद्धिः'', सो आपातकाल के उनके योद्धाओं को ''राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों'' की उपाधि देना बिलकुल ही सही है और हम तो मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप इस पर विधेयक लाना चाहते हैं ताकि कोई भी सरकार इन लोकतंत्र के सेनानियों की पेंशन और मेडिकल सुविधा के लाभ से इनको वंचित नहीं कर सके, लेकिन इस विधेयक में कुछ संशोधन कर हमारे लोकतंत्र के सेनानियों को और ज्यादा सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अन्त में हम उन सभी लोकतंत्र के सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री कालूराम।

MKD/RTM/21.03.2025/17:20/3g

श्री कालूराम (डग): सभापति महोदय, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों के सम्मान विधेयक, 2024 पर आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक जो आपातकाल लगाया गया, वह एक काले अध्याय के रूप में लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है।

जिस प्रकार से इन्होंने आपातकाल लगाया, वह बहुत ही गलत था। गरीब लोगों को और जो आम कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ के, उनको जबरन जेलों में डाला गया। इस अवधि में करीब 19-20 महीने तक लोगों को जेल में रखा गया। इसमें कई बड़े-बड़े नेता भी जेल में रहे। जिस प्रकार से हमारे भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी, सम्माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, राजमाता सम्मानित विजयाराजे सिंधिया जी, सम्माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत जी, सम्माननीय गुलाब चंद कटारिया जी और पूरे प्रदेश के कई नेता, वह कई लोग इस आपातकाल में जेल में रहे।

इस आपातकाल के माध्यम से पूर्व प्रधान मंत्री सम्माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया, इसमें कई लोगों को कष्ट सहना पड़ा। इस आपातकाल के दौरान इन्होंने नसबंदी का एक आयोजन किया, पूरे देश में नसबंदी थोपी गई और नसबंदी के साथ-साथ

इनके जो सरकार के अधिकारी-कर्मचारी थे, उनको पाबंद कर दिया गया और टारगेट दिया गया कि आपको जबरन नसबंदी करानी होगी। अगर आपने नसबंदी नहीं कराई तो आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था में कई लोगों को, हमारे क्षेत्र में उस टाइम पर ज्वार होती थी, लोग उन ज्वारों के खेतों में जा-जाकर के छिपे, बाकी जबरन पकड़ के खींच-खींचकर उनकी नसबंदी की गई।

सम्माननीय हमारे भाई साहब अभी बता रहे थे कि हमारे राज्य सभा सांसद जी हैं। उनके तो नाखून तक उखाड़ दिए गए। राजेन्द्र गहलोत जी के नाखून तक उखाड़ दिए गए। ऐसे काले कारनामे इस आपात काल के दौरान किए गए। इस आपात काल के माध्यम से हमारे जितने भी लोकतंत्र सेनानियों को परेशान हुई। हमारी विगत सरकार, सम्माननीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने यह कानून लाकर उनको पेंशन देने का काम किया था। बाकी जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने इसको वापस बंद कर दिया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्माननीय भजन लाल जी को, वे आज फिर यह बिल लाए हैं। इससे जितने भी हमारे लोकतंत्र के सेनानी हैं, उनको लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मान मिलेगा और इन्होंने सम्मान में एक और नया जोड़ा है। जो भी परिवहन करेगा, उनको परिवहन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। साथ-साथ परिवार का जो कोई भी उनके साथ में जाएगा या कोई भी साथी अगर बुजुर्ग आदमी हैं तो साथ में उसको राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य में भी परिवहन सुविधा उपलब्ध हो होगी।

चिकित्सा सुविधा भी उनको मिले, क्योंकि चिकित्सा सुविधा के भी वे हकदार हैं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इनको सर्किट हाउस में भी जगह मिलनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह भी जोड़ना चाहिए कि राजस्थान में जहां भी लोकतंत्र सेनानी जाते हैं, उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। चाहे सर्किट हाउस में हो, चाहे डाक बंगले में हो, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उनकी जो सम्मान राशि है, जो पिछली राशि है, उसको बढ़ाना चाहिए और उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए।

इसमें एक और नियम किया हैं कि लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में, उनकी पत्नी या पति, इसमें लिखा गया है कि किसी भी सेनानी की मृत्यु की दशा में पति या पत्नी को सम्मान राशि व चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने वाले किसी भी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर पत्नी-पति को मृत्यु की तारीख से 90 दिवस के भीतर-भीतर आवेदन देना होगा। लोकतंत्र के दिवंगत सेनानी, पत्नी या पति को लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की तारीख से केवल सम्मान राशि और चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा कानून लेकर आए हैं, मैं इसका पूरा सहयोग करता हूं। मैं समर्थन करता हूं।

काले कानून में, जिस प्रकार से आपातकाल में, जो लोग परेशान हुए हैं और काफी लोग हमारे क्षेत्र से, मेरे विधान सभा क्षेत्र से भी काफी लोग मीसाबंदी है और पूरे राजस्थान में

काफी लोग मीसाबंदी रहे हैं। मैंने जनमत जानने के लिए जो संशोधन दिया है, मैं उसको वापस लेता हूं।

मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं। इधर के साथी जो किसान के बारे में बात कर रहे थे। यह बिलकुल गलत है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, 25 जून, 1975 को आपातकाल लगा था और विपक्षी दलों के ही नहीं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के दिखते हुए लीडरों को तो सबसे पहले बंद किया। जैसे अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी जी, भैरोंसिंह जी शेखावत साहब, सुंदर सिंह भंडारी साहब, गुलाब चंद जी कटारिया, बंशी लाल जी, भानु कुमार जी शास्त्री, राम नारायण जी, जार्ज फर्नांडिस जी और हमारे शांतिलाल जी चपलोत साहब, मदन जी मुंदड़ा, कैलाश जी मेघवाल साहब अनेक ऐसे-ऐसे जो दिखते हुए लोग थे, वास्तव में इस काले राज़ का अहंकार था, उसमें उन्होंने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1976 तक जेल में रखा। उनको ऐसी काल कोठरी की तरह सजा दी, जो वास्तव में आज भी काला अध्याय के रूप में लिखा जा रहा है।

वास्तव में, हमारी सरकार ने 2013 में आकर इन मीसा बंदियों को पेंशन देकर राहत देने का काम किया और उनको राहत दी। 2018 में सरकार बदल गई और उनके साथ में बिना सोचे-समझे इस पेंशन को बंद करके उन मीसा बंदियों को एक तरह सजा के रूप में, मतलब जो सहायता राशि मिल रही थी, उसको भी बंद कर दिया।

सभापति महोदय मैं आपको क्या बताऊं, वास्तव में ये अहंकारी सरकार लोकतंत्र सेनानियों के लिए एक तरह का...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इधर भी अहंकार है, इधर भी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मनोज जी, आप सुनो, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था। अहंकारी सरकार ने यह सोचा कि अब हमारे अलावा कोई सरकार बनेगी ही नहीं। इन्होंने यह सोच लिया कि हम अब हिंदुस्तान में ऐसे रावण की तरह राज़ करेंगे, उनको कोई हराने वाला नहीं। मगर उसका भी अहंकार टूटा था, वह तो बाद में बताऊंगा।

जितने भी डॉक्टर, कर्मचारी, अधिकारी, उनको एक टारगेट दे दिया, टारगेट दे दिया, इतने आदमियों की नसबंदी करनी तुम्हें अनिवार्य है, नहीं तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जायेगा या तुम्हें कहीं ने कहीं और सज़ा मिलेगी। अधिकारी, कर्मचारियों की नौकरी, उनके बाल-बच्चों को पालना, उनके सामने चुनौती आ गई। उन्होंने जहां जो मिला, जैसी स्थिति में मिला, उनको पकड़-पकड़कर उनके साथ में अत्याचार किया और उनकी नसबन्दी कर दी।

मेरे सभी सदस्य भाइयों और बहनों ने भी बताया, मगर मैं आपको बता रहा हूं, शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो, चाहे शादी कर ली और उसके सन्तान नहीं हुई, उनकी भी नसबन्दी

करवा दी। वास्तव में जनता के साथ में ऐसा अत्याचार किया, तब जनता ने पलटवार किया।

वास्तव में, इनको अंहकार में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं तो आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर इसके लिए यह जोड़ा जाए कि राजकीय सम्मान सहित उनकी अन्त्येष्टि की जाए।

Bhs/Rtm/21.03.25/17.30/3h

मेरी तरफ से इनमें जोड़ने के लिए मैं आग्रह करूंगा। अशोक जी गहलोत जी ने जब इस पेंशन को बंद की तब से वापस अब यह चालू हो रही है, तो इसके बीच का पेंशन का एरियर बनाकर उनको मदद की जाये। तीसरा, अभी की सम्मान राशि व चिकित्सा राशि को डबल कर दी जाये। सरकारी आवास में रियायती दर पर ठहरने की सुविधा दी जाये। सभी श्रेणी की रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा, पति और पत्नी या सहयोगी को उसमें निःशुल्क यात्रा की जाये। प्रत्येक नगरपालिका में विजय स्तंभ लगाकर लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर पट्ट के साथ में हर पंचायत, नगरपालिका में ऐसा स्तंभ लगाया जाये ताकि उनको याद किया जाये। राज्य की सड़कों पर टोल मुक्त एक पास बनाया जाये ताकि इनको भी सरकारी सुविधा के अनुसार सम्मान मिले। औद्योगिक क्षेत्र में रियायती दर पर पट्टा आवंटित करके इनको भी कहीं न कहीं प्लॉट आवंटित करवा कर राहत प्रदान करें।

सभापति महोदय, सभी आपातकालीन आंदोलनकर्ताओं को स्वतंत्रता संग्राम एक्ट के अनुसार सभी सुविधाएं देने का इस बिल के अंदर जोड़ने का मेरा सुझाव है। जिन अधिकारियों को जो वास्तव में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो टारगेट दिया और ऐसी सरकार ने अपना जो सारा कुछ छोड़ दिया कि भाई, हम ही हम हैं तो मैं कम बोल कर मेरी बात को विराम दूंगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहंकार का क्या हाल होता है, सभापति महोदय, अहंकार का क्या हाल होता है जो बताता हूं। जैसे अहंकार से तीन गये, अहंकार से तीन गये धन, वैभव और वंश। पता नहीं तो देख लो रावण, कौरव, कंस। जिसने अहंकार किया उसका खत्म होना तय है और उस टाइम पर उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारी सरकार चली जायेगी। आज दिल्ली के अंदर भी वह एक पेट्रोल पम्प पर जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि, साहब, ज़ीरो देख लीजिए, फिर वह पेट्रोल भरते हैं तो वहां पर एक कार्टून में दिया था तो इनका हाल वहां पर दिल्ली के अंदर भी ज़ीरो करके बताया। यही नहीं, यहां पर भी यही किया।

सभापति महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं मगर मेरे पूर्व साथियों ने यहां पर जो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को कोई नहीं बुलाते हैं। सभापति महोदय, मैं विधायक 2018 से 2023 में था, मगर मेरे विधायक फंड का भी हारा हुआ विधायक उद्घाटन और भूमि पूजन करते थे और हमारे को नहीं बुलाते थे। कोई बात नहीं, हमारा नाम तक नहीं लेते थे उनका अहंकार खत्म कर दिया और सरकार ने 2023 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला कर साबित कर दिया। वह ही नहीं अभी जो उप चुनाव हुआ उसमें जनता समझ गई कि

वास्तव में हमने गलती कर दी जो कुछ विधायक इधर बना दिये, वह भी नहीं बनाना चाहती थी जनता, तो इनके मेरे इधर मेवाड़ के अंदर चार विधान सभा क्षेत्रों के अंदर जमानत तक नहीं बचा पाए हैं।

सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से ज्यादा नहीं बोल कर सभी वक्ताओं ने बता दिया, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि जो तीन माह के लिए मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था उसको मैं वापस लेता हूं और इस बिल का मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्य मंत्री जी और मंत्रियों का, कैबिनेट मंत्रियों का सभी का सम्मान करते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं। जय भारत। जय हिंद। जय-जय राजस्थान। जय भारत।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं मेरा प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): रहने दो अब तो आप। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। चूंकि चर्चा जिस प्रकार से चली, एक बार तो मैं भी खुद ही कन्फ्यूज़ हो गया था कि यहां मीसाबंदियों की चर्चा हो रही है कि नसबंदी की चर्चा हो रही है। वह उस समय की जरूरत थी जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही थी उस चीज़ का निर्णय लिया गया था लेकिन यहां जितने भी आपके सत्तापक्ष के सदस्य बोले वह ऐसी आपात काल की कोई घटना नहीं बता पाए कि कोई गलत काम किसी के साथ हो रहा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हमारे उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने तो इतनी सुविधाएं बता दीं, जो एम.एल.ए. को भी नहीं मिलती उतनी डिमांड कर दी आपने। मैं तो कह रहा हूं एक दो...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): एक डिमांड नहीं की, वह आप कर देना कि जिन-जिन की नसबन्दी की है उन सबको भी पेन्शन में शामिल किया जाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वह मैंने जानबूझ कर नहीं की, मैंने कहा, ये वोट बढ़ाने के चक्कर में जोड़ देंगे उनको भी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): नहीं-नहीं, आप शामिल कराओ न उनको। यह प्रस्ताव आपकी तरफ से आना चाहिये। चूंकि गुनहगार अपन रहे हैं न तो यह प्रस्ताव अपनी तरफ से आना चाहिये।

श्री सभापति: पारीक साहब, आपकी बात किसी ने नहीं मानी आज।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दूसरा, एम.एल.ए. में भी कोटा कर दो इनका कि दो-चार आदमी एम.एल.ए. भी आ जायें।

श्री सभापति: पारीक साहब का प्रस्ताव था कि रिलेवेंट बोलें, कोई नहीं मान रहा था।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): जिन-जिन की नसबन्दी की गई उन सबको पेन्शन सुविधा दी जाये। ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): उनको जो कुंवारे थे ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अर्जुन जी, कहीं आप चपेटे में तो नहीं आ गये? आपका सबसे ज्यादा इस मामले में ही ध्यान है।

देखिये, आज जो आप बोलना चाह रहे थे वो बोल ही नहीं पाये। जिस विषय पर आज चर्चा हुई और सीधी सी बात यह है कि आपातकाल लगा और जिन लोगों ने सरकार का विरोध किया वो आप लोगों की पार्टी के थे, आपके साथ थे, उनको आपको पेंशन देनी है, मेडिकल की सुविधाएं देनी हैं, उसके लिए बिल आप लेकर के आये हो और इसी प्रकार से यानी आपके एक माननीय सदस्य, जीनगर साहब सभापति जी, आप तो कह रहे थे सारी जेल हम लोगों ने भर दी और अनिता भदेल जी कह रहे थे, 1200 ही लोग हैं हमारे तो ये इतना ...(व्यवधान)... हां तो पूरे देश में तो राजस्थान की भी भरी होंगी, अपनी खाली थोड़ी रहती, पर कहने का मतलब यह है कि शब्दों का चयन तो ऐसे करो कि किसी के समझ में तो आये, मामला जमे तो सही। आज जो इंदिराजी को, हम सब लोगों का पहले ही जो है निशाना इंदिराजी की तरफ था। इंदिरा जी ने आपातकाल के समय जो किया, आप सब लोगों ने जो बातें कहीं अगर वह सही होती तो 1980 के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ वापस नहीं आती।

सभापति महोदय, आपात काल पर इस देश की जनता ने मुहर लगाई और उन्होंने वापस इंदिराजी को देश की सत्ता सौंपी। इंदिरा जी ने जो देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने के अंदर जो योगदान दिया, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि 92 हजार सैनिक, पाकिस्तान के 92 हजार सैनिक घुटनों के बल टिका दिए। पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। परमाणु विस्फोट कर दिया। अमेरिका का आठवां बेड़ा वापस भेज दिया ...(व्यवधान)... सातवां होगा, सातवां बेड़ा वापस भेज दिया और आज हमारे लोग बेड़ियों में जकड़ के आ रहे हैं। कल का अखबार पढ़ना, कल के अखबार में आया है कि 10 साल के अंदर 193 नेताओं पर केस दर्ज हुए हैं, 193 पर और दो को सजा हुई है मात्र दो को तो वह इमरजेंसी अच्छी थी या आज की इमरजेंसी अच्छी?

सभापति महोदय, आज चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता के अंदर हमारे देश की रैंकिंग नीचे आ रही है। यहां पत्रकारों को राजस्थान के अंदर भी जेलों के अंदर डाला जा रहा है। यह इमर्जेन्सी है या वह इमर्जेन्सी अच्छी थी? वह इमर्जेन्सी संविधान के तहत लागू की गयी थी और आज जो अघोषित इमर्जेंसी चल रही है, कोई बोल नहीं सके, कोई बात नहीं रख सके यह स्थिति इस देश के अंदर पैदा हो गई। आपने नोटबंदी लागू कर दी। नसबंदी में जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा नोटबंदी के अंदर कतारों में खड़े होकर लोग मर गये। एक शब्द आप लोग नहीं बोलते उसके लिए। वह इमर्जेन्सी नहीं थी? कोई आदमी कहीं भी था वहीं कि कल से नोट बंद। इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा उस समय की क्या परिस्थितियां थी, आज की क्या परिस्थितियां हैं। ठीक है, आप अपने लोगों को फायदा देना चाहोगे, आप का बहुमत है। आप का बहुमत है, आप इस बिल को पास करोगे लेकिन आप यह सोचिये कि क्या आप जिनको पेंशन देना चाह रहे हैं उसको आप इसलिए

पेंशन देना चाह रहे हैं कि वह आपकी पार्टी के लोग हैं। आज गरीब को पेंशन मिल जाये, समय पर उसको मेडिकल की सुविधा मिल जाये, उसके लिए कुछ नहीं है।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

Kas/rtm/21.03.2025/17.40/3j

लेकिन जो आपात काल के समय जेलों में चले गये, वो लोकतंत्र के सेनानी हो गये, कइयों ने तो स्वतंत्रता सेनानी कह दिया, ऐसा नहीं है। हमको समझना पड़ेगा, हमारे कई साथियों ने किसान आंदोलन की भी बात रखी। यह भी आंदोलन हैं, इसमें भी किसानों की जान गई है। राजस्थान में अन्य कई आंदोलन हुए, रावला-घड़साना, गुर्जर आंदोलन, उनमें भी जो शहीद हुए हैं, जेल गये हैं, उनको भी इसमें जोड़ दो, हम उनका भी समर्थन कर रहे हैं, ताकि उनको भी सरकार से कुछ मदद मिले। माननीय सभापति महोदय, आज इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हमारी सरकारें आम जनता को ध्यान में नहीं रखते हुए, अपने चहेते लोगों को फायदा देने के लिये, और मैं तो देख रहा हूं आज का जो पहला बिल आया, वो भी कुछ लोगों को फायदा देने के लिये था और यह दूसरा बिल आया है, यह भी कुछ लोगों को फायदा देने के लिये है। राजस्थान की जनता का कहां हित हो रहा है, वो बात मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं?

सभापति महोदय, आपने बिल बनाया कि जो लोग 30 दिन जेल में रहे, उनको इसमें माना जायेगा। एक माननीय सदस्य ने तो इसमें संशोधन ही दे दिया कि जो एक दिन गया है, उसी को मान लो। फिर तो कोई घंटे-दो घंटे गया, उसको भी मान लो, यह कोई बात नहीं होती। आज बाबा साहब अंबेडकर के बनाये हुए संविधान ने, इस लोकतंत्र ने इस सदन को जो ताकत दी है, उस ताकत का सदुपयोग होना चाहिये, दुरुपयोग नहीं होना चाहिये, यह अपील मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बिल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये लाया गया है। आप तो कह रहे हो कि उनको मेडिकल की भी सुविधाएं दी जायेंगी। मेडिकल की चिरंजीवी जैसी स्कीम हमने इस राजस्थान को दी, उसमें सब कवर होते हैं, किसी को दिक्कत ही नहीं आ रही थी, लेकिन आज उस स्कीम की हालत क्या हो गई? आप उनको मेडिकल की सुविधाएं तो दे रहे हो, लेकिन हकीकत क्या है, वो समझना पड़ेगा। आपने उनके लिये रोडवेज की डिमांड कर दी। मेरे एक साथी कह रहे थे कि बुजुर्ग हो गये। सही बात है, बुजुर्ग हो गये, रोडवेज में कहां से जायेंगे। माननीय मंत्री जी को मैं सुबह देख रहा था, वो भी हताश थे कि सवा-डेढ़ साल में एक बस नहीं खरीद पाये, तो रोडवेज के पास हम देंगे, तो वो किस काम आयेंगे?

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा यह सरकार आज इस सत्ता का गलत फायदा उठाते हुए इस बिल को पास करा रही है, क्योंकि बहुमत है। पुलिस का मैस भत्ता नहीं बढ़ा सकते, उनके लिये तो पैसे नहीं हैं, लेकिन आज आप इसे जरूर पास करायेंगे।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जाये, ताकि जनता की आवाज भी जुड़ कर आ जायेगी कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है। यही बात कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं।

एक व्यवस्था के प्रश्न से मैं कहना चाहूंगा अलवर में यूडी टैक्स के नोटिस दिये जा रहे हैं। इससे लोगों में घबराहट है, खौंफ है। 20-20 साल पुराने नोटिस अचानक आये हैं, तो उसकी सरकार जांच करे, लोगों को नाजायज तंग नहीं किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री गोपाल शर्मा, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले निवेदन करना चाहता हूं जो सपना हमने देखा था शैशव के भोले नयनों में, उन सपनों के जय घोष लगा चित्रित था मन में वचनों में। यह देश बनायेंगे ऐसा आजादी जिसमें खिलती हो, चिरशांति, सुमति, उन्नति सरिता पग-पग पर आकर मिलती हो। हम ऐसा देश बनाना चाहते थे जब भारत आजाद हुआ, लेकिन उसकी परिणति क्या हुई? मैं कहीं भी आकर अटक जाता हूं, जब नेता, प्रतिपक्ष महोदय से मैं उम्मीद करता था कि आपको युवराज प्रताप सिंह जी की याद नहीं आई, जिनको इमरजेंसी में गोली खानी पड़ी। जो बात करते हैं आदिवासियों की, वो भूल गये ...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो सदस्य यहां पर मौजूद नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जाये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): इनको जो अच्छा लगे, वो करने दीजिए।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, गोपाल जी सही कह रहे हैं कि युवराज प्रताप सिंह जी अलवर के श्रद्धेय थे, श्रद्धेय हैं और श्रद्धेय रहेंगे, लेकिन इमरजेंसी में जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से उनको मारा गया, उसको अगर सदन याद कर रहा है, तो उसमें कोई गलत नहीं कर रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नियम और परम्पराओं की बात है, आप उनका नाम नहीं ले सकते, बाकी आप जो मर्जी हो बोलिए।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): चलिए, उनके पिताजी की बात कर लें। इनकी खुद की सरकार ने महाराजा जगत सिंह जी को हत्या के आरोप में दिल्ली बुलाकर नजरबंद कर दिया। आपमें नैतिकता की बात करने की ताकत है? वो 19 महीनों का समय ....(व्यवधान).... महोदय, विषय पर आने दीजिए, छेड़िए मत।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह किस पर बोल रहे हैं?

श्री सभापतिः संशोधन प्रस्ताव पर।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): ....(व्यवधान).... मनीष भाई, आपको तो हम हमेशा सुनना चाहते हैं, आप तो सीखिए। इस बहाने आपको इतिहास का पता चलेगा, वर्तमान का पता चलेगा। आदरणीय सभापति महोदय, वो 19 महीने एक अनचाहे शिशु का प्रसव काल

था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह गलत बात है, यह परम्परा नहीं रही है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आपको जो चाहिये कटवा लीजिएगा। ....(व्यवधान)....

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह बोल ही नहीं सकते हैं। कोई नियम भी तो होगा?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): कहीं तो नियमों में चलो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नियमों में चलो, इसका मजाक मत बनाओ। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान).... यह बोल ही नहीं सकते, फिर कैसे बुलवा रहे हो?

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मेरा निवेदन है कि जो यह कहें, वो रख लीजिएगा, जो यह नहीं चाहें, उसको काट दीजिएगा, सुन तो लीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, नियमों से चलवाओ, जो नियम है, वो चलाइए आप।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, ऐसे थोड़े ही चलेगा, नियमों में ही नहीं है। क्यों आप इसको वो बना रहे हो? नियमों में बुलवाओ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, जब उधर के माननीय सदस्य विषय से भटक रहे थे, तब आपको नियम याद नहीं आये?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विषय की बात ही नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): तब क्यों नहीं टोका?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बात विषय की नहीं है, किस स्टेज पर बोल रहे हो, वो नियमों में है क्या?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): स्टेज क्या है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कौनसी स्टेज है, बताओ?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह ऑलरेडी बोल चुके हैं, फिर कैसे बोलेंगे? ....(व्यवधान)....

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ....(व्यवधान).... आपका अनर्गल प्रवाह उधर से हो रहा था। ....(व्यवधान)....

बहिर्गमन

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ....(व्यवधान).... यह नियमों में नहीं बोल रहे हैं। यानी बिना नियम के ही बुलवायेंगे, तो बुलवा लीजिए, हम बायकॉट करते हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सभापति महोदय, लोकतंत्र सेनानी के बारे में नहीं बतायेंगे तो विषय कैसे आयेगा? मैं आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं ....(व्यवधान).... मनीष भाई, फिर खड़े हो गये, ऐसे मत कीजिए। घनश्याम जी, बैठ

जाइए। वाकआउट कर लीजिए, आप नहीं सुन पायेंगे, सहन नहीं होगा। अभी तो बाकी है। आदरणीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)....

श्री सभापतिः आप बोलिए, बोलिए।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहता था कि प्रतिपक्ष सिद्धराज जी को जानता होगा, जो राजस्थान के पहले उद्योग मंत्री थे। वो गोकुल भाई भट्ट को जानते होंगे, जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे थे। वो उन गोकुल भाई भट्ट को जानते होंगे, जिन्होंने नेहरू जी के कहने पर भी मुख्य मंत्री बनने से इनकार कर दिया था। महोदय, सिद्धराज जी ढड्ढा, गोकुल भाई भट्ट, यह सब जयपुर जेल में बंद थे और यातनाओं के शिकार थे।

Msk/rtm/21.03.25/1750/3k

उनको संघ के लोगों ने संभाला। वहां पर होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते थे। ये कहते हैं कि इमरजेंसी में क्या घटना हुई, कोई बताइये। आदरणीय सभापति महोदय, इमरजेंसी के अन्दर जब देश को जेलखाने में बदला गया, उस समय निर्देश जारी किये गये, कुलदीप नय्यर भारत के प्रमाणित पत्रकार रहे हैं, पद्मभूषण रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, चार्ल्स शोभराज की खबरें मत प्रकाशित करिये। आपका चार्ल्स शोभराज से क्या नाता है? उसमें लिखा है कि संजय गांधी के जन्म के ऊपर होने वाले कार्यक्रम और मुख्य मंत्रियों द्वारा दी जाने वाली बधाई को मत छापिये। आप मत छापिये कि कांग्रेस और युवक कांग्रेस के अन्दर क्या लड़ाई चल रही है? यह एक लम्बी दास्तां है, हम इस पर नहीं आना चाहते।

लेकिन, महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने भजन लाल जी के नेतृत्व में जो काम किया है, यह हम 1977 में भी कर सकते थे। इससे ज्यादा बड़ा सत्ता पक्ष था, डेढ़ सौ सदस्य आते थे। कांग्रेस के पचास भी नहीं थे, लेकिन उस समय हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने कहा कि हमको देश के लिए चुकाई गयी कीमत के बदले कोई सम्मान नहीं चाहिए। लेकिन क्या, हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? हम अपने नेताओं को श्रद्धांजलि नहीं देंगे? हम उनको सम्मान नहीं देंगे? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि, सत्तापक्ष के हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्या चन्द्र शेखर आजाद जेल नहीं गये तो क्या वे स्वतन्त्रता सेनानी नहीं हैं? लाला जी देशमुख, इमरजेंसी के अन्दर जेल नहीं गये तो क्या वे लोकतंत्र सेनानी नहीं हैं? हमारे विश्व नेता आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जेल गये, पीछे से आन्दोलन का संचालन किया। क्या वे लोकतंत्र सेनानी नहीं हैं? उनको कैसे लाया जाये। एक तो यह सोचा जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी चीज। लोकतंत्र सेनानी होकर वे कोई चीज मांग रहे हैं, यह भावना खतम होनी चाहिए।

श्री सभापतिः विराजें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैं आखरी बात यह कहना चाहता हूं कि क्या यह

सवाल उठना चाहिए कि उनकी मृत्यु होगी तो अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी। उनको ताम्रपत्र मिला है कि नहीं, इसके बारे में विचार होना चाहिए। हमारी श्रद्धा कितनी है? इसका फैसला होना चाहिए।

हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के आगमन का स्वागत करते हुए मैं आखिरी वाक्य कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को आपने तुगलक नगर थाना दिल्ली में ले जाकर बिठा दिया। मणिबेन पटेल को, सरदार पटेल की बेटी को, इमरजेंसी के अन्दर और वहां के थाने के अधिकारियों ने कहा कि सरदार पटेल की बेटी को हम बन्द नहीं कर सकते, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे संजय गांधी चाहे...

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और लोकतंत्र सेनानियों को प्रणाम करता हूं। भजन लाल जी की सरकार ने वह ऐतिहासिक काम किया है, जो इतिहास में लिखा जायेगा। आदरणीय महोदय, इसमें जो भी संशोधन की बात थी, मैं कह चुका हूं और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं और सरकार के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: विराजें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के इस पवित्र सदन में और जब से लगाकर विधान सभा का..

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

विधेयक पर विचार के समय उसकी विषयवस्तु पर चर्चा ही अनुज्ञेय

मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, संदेश है, निर्देश, कुछ भी है, उसको सुनें। अपन सबके पास यह किताब है। जब इसमें कोई विधेयक आता है और हमारा नाम परिचालन के लिए आता है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल विधेयक के अराउंडिंग और सराउंडिंग ही बोल सकते हैं। फिर किसी ने भी इधर-उधर की बातें की होंगी, चाहे विपक्ष ने की है, चाहे पक्ष ने की हो। वह कभी भी रिपोर्टिंग के रिकॉर्ड में नहीं आतीं। We should be around this. मैं यह नियम ही कोट करता हूं। इस तरह से सब लोग ध्यान रखें। मेरे से ज्यादा समझदार हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 86 में बिल्कुल क्लीयर लिखा हुआ है और मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि व्यवस्था का नियम यह है कि पहले व्यवस्था हो, उसके बाद आगे सदन चलेगा। मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर कोई रिप्लाई दिया गया, जबकि मैंने व्यवस्था का प्रश्न ही उठाया था कि जो कुछ भी आपको कहना है, सब्जेक्ट पर कन्फाइन करना पड़ेगा। बिल के कन्फाइन के अलावा आप एक शब्द भी इधर-उधर नहीं बोल सकते। स्पष्ट लिखा हुआ है। कॉल एंड शकधर में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, हो गया। मैंने बता दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो व्यवस्था का प्रश्न था। अभी माननीय गोपाल शर्मा जी को आपने बोलने की इजाजत दी। गोपाल शर्मा जी ऑलरेडी बोल चुके हैं। गोपाल जी शर्मा का पहले नंबर आ चुका है। उसके बाद वे फिर कह रहे हैं कि मैं अपना प्रस्ताव दूंगा। प्रस्ताव पर नहीं बोलकर पूरी-पूरी डिबेट बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इसमें व्यवस्था बहुत स्पष्ट है। चूंकि अपने में से कई नये लोग भी होंगे, विधेयक को पारित करने के लिए। जब कभी कोई विधेयक आता है। मंत्री जी विधेयक को वहां पुरः स्थापित करते हैं। उसके बाद जिन्होंने परिचालन के लिए नाम दे रखा है, केवल वही उस क्रम में बोलेंगे। उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। फिर खण्ड शः, उस पर विचार होगा। जब सारे खण्ड शः हो जायें, फिर अन्त में वाचन-3, उसमें कोई सदस्य यदि अध्यक्ष को बताता है और अध्यक्ष अनुमति देता है तो वह उसको बोल सकेगा, अदरवाइज नहीं। जिनके नाम इसमें हैं, उसके अलावा कोई नहीं बोल सकता। यदि कोई इसमें एक बार बोल लिया, वह दोबारा नहीं बोल सकता है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): उसको विलोपित करायें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उसको मैं देखता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): गोपाल शर्मा नहीं बोले, पहले वाले बिल पर बोले थे। उस बिल पर बोले थे, इस बिल पर नहीं बोले। वे इस पर पहली बार बोले हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उनका इसमें नाम नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उनका नाम स्वतन्त्रता सेनानी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: देखो, इसमें तो नाम नहीं है। उसके बाद इन्होंने दिया कि प्रवर समिति को दिया जाये। उस पर बोलकर कि उस पर अपन वोटिंग करायेंगे। इस पर वोटिंग कराउंगा, यह है। चलिये, माननीय मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज राजस्थान के इतिहास में, इस पवित्र सदन के इतिहास में इतने महत्वपूर्ण विषय पर अनेक माननीय सदस्यों ने राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर अपनी बात कही। इसमें करीब 24 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया।

अब विषय और विषयान्तर्गत से भटककर किसी ने बात कही, वह आपके संज्ञान में है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विषयान्तर्गत बात कही, इस बिल के सम्बन्ध में बात कही। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बात तो कुछ और कही, मन में कुछ और था, किया कुछ और है , कह कुछ और रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं।

मित्रों, वह दिन याद करो। आज आप कुछ बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है। आपको यह अधिकार आपकी जनता ने दिया है। अपनी जनता के अधिकार पर आप जो-जो बोले हैं, कृपया खुद जाकर विचार करना कि लोकतंत्र के उन सेनानियों को, जो अपने लिए जेल नहीं गये हैं, उनका खुद का उसमें कोई दोष नहीं था, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, उन्होंने तत्कालीन किसी कानून को भंग नहीं किया था, लेकिन एक काल खण्ड आया, एक ऐसी काली रात आयी, उस रात में एक ऐसा आदेश पारित हुआ कि पूरे देश को जेल में परिवर्तित कर दिया गया। पूरा देश जेलखाना बना दिया गया था। हम उस सम्बन्ध में बात करने के लिए आज आये हैं।

mdp/rtm/21.03.25/18:00/3l

अगर आपको यह लगता है, मेरे जितने भी प्रतिपक्ष के साथी बैठे हैं, मैं उनसे आज निवेदन करता हूं कि अपनी अंतरआत्मा से आज घर जाकर देख लेना, अपनी अंतरात्मा से पूछना अगर आपको लगता है कि 21 तारीख की रात को जो इमरजेंसी लगी थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला था, जो जन-प्रतिनिधियों को जेल में डाला था, मैं अभी आपको उसका जिक्र करूंगा, जिन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, अगर आप उसको ठीक मानते हैं तो आप की जनता को विचार करना पड़ेगा कि हमने किस जन-प्रतिनिधि को जीता कर कहां भेजा है।

हां, हो सकता है कि आप हमारे विषय से, हमारे मत से समर्थित नहीं हों, ये बात सही है, लेकिन यहां बोलते-बोलते किसान आंदोलन, एम एस पी, समर्थन मूल्य, बिजली, मणिपुर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज आश्चर्य हो रहा था कि किस बिल, किस विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं और जो माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उनसे आज निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी आत्मा कहां चली गयी थी जब इतने सारे बोल रहे थे? और जब हमारे विधायक बोल रहे थे तब आपको व्यवस्था का प्रश्न याद आ रहा था, ..(व्यवधान)... अपने साथी बोल रहे थे जब आपकी व्यवस्था कहां गयी थी?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न तब भी था, मेरा व्यवस्था का प्रश्न अभी भी है। ..(व्यवधान)... मेरा व्यवस्था का प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय से है, आपसे नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कोप ऑफ डिबेट 86 पेज पर आप देखिए।

श्री अध्यक्ष: देख लिया मैंने। यह मैंने व्यवस्था दे दी। ..(व्यवधान)... माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपसे मेरा यह भी निवेदन है कि आखिरकार

यह बिल लाने की, नोटिफिकेशन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा कौनसा बैकग्राउंड है, ऐसा कौनसा तथ्यात्मक विवरण है, ऐसी कौन सी हिस्ट्री है, प्रभु अपने आप लाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आज का ही दिन, आज का ही 21 मार्च क्यों स्वतः ही अपने आप ही इस राजस्थान की विधान सभा में आया। आज से पहले ठीक 50 साल पहले इसी 21 मार्च 1977 को इस देश में इस काले दिवस का अंतकाल हुआ था और स्वतंत्रता के खुले आसमां में सांस ली थी और आज ही ये दिन आया है तो प्रभु अपने आप करता है और जो प्रभु को नहीं मानते है, जो उसमें विश्वास नहीं करते हैं, उनको ऐसा ही सबक मिलता है जैसा अब मिल गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान रक्षा की बात करने वाले लोगों से मैं आज निवेदन करूंगा नम्रता से, संविधान की कॉपी हाथ में रखकर प्रोपगेंडा करने वालों से मैं आज निवेदन करूंगा कि अगर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय पारित कर दिया, आज तक होता आया है, हमारे या आपके खिलाफ़ भी हो सकता है। हमारे खिलाफ़ या किसी के खिलाफ़ कोई चुनाव जीता हो, कोई चुनाव हारा हो, रिट याचिका हुई हो रिट याचिका स्वीकार हो गई हो, उस रिट याचिका के स्वीकार होने के उपरान्त एक विश्वव्यापी जन नेता राजनारायण जी का कोई उद्बोधन आया हो और उद्बोधन के बाद में आपको यह लगे कि अब हमारी कुर्सी के चारों पैर हिल गए हैं और आप जो एक्शन ले रहे हैं, उसके बारे में आपसे निवेदन करूंगा, क्या न्यायालय के निर्णय का सम्मानपूर्वक आदर करना चाहिए था या नहीं? क्या माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया मेरिट पर सभी पक्षों को सुनने के उपरांत, उसका मान और सम्मान करना चाहिए था या नहीं? उस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप अपील में गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आप की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद में आपको ये कहा कि आपकी रिट याचिका, आपका जो कथन है, आपकी जो अपील है, वह सुनने योग्य है, हम इस पर सुनेंगे और उन्होंने आपकी प्रार्थना पर ये आदेश दिया कि आप पार्लियामेंट में अपीयर हो सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। उसके बाद उस निर्णय को नहीं मानने का कारण क्या है, वह मैं आज आपसे जानना चाहता हूं।

क्या आप न्याय, संविधान में विश्वास करते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करने का क्या कारण था, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को नहीं माना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नहीं माना और आपातकाल जैसा काला कानून और किस तरह से किया गया वह आज आपके सामने हैं। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। उसमें विपक्षी पक्षकार श्रीमती इंदिरा गाँधी जी के चुनाव को अवैध माना गया और यह कहा गया कि चुनावों में भयंकर धांधली की गई है। चुनाव में इस तरह से यह अनियमितता की गई है और उस चुनाव को अवैध/रद्द कर दिया। अगर आप संविधान में विश्वास करने वाले होते हैं तो कहते कि ठीक है साहब आपका फैसला हुआ, हम आइंदा चुनाव लड़ लेंगे या जो भी हमारा होगा वह लड़ लेंगे या इस पर

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाता है, उसका इंतजार कर लेते।

मानीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं राजनारायण जी, आपने अभी बहुत आरोप लगाए हमारे ऊपर, आपकी पार्टी को फायदा देने के लिए, परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं जो पूरे ध्यान से सुन रहे हैं आज, राजनारायण जी किसकी पार्टी के थे? राजनारायण जी नेता थे, वह कौन सी पार्टी के थे? इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी उन्होंने और जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 1971 के लोक सभा चुनाव में रायबरेली सीट से भ्रष्ट आचरण का उपयोग किया। ये आरोप लगाया था और इस आरोप को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सही मान कर निर्णय दिया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उसके बाद भी आप कहेंगे कि संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं हम? 12 जून को क्या हुआ? 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और हमारे तीन वरिष्ठ न्यायाधिपति थे, जिनका सर्वोच्च न्यायालय में होना था, वह आपने नहीं होना दिया। संविधान की रक्षा करने वाले और संविधान हाथ में लेकर फिरने वालों से मैं तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों उनको डी-बार किया गया था? इसीलिए कि उन्होंने फैसला आपके खिलाफ़ कर दिया था। उन्होंने फैसला आपके खिलाफ़ नहीं किया था, आपके आचरण के खिलाफ़ किया था। जो अनियमितताएं अपनाई थी, उसके खिलाफ़ किया था, न्याय के अनुसार किया था, संविधान के अनुसार किया था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके पक्ष में कर रहे हैं, वे राज्यपाल बन रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली साहब, संविधान में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। न किसी व्यक्ति में विश्वास करती है, न किसी और में विश्वास करती है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को मौका मिलता है। उसमें भजन लाल भी मुख्य मंत्री बन सकता है और जोगाराम पटेल भी संसदीय कार्य मंत्री बन सकता है। हम एक परिवार का महिमा मंडन नहीं करते, एक परिवार को नत-मस्तक नहीं होते हैं, काम करते हैं और अपने आप मौका मिलता है। आपके यहां तो क्या होता है, वह आपके सामने है। मैं नहीं बोलूंगा, आप मुझे मत छेड़ो, नहीं तो आपके पास वाली कुर्सी से क्या दृश्य था, अब आप कितने खुश हो रहे हैं, पास वाली कुर्सी पर अदृश्य होने के बाद। इसलिए मेरे को मत छेड़ो आप, सारे पत्ते खुल जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी आपकी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन ये भी है कि प्रधान मंत्री पद छोड़ने का आदेश नहीं दिया, लेकिन उनकी वैधता पर सवाल उठाए और इसी कारण जो आज की हमारी न्यायपालिका में वी.आर.कृष्णा अय्यर जैसा जज और उन्होंने फैसले में दिया स्थगन आदेश, जैसा कि मैंने जिक्र किया अभी आपके सामने, उसके उपरांत जे पी आंदोलन हुआ, विरोध हुआ और विरोध के कारण ही अराजकता का माहौल बता कर झूठ-मूठ में कोई अराजकता नहीं, शांति व्यवस्था, लोकप्रिय नेता, उसके उपरांत उन्होंने सबको जेल में डालने की कार्रवाई प्रारंभ की और उसी की कालावधि, उसी अवधि से, उसी के परिणाम से मैं आज आपके

सामने बोलने के लिए खड़ा होता हूं। अगर वही स्थिति होती तो शायद मैं आज बोलने के लिए खड़ा भी नहीं होता और आपका भी क्या होता शायद पता नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के इतिहास में 25 जून 1971 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। आप बाबा साहब का नाम बार-बार लेते हैं, संविधान का नाम बार-बार लेते हो, मैं इसी का आपको जवाब दे रहा हूं। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के रूप में जानी जाती थी, परंतु आपने उस पर काला धब्बा लगाया। भारत में हमेशा लोकतंत्र मूल्यों और वाद-संवाद का समर्थन हुआ करता था। हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की गई। हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटा गया। इसीलिए ये आज का विधेयक आपके सामने लाने की जरूरत पैदा हुई।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जब हमारे लोग बोल रहे थे, तब कह रहे थे कि विषय से बाहर है। अब आप आपातकाल पर बोल रहे हैं या बिल पर बोल रहे हो, ये तो बता दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये बता रहा हूं। ये लोकतंत्र सेनानियों का बिल क्यों आया? इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता जी समय निकालकर, राजनीति छोड़कर इसको पढ़ा तो कीजिए कभी-कभी, ये एम्स एंड ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है।

Ans/rtm 18.10 3m 21.03.2025

इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए। नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। वह दौर था जो विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था। पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया था। तब तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी थी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया था। बोलने की स्वतंत्रता बंद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बंद, पत्रकारिता की स्वतंत्रता बंद और जो बोले वह जेल में। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में एक अन्याय काल था, एक काला दिन था, एक काला कालखंड था। इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय की कांग्रेस सरकार के कई ऐसे निर्णय, जिन्होंने हमारी संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। क्रूर और निंदनीय मेंटिनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा लगा दिया। बदलाव कर कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यह सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतों में मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए, जमानत नहीं मिल पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग प्रोटेक्शन और पब्लिकेशन रिलीफ एक्ट लाइफ प्रेस काउंसिल की स्वतंत्रता को बंद कर दिया गया। प्रेस

काउंसिल रिलीफ एक्ट प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोफेशनल मेटर का प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, इस काले कालखंड में संविधान का 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां संशोधन किया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था कि सारी शक्तियां हमारे पास ही रहे। एक व्यक्ति के पास आ जाये, एक नेता के पास आ जाए। न्यायपालिका का नियंत्रण हो, संविधान पर मूल सिद्धांत ही खत्म कर दिए जाएं। ऐसा करके नागरिकों के अधिकार का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उस वक्त के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने जो त्याग किया, तपस्या की, उसी का परिणाम है कि आज हम जीवित हैं और बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी ने कमिटेड, ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशियरी, मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूं, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं, कभी घर जाकर देखे। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशियरी की बात कही, जो किसी भी लोकतंत्र के विरोध का उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ऐसी असामाजिक और तानाशाही भावनाओं से भरी हुई भयंकर कुरीतियां लेकर आई, जिसने गरीब, दलित और वंचितों का जीवन तबाह कर दिया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी बात पर विश्वास करें, उस वक्त मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में गया ही था। जब मैं गांव गया, बाजरी बहुत बड़ी-बड़ी खड़ी थी। लोग 15-15 दिन तक बाजरे के अंदर ही रहते, वहीं छिपते थे, मैंने पूछा क्या कारण है यह घर पर क्यों नहीं रहते, रात को फसल में क्यों रहते हैं, तो बताया गया कि नसबंदी कर देते हैं। मैंने पूछा नसबंदी क्यों करते हैं, आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो उन्होंने बताया कि वह कुछ नहीं देखते है, वह तो टारगेट पूरा करते है, यह मेरी खुद की देखी हुई बातें हैं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप वहां रहे या घर गये? ईमानदारी से बताना, आप वहीं रहे या घर गये?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं तो कॉलेज गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): गलत आरोप मत लगाओ। आप खुद ही कॉलेज जा रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इमरजेंसी के दौरान जबरन थोपी गई ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप दो क्यों खड़े हो? ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जोधपुर का घंटाघर मैदान, छोटे-छोटे व्यापारी वर्षों से, पीढियों से, दुकानें लेकर बैठे थे। इमरजेंसी के दौरान उनको इस तरह से तहस-नहस किया गया, आज तक वह संभल नहीं पाए। नसबंदी आज दिन तक लोग याद करते हैं। किसी माननीय सदस्य ने बताया नसबंदी के तीन दलाल, जो भी नाम लिया, मैं तो किसी का नाम भी नहीं लेता हूं। नसबंदी के तीन दलाल कौन-कौन थे भई ...(व्यवधान)... वह तो भगवान को प्यारे हो गये, उम्र पूरी होगी तो जाएंगे ही। मनमानी सरकारी कुरीतियों को

झेलना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी वजह से ये लोकतंत्र की हत्या हुई, इसीलिये यह कानून लाना पड़ा।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ। आप याद करना जे पी के नाम से, संपूर्ण क्रांति को हिला कर रख दिया था उन्होंने। आतंकवादी, तत्कालीन सरकार जो भी किस तरह से निर्णय लिया, हिलाकर रख दिया था। उनके साथ कौन था? ऐसे आमजन थे। कोई राजनीतिक दल नहीं था, आमजन थे। पटना में उनकी रैली याद करो। कभी इतिहास में झांककर देखो। पटना की रैली याद करो, उनका अभिभाषण याद करो। ऐसे ही उन्होंने कहा था सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। याद है कि नहीं है? सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। उसी का परिणाम आज है कि वह सिंहासन खाली हो गया। जो भी परिणाम हुए वह भुगत लिए। आपको याद होगा, अभी आपने कहा था कि प्रचंड जीत के साथ श्रीमती इंदिरा गाँधी 1980 में वापस आई थी। याद करो वह दिन 1977 में पूरे उत्तर भारत में सिवाय एक नाथूराम जी मिर्धा के, आपका सूपड़ा साफ हो गया था, वह क्यों नहीं याद करते। ...(व्यवधान)... वह भी बता रहा हूं, अभी तो शुरू हुआ हूं। जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गाँधी की तानाशाही के विरोध करने का नारा दिया। यह संपूर्ण क्रांति का प्रमुख आंदोलन का रण बना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या कहा था, यदि सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं लोकतंत्र को मरने नहीं दूंगा, यह है जयनारायण जी का कहा हुआ नारा। अटल बिहारी वाजपेयी थे, तत्कालीन विपक्ष में थे, उन्होंने बोलना शुरू किया तो क्या कहा था याद रखो, भारत माता की जय बोलना अगर अपराध है तो मैं यह अपराध बार-बार करुंगा। हम भी आज कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलना अपराध है तो बार-बार करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। आपातकाल के दौरान वाजपेयी जी को भी गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। तानाशाही का निश्चित, क्योंकि लोकतंत्र कैद नहीं किया जा सकता था। सिर्फ इंदिरा गाँधी की आलोचना करते हुए बयान दिया था। लालकृष्ण आडवाणी जी को जेल में डाला था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: स्वतंत्रता सेनानी में क्यों बने, वह भूमिका में है ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जन-प्रतिनिधियों के अलावा जो हमारा प्रेस मीडिया था, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसकी आप दुहाई देते हैं, रामनाथ गोयनका जी ...(व्यवधान)... कहा था कि उनकी चापलूसी नहीं करुंगा, लिखूंगा तो निर्भीक पत्रिका से लिखूंगा, इंदिरा गाँधी की चापलूसी नहीं करुंगा। इंडियन एक्सप्रेस गिने-चुने अख़बारों में से था जिसने आपातकाल का कड़ा विरोध किया था। कुलदीप नैयर, अभी किसी माननीय सदस्य ने उनका नाम भी लिया था। ...(व्यवधान)... कुलदीप नैयर ने कहा था, हमने वह दौर देखा है, जब एक कलम की स्याही को ज़ंजीरों में जकड़ दिया गया था। वह दौर भी कुलदीप नैयर का था। आपातकाल के दौरान प्रेस पर लगी सेंसरशिप को, मोरारजी देसाई ने कहा था आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा आघात था, लेकिन ये जनता की शक्ति थी जिसने उनको उखाड़ फेंक दिया और अब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पुन:

सरकार बनी। मित्रों, बी बी सी में, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, इन सब के लिए भी उन्होंने लिखा कि यह आपातकाल है, यह काला दिवस था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौक़े पर इतना भी निवेदन करुंगा, इस निर्णय के विरुद्ध ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप कंटीन्यू करो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं कंटीन्यू करूँ, परन्तु मैं थोड़ा सा निवेदन करुंगा। आज अनेक माननीय सदस्य खुश हो रहे हैं, जो उस समय उस उम्र के नहीं थे। उनको पता लग रहा है कि हमारे कुछ लोगों ने, सभी नहीं हो सकते कांग्रेस के, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं विषय से हटकर बात कह रहा हूं। याद करो जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में माननीय संजीव रेड्डी को खड़ा किसने किया था और उनके खिलाफ़ फखरुद्दीन अली अहमद को खड़ा किसने किया था? यह कांग्रेस पार्टी वाले जवाब देवें। ...(व्यवधान)... इतना ही नहीं, यह जो निर्णय हुआ जयनारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गाँधी 12 जून को, उस निर्णय को लड़ने के लिए इंदिरा गाँधी को अयोग्य घोषित किया गया था। याद करो वह दिन, अयोग्य घोषित किया गया था। मूल अधिकारों का निलंबन किया, विशेषकर संविधान के 19 और 20 की प्रेस की मीडिया को, सबको समाप्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में हमारे अनेक संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया था। देश सेवा में लगा सिर्फ राष्ट्र निर्माण की बात करता है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत जो संगठन है, वह विश्वव्यापी संगठन है, जो किसी राजनीतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। सिर्फ राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम, भारतीयता की बात करता है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक पर भी प्रतिबंध लगा था।

VPS-RTM-21.03.2025-18.20-3n

लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ अपना प्रचार नहीं छोड़ा। इस अवधि में मूल निवासी जितने भी लोग थे, आपातकाल की अवधि के दौरान रक्षा के लिए जेल गये, किसी को 107 में डाल दिया, किसी को मीसा में डाल दिया, किसी को डी.आई.आर. में डाल दिया, किसी को भारतीय दंड संहिता में डाल दिया पर सभी ने जेल के अन्दर एक ही संकल्प लिया कि चाहे मर जायेंगे इस लोकतंत्र के लिए लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे और उसी का परिणाम है कि आज हमारे सामने टोटल यह 1,140 राजस्थान में थे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप जेल नहीं गये, आप तो कॉलेज गये थे। आपने खुद ने बताया है कि आप कॉलेज गये थे। आपने खुद ने बताया कि मैं जेल नहीं गया, मैं कॉलेज गया था। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैंने जेल की बात ही नहीं की।

श्री अध्यक्षः बैठिये। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं तो आपके इमरजेंसी में जो नसबंदी में रात को जो खेतों में सो रहे थे, उनकी बात की है और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप भी कहीं

न कहीं किसी फसल में छुप कर बचे होंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। नहीं तो आप भी अन्दर ही होते। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप कितना ही बोले, यह मुद्दे से नहीं भटकने वाले। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चलो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): नेता, प्रतिपक्ष, आप कितनी ही कोशिश करो, ये मुद्दे से नहीं भटकने वाले।

श्री अध्यक्ष: आप मुद्दे पर बोलते रहो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): राज्य में वर्ष 2008 में हमारी सरकार ने 12 सितम्बर, 2008 को प्रथम बार लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने हेतु राजस्थान मीसा व डी.आई.आर. बंदियों के लिए पेंशन के नियम बनाये 2008 में और आपने क्या किया, वह भी अभी बताऊंगा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल की आज्ञा 38/2009 द्वारा दिनांक 16.09.2009 को राजस्थान मीसा व डी.आई.आर. पेंशन बंदियों की निरस्त कर दी। क्या कारण था? क्या आधार था? क्यों किया? सिर्फ इसीलिए कि ये लोग लोकतंत्र के सेनानी हैं, इन्होंने भयंकर तकलीफ सही है, जेल में रहे हैं, प्रेस की आवाज को उठायी है, आजादी की आवाज उठायी है, लोकतंत्र की आवाज उठायी है इसीलिए न? साथ ही साथ, लोकतंत्र सेनानी नियम, 2008 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात हमारी सरकार ने आदेश दिनांक 14.03.2000 से इन नियमों को पुनः दिनांक 01.02.2004 से प्रभावी किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डी.आई.आर. बंदियों की पेंशन 2008 में तीन बार, चार बार थोड़े से जो डवलपमेंट हुए, 28.02.2014 को लोकतंत्र सेनानी व दिवंगत लोकतंत्र सेनानी की पत्नी/पति को 12,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान एवं रुपये 1,200 चिकित्सा सेवा नकद देने का और 30 अप्रैल, 2014 तक प्राप्त आवेदनों पर 01 जनवरी, 2014 से पेंशन लागू की गयी। उसके बाद 28.12.2017, 2014 के बाद सीधा 2017, लोकतंत्र सेनानी के सम्बन्ध में शासकीय अभिलेख उपलब्ध न होने पर स्वयं का शपथ-पत्र मान्य किया, लेकिन उसके साथ निरुद्ध रहे दो मीसा बंदियों द्वारा आवेदक के कैद में रहने की अवधि तक युक्त प्रमाण-पत्र व लोक सभा, विधान सभा के भूतपूर्व, वर्तमान सदस्य का प्रमाण पत्र साथ लगाने पर यह सफिशिएंट मान लिया। यह 04.07.2018, मीसा व डी.आई.आर. कानून के अलावा सीआर.पी.सी. की धारा 107, 116, 151, आपातकाल के दौरान एक माह तक निरुद्ध रहे व्यक्तियों को भी इसके लिए पात्र माना गया, पेंशन के लिए यह पात्र माना गया। नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय समारोहों में इनको सम्मान के साथ सम्मानित करने का और उन्हें समारोह में बुलाने का निर्णय लिया गया और लास्ट में 23.08.2018, लोकतंत्र सेनानी व दिवंगत लोकतंत्र सेनानी की पत्नी/पति को रुपये 20,000 मासिक पेंशन का प्रावधान एवं रुपये 4,000 मासिक चिकित्सा का प्रावधान किया गया। लोकतंत्र सेनानियों का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, लोकल एवं

एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया और अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में मोटे-मोटे तौर पर जो प्रावधान है, जिसको हम लेकर आये हैं- राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 में लोकतंत्र के सेनानी जो भी हैं उनको जीवनकाल के लिए सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता, निःशुल्क परिवहन सुविधा, राष्ट्रीय उत्सव व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने के यह मोटे-मोटे प्रावधान हैं। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर दिवंगत सेनानी की पत्नी या पति को विधेयक में निम्न सुविधा उपलब्ध है- जीवन काल के लिए सम्मान राशि, चिकित्सा राशि। आज अनेक माननीय सदस्यों ने यह बात रखी है कि लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को भी जो ट्रांसपोर्टेशन सहायता है, वह उपलब्ध करवाई जाये तो इस बारे में विचार किया जायेगा। सम्मान राशि, चिकित्सा राशि एवं निःशुल्क परिवहन सुविधा की मंजूरी के लिए धारा 7 में एक समिति का गठन करने का प्रावधान किया है और इस आवेदन पर जो नियमानुसार देने का है, वह प्रावधान है।

अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी है और ताराचन्दजी जैन जो उदयपुर शहर के माननीय सदस्य हैं उन्होंने टोल मुक्त करने का अपना प्रस्ताव दिया है। माननीय कालीचरणजी सराफ ने अनेक प्रस्ताव दिये हैं और साथ ही साथ उन्होंने अमेंडमेंट भी दिये हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा। श्री रविन्द्र सिंह भाटी ने पाठ्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों के इतिहास पढ़ाये जाने का भी अपना प्रस्ताव रखा है, अपनी बात कही है। श्री छगनसिंहजी राजपुरोहित, आहोर से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन बातें प्रमुखता से रखी हैं। लोकतंत्र सेनानी के पति/पत्नी को सहचर के साथ, उसके अटेंडेंट को भी यह ट्रांसपोर्टेशन सुविधा साथ में दी जाये। लोकतंत्र सेनानियों को हवाई यात्रा में छूट दी जाये। लोकतंत्र सेनानियों को जेल में रहने की अवधि 15 दिन की जाये। लोकतंत्र सेनानियों को आवेदन करने में 90 दिन की सीमा हटायी जाये। इसी तरह से माननीय श्री संदीप शर्माजी, माननीय श्रीमती अनिताजी भदेल ने इन्हीं बातों को दोहराया है। माननीय अर्जुन लालजी जीनगर, माननीय केसारामजी चौधरी, श्रीमती अनीता जाटव, ऐसे करके कुल 43 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने प्रस्ताव रखे हैं। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कुछ बातें जो माननीय सदस्यों ने रखी हैं, सुविधा उपलब्ध हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा में अगर किसी अटेंडेंट को साथ रखना है या दिवंगत पति या पत्नी को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देनी है तो हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि माननीय कालीचरणजी ने प्रस्ताव रखा है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो नियम बनने हैं, इसमें हमने नियम बनने का प्रावधान रखा है। अनेक बातें नियमों में आएंगी और नियमों में रखकर हम पूरा प्रयास करेंगे।

लोकतंत्र के सेनानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत त्याग किया है, बहुत तकलीफें सही हैं और वह सिर्फ अपने लिए कुछ भी नहीं, परिवार के लिए कुछ भी नहीं, जिस तरह से अभी यह जिक्र आया था माननीय राजेन्द्रजी गहलोत का, मैं जोधपुर से आता हूं, कभी-कभी इतिहास पढ़ना, उनको घंटाघर से घसीटते हुए, मारते हुए,

नाखून उखाड़ते हुए जेल तक ले गये। यह डेढ़ किलोमीटर का रास्ता है हमारे जोधपुर में, आप याद करो उनको, कभी उनके त्याग को, उनको कितनी यातनाएं, कितनी तकलीफें आपने दी हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, कभी आप उनसे मिलकर पूछना कि इमरजेंसी के दौरान आपको घंटाघर से उठाकर आपके साथ क्या किया था। उनका आरोप बता दो, उनका दोष बता दो। दोष इतना ही है कि वे युवावस्था में थे। कालीचरणजी की उम्र के, उस जमाने में, आज की उम्र के नहीं।

श्री अध्यक्ष: हम भी उसी पीढ़ी के हैं। कालीचरणजी और हम उसी पीढ़ी के हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये भी उसी पीढ़ी के हैं, इन्होंने भी तकलीफें सही हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं भी उसी पीढ़ी का हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ऐसे अनेक सदस्य बैठे हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कालीचरणजी तो जवान हैं, साहब।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): साहब, मैं तो जवान मान लेता हूं, मेरा क्या जाये। राणोजी कहे जठे उदयपुर। ...(व्यवधान)...

ऐसे अनेक सदस्य हैं, उधर भी है, आज नहीं बैठे हैं यहां। ऐसे अनेक सदस्य हैं। उधर का मतलब उधर। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि जितने भी हमारे लोकतंत्र सेनानी आज इस संसार में नहीं है उनको प्रभु स्वर्गवास का स्थान दे और जो लोकतंत्र सेनानी आज दुनिया में है, चाहे वे किसी भी उम्र के हैं, उनकी दीर्घायु हो, लम्बी आयु हो, स्वस्थ शरीर के साथ वे दीर्घायु हो और हम उनसे प्रेरणा लें कि ऐसा लोकतंत्र पर कोई भी आघात करे तो निर्भीक होकर कैसे लड़ते हैं, वे लोकतंत्र के सेनानी हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए, यह भी हमारा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो यह लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान का विधेयक है, यह हमारा बिल 2008 से बराबर लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ही आया है। बीच में कांग्रेस ने इसको विदड्रा किया था, हमने इसको वापस लागू कर दिया इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस बिल में जो जनमत जानने का प्रस्ताव जिन-जिन ने भी अपना वापस ले लिया, जिन्होंने नहीं लिया है, उनका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ राजनीतिक द्वेषता से बोलने के लिए बोले हैं, उनको समाप्त किया जाये और जहां तक अमेंडमेंट का प्रश्न है, वह स्टेज आयेगी तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया

गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचार लिया गया।

Ssy/Rtm/21.03.25/18.30/3o

खण्डश: विचार।

खण्ड 2। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3। कालीचरण सराफ संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि नियम बनाकर के यह लागू करेंगे, इसलिए मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. ऋतु बनावत। (अनुपस्थित) ...(व्यवधान)... नहीं है तो संशोधित नहीं हुआ। कुछ बोलना है प्रभारी मंत्री इस पर।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हां, बोलना है।

श्री अध्यक्ष: संशोधन पर कालीचरण का, हालांकि वापस ले लिया है इन्होंने।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्या बोलना है वापस ले लिया तो?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बोलना है वह तो सुनो अभी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या होता है कि अनावश्यक बोलने के लिए तो आधी रात गंवा देते हैं। आवश्यक बोलने के लिए एक भी दिशा नहीं होती, सारी की सारी पुरानी हिस्ट्री खुल रही है, 50 साल हुए हैं। इस देश ने बहुत भुगता है आपको, पर अब ये देश भुगतने को तैयार नहीं है अब देश सजग है।

श्री अध्यक्ष: आज सेनानी का दिवस है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कालीचरण जी सराफ ने प्रस्ताव दिया है संशोधन का, उसमें इन्होंने जो धारा 3 में जो संशोधन दिया है,

खण्ड 3 में और साथ ही उन्होंने खण्ड 4 में, धारा 4 के सब क्लॉज 4 में जो दिया है।

श्री अध्यक्षः वह तो आगे आयेगा, 3 और 4 तो आगे आयेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हां, एक मिनट। मैं साथ ही बता देता हूं।

श्री अध्यक्षः यह 3 है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): उसके सम्बन्ध में हम नियम बनाकर के, आपकी भावना के अनुसार जो संशोधन होने चाहिए और जो फायदा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों को मिलना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि नियमों के अनुसार उनको पूरा फायदा मिले।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन कालीचरण सराफ और डॉ. ऋतु बनावत, चूंकि वह नहीं हैं, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किये हैं, उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4। कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कह दिया है कि नियम बनाकर के इसको भी लागू करेंगे, इसलिए मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्षः डॉ. ऋतु बनावत। (अनुपस्थित)

श्री अतुल भंसाली।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने नियम बनाकर खण्ड 4 के अन्दर जो मैंने अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी, उसके विषय में नियम बनाकर लागू करने का आश्वासन दिया है, अतः मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्षः इसमें तो उत्तर बनता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 में मेरा इतना सा निवेदन है कि दोनों सदस्यों ने, तीनों सदस्यों ने जो प्रस्ताव दिया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संशोधन लगाने के बाद में वापस ले लें, उसके बाद मंत्री जी उत्तर नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्षः अभी ऋतु बनावत का नहीं आया है ना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, वह तो है ही नहीं ना।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं। संशोधन तो दिया हुआ है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): है नहीं तो संशोधन ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): या तो मंजूर होगा या खारिज होगा। सदन को

तो बताना पड़ेगा ना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जब है नहीं तो नहीं लिया जायेगा। आप व्यवस्थाओं से चलो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): व्यवस्था में ऋतु बनावत का विदड्रा कराओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): किससे?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ऋतु बनावत से।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विदड्रा कर लिया उन्होंने।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं, नहीं, यह अमेंडमेंट। ऋतु बनावत ने कहा किया है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वह हैं ही नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हैं नहीं तो सदन में तो निर्णय करना पड़ेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या बात हुई?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसीलिए मेरा निवेदन यह है कि खण्ड 4 में धारा 4 के अन्दर जो लोकतंत्र सेनानियों के पश्चात् अभिव्यक्ति व्यवस्था प्राप्त होने के पश्चात जो आपने एक संशोधन दिया है, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और नियमानुसार इस पर भी कार्यवाही करके, नियमों में कहीं न कहीं करके लोकतंत्र सेनानियों को पूरा लाभ मिले, इसका पूरा प्रयास करेंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह जो संशोधन दिया है इसमें यह लिखा है कि लोकतंत्र सेनानियों को, जो 30 दिवस से कम समय के लिए जेल में रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपने तो कोई संशोधन दिया ही नहीं है। उस पर बहस नहीं है। जिन्होंने संशोधन दिया है केवल वही बोल सकते हैं। नो, नो। साफ लिखा हुआ है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन श्री कालीचरण सराफ, डॉ. ऋतु बनावत एवं श्री अतुल भंसाली, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किये हैं उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5 से 7। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से 7 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड 8। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के

खण्ड 8 (3) के स्थान पर 'ऐसे प्रत्यक्ष दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के आश्रित को केवल मृत्यु प्रमाण पत्र कोषालय/पेंशन विभाग को देना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति/पत्नी की सम्मान राशि पेंशन विभाग द्वारा शुरू की जा सकेगी', प्रतिस्थापित किया जाये,। सके बारे में ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): काम करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इन्होंने इसके लिए भी आश्वासन दे दिया, इसलिए मैं इसको भी वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अतुल भंसाली।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, खण्ड 8 के अन्दर जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था, माननीय मंत्री महोदय ने उसके लिए भी आश्वासन नियमों में बनाने के लिए दिया है। अत: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो संशोधन श्री कालीचरण सराफ, सदस्य एवं श्री अतुल भंसाली, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किये हैं, उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 से 13। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 13 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 से 13 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री जोगाराम पटेल, प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: कोई सदस्य इस पर, खण्ड वाचन 3 में कोई बोलना चाहे तो नाम बता दे। एक-एक, दो-दो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े गौर से देख रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ना, ना, आप बोलो। आप ही बोल रहे हो आज।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं बता दूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): टाइम है बोलने का, बोलो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बता दूं कि यह जो विधेयक लाया गया है लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिये, इसे पूरे 200 माननीय सदस्यों के केवल 2 ऐसे लोग हैं जो स्वयं लोकतंत्र सेनानी हैं, जेल में रहे थे। पहले हैं माननीय ताराचन्द जी जैन, जिन्होंने चर्चा की शुरूआत की थी।

श्री अध्यक्ष: बैठो, बैठो, खड़ा नहीं होना है। माननीय सदस्य, यहां परिचय नहीं करा रहे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): दूसरा हूं मैं, जो चर्चा का समापन कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1947 से लेकर आज 2025 तक इस देश में एक परंपरा कायम है। एक परिवार ऐसा है जिसके बारे में, जिस पर कभी भी कुछ भी आंच आ जाये तो जैसे देश पर आंच आ गई हो, देश खतरे में पड़ गया हो, ऐसा माहौल बनाया जाता रहा है। वही 1975 में हुआ।

एक सांसद रायबरेली से, उनके चुनाव को चुनौती दी गई उनके सामने जो हारा उस प्रतिनिधि द्वारा और उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उनका चुनाव रद्द कर दिया, अमान्य कर दिया और उनको अगले 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। सिर्फ इस एक बात से देश खतरे में पड़ गया। देश का संविधान खतरे में पड़ गया, इसलिए देश में आपातकाल जैसा काला कालखंड लाना पडा। उस समय एक कवि हुए हैं दुष्यंत।

spp/Rtm/21.03.25/18.40/3p

बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उनका एक शेर उस समय के शासन के लिये कहा गया था-

'कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है,

यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है,

इतना खतरनाक माहौल था,

कुछ भी बोलना मुश्किल,

कुछ भी लिखना मुश्किल।'

अगर इशारा भी कर दिया तो अन्दर डाल देते थे। यह वह माहौल था और केवल भय का माहौल सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया, उस एक परिवार की सत्ता को कायम रखना था। एक व्यक्ति की सत्ता को कायम रखना था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे तो उस कालखंड पर अफसोस प्रकट करते कि हमसे भूल हुई। आपातकाल नहीं लगाना

चाहिये था, वह अत्याचार नहीं करने चाहिये थे। यह सब बोला होता तो अच्छा लगता। दुर्भाग्य से आपमें से अनेक लोगों ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। उसको न्यायसंगत ठहराने की कोशिश की। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि उस अत्याचार को आप न्यायसंगत ठहरा रहे हैं।

जिस नसबंदी को लेकर आप कह रहे हैं कि आबादी कंट्रोल करने के लिये जरूरी था। याद रखो नेता प्रतिपक्ष, उस नसबंदी के अत्याचारी अभियान का सबसे अधिक शिकार कौन हुआ? ST, SC और OBC जिससे आप भी आते हो। उन लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। 17 साल के कुंवारे से लेकर 77 साल के बूढे तक के लोगों की नसबंदी कर दी गयी। और इट इज ऑन रिकार्ड। हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जो जेल गये थे, उनकी उम्र क्या थी? सबसे कम उम्र का हमारा साथी था 13 साल का और सबसे अधिक उम्र के हमारे साथी थे राधाकृष्ण जी रस्तौगी, जो अधिवक्ता थे, बाद में राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल भी रहे। वे 83 साल के थे। 13 साल से 83 साल तक के लोगों को अन्दर डाला गया और जितने लोग अन्दर गये उसमें राजनेता तो मुश्किल से 15-20 प्रतिशत थे, बाकी या तो सारे विद्यार्थी थे, या फिर व्यापारी थे या छोटे-मोटे मजदूर थे, किसान थे, कर्मचारी थे। ऐसे लोगों को अन्दर डाला गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने विरोध किया था कि यह आपातकाल ठीक नहीं है। यह संविधान की अनेक धाराओं को आपने निलम्बित कर दिया है, वह ठीक नहीं है। मौलिक अधिकारों को आपने समाप्त कर दिया है, वह ठीक नहीं है इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। यह कहने की हिम्मत जिन लोगों ने की थी, उनको कहा गया लोकतंत्र सेनानी।

अत्याचार कितने हुए थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। वर्णन किया राजेन्द्र जी गहलोत साहब का नाम, एक हमारे माननीय सदस्य रहे हैं इस सदन के घनश्याम जी तिवाड़ी, उन पर भी अमानवीय तरीके से अत्याचार हुए। आप कल्पना नहीं कर सकते, वह अत्याचार हुए और कह रहे हैं कि जो अपराध करेगा, वह तो जेल जाएगा ही। उनका अपराध क्या था? मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूं। उस समय हालत यह थी, मैंने दो बार सत्याग्रह किया। 14 नवम्बर को पहली बार सत्याग्रह किया सोजत से, 25 दिन अन्दर रहा। धारा क्या थी 107 और 151, 107 और 151 में 25 घंटे नहीं रहता अन्दर आदमी। 25 दिन मैं अन्दर रहा। उसके बाद जमानत करवाकर मैं बाहर आया और दुबारा सत्याग्रह किया 30 दिसम्बर को पाली में और मजिस्ट्रेट जो CJM थे, वह हमारी पेशी पर पेशी, हमने कहा सुनवाई करो केस की। उन्होंने कहा कि आपका वकील कहां है? कोई वकील हमारा केस लड़ने को तैयार नहीं होता था। मुश्किल से गिने-चुने लोग थे, जो केस लड़ते थे। कोई हमारे पक्ष में गवाही देने को तैयार नहीं होता था डर के मारे। कोई हमारी जमानत देने को तैयार नहीं होता डर के मारे और मजिस्ट्रेट खुद सुनने को तैयार नहीं होते, हिम्मत नहीं पड़ती थी। कई महीनों बाद जब ट्रांसफर हुए तो दूसरे मजिस्ट्रेट आये तो उन्होंने हिम्मत करके सुनवाई शुरू की और जब मेरी सुनवाई हो रही थी, जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे गिरफ्तार किया था, जब उसको गवाह के लिये बुलाया गया और उससे पूछा कि इसका अपराध क्या है? उस समय का वातावरण क्या

था, वह बताने के लिये उदाहरण दे रहा हूं। उसको पूछा कि इसका अपराध क्या है? उसने कहा साहब यह आगजनी कर रहे थे। अच्छा क्या कर रहे थे? बोले इनके हाथ में मशालें थीं। हम दो आदमी थे। माणकचंद और मैं स्वयं। कलेक्टर चौराहे के आस-पास, पाली में दो मशालें लेकर चले। लगभग डेढ़ किलोमीटर ही चले, बोले कितने चले कि डेढ़ किलोमीटर। हाथ में मशालें थीं, कितनी दुकानों को और घरों को आग लगायी? इंस्पेक्टर बोला कि कहीं नहीं लगायी। तो फिर कहां आगजनी कर रहे थे? फिर वह बोले कि दूसरा आरोप क्या है? वह बोला कि सरकार के खिलाफ जनता को भड़का रहे थे। अच्छा क्या किया, भाषण दिया? नहीं भाषण तो नहीं दिया। तो क्या किया? बोले नारे लगा रहे थे। क्या नारा लगाया? पुलिस इंस्पेक्टर ऑन रिकार्ड कह रहा है और CJM कोर्ट पाली के रिकार्ड में आज भी वह बात दर्ज है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि साहब, यह भारत माता की जय बोल रहे थे। भारत माता की जय बोलना, अपराध घोषित कर दिया था आपकी सरकार ने। उस पर आप गर्व कर रहे हो। उस पर आपको शर्म आनी चाहिये थी और आप गर्व कर रहे हो। अब भी जस्टिफाई कर रहे हो। आपसे अधिक गया-बीता और कौन हो सकता है जो उस कालखंड को भी जस्टिफाई करने के लिये तुला हुआ है। इतना भंयकर उस समय डर का माहौल था, उस सबका हमने मुकाबला किया अपने करियर की चिंता छोड़कर, अपने जीवन की चिंता छोड़कर, अपने शरीर की चिंता छोड़कर, अपने पीछे वाले परिवार की चिंता छोड़कर कइयों के व्यापार बर्बाद हो गये, कइयों के धंधे बर्बाद हो गये, कइयों की खेती बर्बाद हो गयी। कई ऐसे परिवार हैं जो वापस खड़े नहीं हो पाये, जिनको सहायता देकर खड़ा करने की हम अब भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह जो कुछ हो रहा है, यह बिल जो लाया गया है, यह बिलकुल अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसका समर्थन किया ही जाना चाहिये था। मुझे उम्मीद थी कि प्रतिपक्ष भी इस बिल का भी समर्थन करता और उस कालखंड के लिये क्षमा-याचना भी करता, अफसोस जाहिर करता। लेकिन ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): किसान मर रहे हैं, हम कर दें अब। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: अभी तो इसी सन्दर्भ में, सेनानियों के सन्दर्भ में बोलेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): फिर आप विषय से भटकने की कोशिश कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं निवेदन करता हूं और राजस्थान सरकार का धन्यवाद करता हूं कि माननीय वसुंधरा जी ने भी हमारे दर्द को समझा था और माननीय भजनलाल जी ने भी हमारे दर्द को समझा है। उसकी भरपाई नहीं हो सकती लेकिन घाव पर मरहम लगाने की आपने कोशिश की है, उसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर प्रतिपक्ष की निन्दा करता हूं जिन्होंने ऐसा घोर कृत्य भी किया और अब भी उसके पक्ष में खड़े हैं। मैं उसके लिये आपकी निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इस बहाने आपने वसुंधरा जी को याद तो किया। कोई नाम लेने वाला नहीं था। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: स्वतंत्रता सेनानी पर और कोई बोलेगा? तीसरे वाचन में दो-दो मिनट बोलो।

एक मिनट पहले यह बोल लें। इधर से भी कोई बोलेगा तो बता दो। तीसरे वाचन में सबको आजादी है। आपमें से भी कोई बोले और जो कोई पहले नहीं बोले हैं, इस समय कोई भी बोल सकता है। आप बोलें संक्षेप में।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): मां भारती के चरणों में नमन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज जब मैं सदन में सुन रहा था, जब लोकतंत्र सेनानियों की चर्चा हो रही है और उसमें कुछ हमारे यहां जो सदस्य हैं, जो उसको किसान आंदोलन से जोड़ रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में हमारे स्वर्गीय रिखबदास जी बोडा थे, वह पार्टी के नेता थे, हम मानते हैं। लेकिन उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने क्या कसूर किया था? उनकी पत्नी को जब पुलिस घर पर आयी, हम छोटे थे और देख रहे थे, पुलिस जब घर पर आयी और वह रिखबदास जी बोडा घर पर नहीं थे तो उनकी पत्नी को घसीटते हुए ले गये, यह हमने बचपन में अपनी आंखों से देखा था। उनके परिवार के बच्चे उस समय रोटी के लिये मोहताज थे। यानी पड़ोस के लोग उनको रोटी खिला रहे थे। यह स्थिति उस परिवार की थी। हमारे स्वर्गीय घेवरचन्द जोशी, जो उस समय विद्युत विभाग में कर्मचारी थे, उनको नौकरी से निलम्बित कर दिया गया। उनकी पेंशन रोक दी गयी और उनको निलम्बित कर दिया गया। उनके परिवार की स्थिति आप समझ सकते हैं। हमारे स्वर्गीय ओमजी आचार्य के साथ ऐसा हुआ, उनके पैर की हालत खराब कर दी। अंतिम समय तक वह सही ढंग से नहीं चल पाये। यह अत्याचार उस समय हुआ। किसान आंदोलन में किसी भी परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ इसलिए आप उससे मत जोड़ो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भूल से भी आपका नेता जाकर अपने क्षेत्र में इस इमरजेंसी का विरोध मत करना, नहीं तो वह जमानत जब्त करवाकर आयेगा। यह ध्यान रखना कि जनता पूरी बात जानती है कि उस समय लोगों के साथ क्या किया उस समय की सरकार ने। मेरा निवेदन है कि जिन परिवारों के साथ ऐसा हादसा हुआ है, उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति है तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति आज भी ठीक नहीं है तो उसको भी हमें सहयोग करना चाहिए। यह मेरा निवेदन है। भारत माता की जय।

श्री अध्यक्ष: आप तो बोल लिये न एक बार। श्री अतुल भंसाली।

jyg/Rtm/21.03.25/18.50/3q

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): मैं बहुत ज्यादा नहीं एक मिनट ही लूंगा।

एक परिवार ने देश को अपनी जागीर मान लिया था,
'गांधी' सरनेम लगा नकली गांधी परिवार बना लिया था,
लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र को बंधुआ बनाया था,
जनता ने मतदान से हराया तो जनता को हड़काया था,
विरोध के हर स्वर को दबाने आपातकाल लगाया था,

काले कानून 'मीसा' के नाम पर,
नेता से जनता तक सबको अंधेरी कोठरी में तड़पाया था,
जनता की कोई सुन न ले, न्यायालयों तक को भी बांधा था,
जनता की आवाज दबाने आपातकाल को सही ठहराया था,
पर अब जनता जागी है, बिना 'गांधी' सरनेम के कोई भी,
निर्धन का बेटा सिंहासन पर पहुंचा है,
'मीसा' की यातना सहकर भी लोकतंत्र बचाने को,
जिस-जिस ने भी यातनाएं सही, उनको सम्मानित करने का,
जन-जन का चहेता निकला है, हमारा भजन लाल सरकार निकला है,
'मीसा' बंदियों ने ही तो आपातकाल मिटाने की मुहिम छेड़ी थी,
स्वतंत्रता सेनानियों की तरह जेल की नरक यातनाएं झेली थी,
'मीसा' बंदियों की तपस्या और बलिदान से आपातकाल की कालिख हटी थी,
लोकतंत्र बहाल होकर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी।

धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्री अध्यक्षः श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इतना ही निवेदन करना है कि वसुन्धराजी ने पहले किया और आज भजन लाल जी शर्मा और हमारे संसदीय कार्य मंत्री, लॉ मिनिस्टर साहब, जो विधेयक लेकर आये हैं, उसके पक्ष में हम बोल रहे हैं। लेकिन जूली साहब, विपक्ष के नेता और आप सब लोग जो यहां पर बैठे हैं, उनको खाली एक निवेदन कर रहा हूं। मेरी उम्र भी उस समय 17 साल थी। ...(व्यवधान)...

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): 17 साल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 17 साल।

श्री अध्यक्षः आपकी उम्र चन्द्रभान जी को भी पता है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय 'हुंकार' अख़बार निकलता था। जिसको हम रात-रात भर जाकर बांटते थे। हमारे चित्तौड़गढ़ में हमारे कॉलेज के और स्कूल के छात्रों को नंगा करके वहां थाने में ले जाकर मारा, मैं यह बता सकता हूं, नंगा करके मारा। इस तरह की घटना की आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे कितने लोगों को अरेस्ट किया। जूली साहब, आपकी क्या उम्र है, ...(व्यवधान)... आप 03.09.1980 को पैदा हुए हो। अगर आप इमरजेन्सी से पहले होते तो आज आपको पता लगता कि क्या काला अध्याय किया। सिर्फ एक महिला ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे हिन्दुस्तान का सत्यानाश कर दिया। आज आपको भजन लाल जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने जो हमारे लोकतंत्र के प्रहरियों के लिए जो सुविधाएं दी हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): ...(व्यवधान)... तो पेंशन में अपना भी नाम लिखा लो। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरी तारीख भी बता दूं? लेकिन मैं आज धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार ने जो किया है, मैं तो आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब से यही निवेदन करूंगा कि जो बातें हमारे प्रमुख लोगों ने कही है, इनको जितनी ज्यादा सुविधाएं दे सकते हो, दो और इस देश को आजाद कराने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी तरह इन लोकतंत्र के प्रहरियों को सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, कुछ नहीं कहना है? आगे बढ़ूं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को पारित किया गया।

सदन की बैठक ...(व्यवधान)... सदन की बैठक दिनांक 24 मार्च, 2025 के प्रातः ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, बैठिये, ...(व्यवधान)... नो, रात भर यहीं बैठाएं? ...(व्यवधान)... एक प्रस्ताव पारित करवा दूं क्या? ...(व्यवधान)... सदन की बैठक ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, विराज जाओ। ...(व्यवधान)... नहीं, यह तो आ रहे हैं। ...(व्यवधान)... पारित के साक्षी भी हो जायेंगे। ...(व्यवधान)... पारित हो जायेगा। ...(व्यवधान)... पारित हो गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.54 बजे सोमवार, दिनांक 24 मार्च 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)
